छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2017 सत्र

मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

तारांकित प्रश्नोत्तर

दुर्ग जिले में उर्जा विभाग अंतर्गत स्वीकृत शासकीय कार्य

1. (*क्र. 118) राजमहंत सांवलाराम डाहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले अंतर्गत उर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से अब तक क्या क्या शासकीय कार्य स्वीकृत हुए हैं ? विधानसभावार बतायें ? (ख) स्वीकृत कार्यों की लागत राशि क्या है ? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण है ? कितने अपूर्ण हैं ? नाम सहित बतायें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले के अंतर्गत उर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से नवम्बर 2017 तक कुल 6734 स्वीकृत शासकीय कार्यों की विधानसभावार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के स्वीकृत 6734 कार्यों की लागत राशि रुपये 289.83 करोड़ है. स्वीकृत कार्यों में से 6190 कार्य पूर्ण है एवं 544 कार्य अपूर्ण हैं. अपूर्ण कार्यों की विधानसभावार एवं कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में दर्शित है.

केशकाल विकासखंड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43(30) हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

2. (*क्र. 173) **श्री संतराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिला के केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43(30) के किमी 130.00 से 180.00 कांकेर बेडमा सेक्सन निर्माण हेतु किन-किन ग्रामों के कितने-कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई ? (ख) क्या अधिग्रहित प्रभावित किसानों को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार मुआवजा प्रदान किया गया ? यदि हां, तो किस दर से ? कितना-कितना मुआवजा भू-अर्जन अधिकारी केशकाल द्वारा प्रदान किया गया ? (ग) क्या प्रश्नांश "क" के तहत अधिग्रहित भूमि के एवज में उक्त प्रभावित ग्राम के किसानों द्वारा निर्धारित दर से कम मुआवजा भुगतान किये जाने की शिकायत कलेक्टर कोण्डागांव को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कोण्डागांव जिला के केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 (30) ग्राम-डोंडेरापाल से मस्सूकोकोड़ा तक ग्राम डोंडेरापाल का 01 कृषक, खालेमुरवेंड के 06 कृषक, दादरगढ़ के 05, बटराली के 07, सिंगनपुर के 17, बेड़मा के 06, पीपरा के 29 एवं ग्राम मस्सूकोकोड़ा के 04 कृषकों की जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं बोरगांव, केशकाल, गढ़सिलियारा ग्रामों के कुल 14 कृषकों की 2.827 हेक्टयर भूमि अधिग्रहित की गई है. जानकारी † परिशिष्ट पर संलग्न है. (ख) जी हां. केशकाल घाटी बाईपास अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा शासन के निर्धारित मापदण्ड (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) के अनुसार किया गया है, इसमें उस गांव के कृषि भूमि का बाजार मूल्य और बिक्री चार्ट का औसत मूल्य में से जो भी अधिक हो आधार मानकर इसमें परिसम्पत्ति का मूल्य जोड़कर इसमें अतिरिक्त 100 प्रतिशत तोषण राशि और अवार्ड तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की राशि की गणना मुआवजा राशि निर्धारण किया गया है. केशकाल घाटी बाईपास अंतर्गत वितरित मुआवजा निम्नानुसार कृषकों को किया गया है :—

ग्राम का नाम (1)	कृषक का नाम (2)	मुआवजा राशि (3)
केशकाल	श्री दीनदयाल	761586.00
गढ़सिलियारा	श्री बुधराम	98273.00

† परिशिष्ट "एक"

(1)	(2)	(3)
गढ़सिलियारा	श्री सगराम	89149.00
गढ़सिलियारा	श्री बीरसिंग	232495.00
गढ़सिलियारा	श्री मंगलराम	44031.00
बोरगांव	श्रीमती श्यामबती	92701.00

(ग) केशकाल घाटी बाईपास भू-अर्जन प्रकरण में ग्राम बोरगांव के एक किसान द्वारा निर्धारित दर से कम मुआवजा भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी. इनका प्रकरण मध्यस्थता अधिकारी, अपर कलेक्टर जिला-कोण्डागांव के न्यायालय में विचाराधीन है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में बंदोबस्त त्रुटि सुधार भू-अभिलेखों की दुरूस्तीकरण

3. (*क्र. 261) **श्री दीपक बैज :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा चित्रकोट क्षेत्रांतर्गत आने वाली तहसीलों में बंदोबस्त त्रुटि-सुधार/भू-अभिलेख दुरूस्त करने संबंधी कितनी शिकायते/आवेदन विगत 02 वर्ष में प्राप्त हुई हैं ? (ख) कितनों का निराकरण कर बंदोबस्त त्रुटि-सुधार/भू-अभिलेख दुरूस्त किया गया है ? और कितने शिकायत/आवेदन लंबित है ? (ग) चित्रकोट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्या सभी गांवों में बंदोबस्त त्रुटि-सुधार/भू-अभिलेख दुरुस्त कर लिये गये है ? यदि नहीं तो कौन-कौन से गांवों में बंदोबस्त त्रुटि-सुधार/भू-अभिलेख दुरूस्तीकरण नहीं किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) विधानसभा चित्रकोट क्षेत्रान्तर्गत आने वाली तहसील लोहण्डीगुड़ा/बास्तानार/तोकापाल एवं दरभा में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कुल 29 आवेदन एवं भू-अभिलेख दुरूस्त करने संबंधी 154 आवेदन विगत 02 वर्ष में प्राप्त हुए है. (ख) बंदोबस्त त्रुटि सुधार के 15 आवेदन तथा भू-अभिलेख दुरूस्त करने संबंधी 140 आवेदनों का निराकरण किया गया है. बंदोबस्त त्रुटि सुधार के 14 तथा अभिलेख दुरूस्त करने संबंधी 14 आवेदन लंबित है. (ग) जी नहीं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन

4. (*क्र. 50) **श्री अशोक साहू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 से जून 17 की स्थिति में किस-किस वर्ग के कितनी-कितनी संख्या में श्रमिक पंजीकृत किये गए ? कृपया योजनावार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) वर्णित अवधि में किन-किन योजनाओं के तहत् कितने-कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? कृपया विकासखंडवार दी गई राशि सहित योजनावार अलग-अलग जानकारी देवें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 से जून 17 की स्थिति में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 17,051 तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 6,357 श्रमिकों का पंजीयन किया गया. श्रमिकों का योजनावार पंजीयन का प्रावधान नहीं है. प्रवर्गवार एवं विकासखंडवार पंजीयन की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" में दर्शाई गई है. (ख) वर्णित अवधि में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 9,439 तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 281 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया. विकासखंडवार एवं योजनावार लाभान्वित हितग्राही एवं प्रदत्त राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" एवं "द" में दर्शाई गई है.

विधान सभा क्षेत्र सक्ती में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगरदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा

5. (*क्र. 1) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सक्ती अंतर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगरदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा राशि भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? (ख) प्रभावित भूमि स्वामियों के नाम, अधिग्रहित रकबा, निर्धारित मुआवजा राशि सहित जानकारी देवें ?

---

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन"

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क चौड़ीकरण :— विधानसभा क्षेत्र सक्ती के अंतर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित 14 ग्रामों की कुल 564 भू-स्वामियों की रकबा 85.654 हे., अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि रुपये 101.83 करोड़ निर्धारित किया गया है. जिसमें से 481 भू-स्वामियों की रकबा 76.361 हे. का मुआवजा राशि रु. 91.30 करोड़ का संबंधित भू-स्वामियों को भुगतान किया गया है. शेष 83 भू-स्वामियों की रकबा 9.293 हे. का मुआवजा राशि 10.53 करोड़ आपसी विवाद, न्यायालयीन वाद, भू-स्वामियों के मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण भुगतान हेतु लंबित है. उपरोक्त कारणों के समाधान पश्चात् शेष मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित भू-स्वामियों को कर दिया जावेगा. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण के अंतर्गत 20.632 हे. का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 डी का भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु नार्थ नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है. उक्त रकबे का प्रकाशन उपरांत प्रकरण में अवार्ड पारित कर मुआवजा वितरण किया जावेगा. 2. नगरदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण :— विधानसभा क्षेत्र सक्ती अंतर्गत नरगदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण से प्रभावित 02 ग्रामों की 24 भू-स्वामियों की रकबा 1,988 हे. का प्रकरण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत स्वच्छ धारणाधिकार (Clear Tital) एवं आधिपत्य का परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है इसके बाद काश्तकार को प्ररूप क में सूचना दी जाकर प्ररूप ख में स्वीकृति एवं वचनपत्र लिये जाने के बाद प्रकरण में कार्यवाही बाद आदेश पारित कर मुआवजा भुगतान की जावेगी. (ख) 1. राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क चौड़ीकरण :— निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित 14 ग्रामों की भूमि स्वामियों के नाम, अधिग्रहित रकबा एवं निर्धारित मुआवजा राशि की जानकारी की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में अंकित है. 2. नगरदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण :— नरगदा से बाराद्वार सड़क चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण से प्रभावित 02 ग्रामों दुरपा एवं भुरकाडीह की भूमि स्वामियों के नाम एवं अधिग्रहित रकबा की जानकारी की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में अंकित है.

प्रदेश में सूखा प्रभावित तहसील एवं ग्रामों की संख्या

6. (*क्र. 197) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूखा प्रभावित तहसीलों के नाम, तहसीलवार गांव की संख्या, किसानों की संख्या, प्रभावित रकबा तथा प्रभाव का परिमाण बताईये ? (ख) क्या माहू से प्रभावितों को भी सूखा प्रभावित में शामिल किया गया ? यदि हां तो इसका विवरण उपरोक्तानुसार अलग-अलग बताइयें ? (ग) देय क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित राशि कितनी-कितनी है, तथा कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सूखा प्रभावित तहसीलों के नाम, तहसीलवार गांव की संख्या तथा किसानों की संख्या जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. प्रभाव का परिणाम फसल क्षति 33 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक आंकी गई है. (ख) जी नहीं. किन्तु वृहद् भौगोलिक क्षेत्र में कीट प्रकोप होने पर फसल क्षति के आधार पर कीट प्रकोप को आपदा माना जा सकता है. (ग) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार सिंचित क्षेत्र के लिए रुपये 13,500/- तथा असिंचित क्षेत्र के लिए रुपये 6,800/- प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता दी जायेगी. किन्तु अनुदान सहायता राशि रुपये 1,000/- से कम नहीं होगी. वास्तविक आनावारी प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को अनुदान सहायता का वितरण किया जावेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों पर कार्यवाही

7. (*क्र. 78) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में रेत, मुरूम, मिट्टी, चुना पत्थर के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? कितने के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं कितने के विरूद्ध कार्यवाही करना शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में रेत, मुरूम, मिट्टी, चूनापत्थर के अवैध खनिज उत्खनन के कुल 50 एवं अवैध खनिज परिवहन के कुल 787 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें से अवैध उत्खनन के दर्ज 46 प्रकरणों में कार्यवाही की जाकर समझौता राशि वसूल की गई तथा शेष 04 प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है. अवैध खनिज परिवहन के दर्ज सभी प्रकरणों में कार्यवाही की जाकर समझौता राशि वसूल की गई है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

एनआरडीए नया रायपुर में नवीन खदानों के आवंटन एवं नवीनीकरण

8. (*क्र. 105) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर एनआरडीए क्षेत्र में कितनी खदाने कहां कहां एवं कब से व कितने क्षेत्रफल में संचालित है ? (ख) क्या एनआरडीए ने नया रायपुर में नवीन खदानों के आवंटन एवं

† परिशिष्ट "चार" †† परिशिष्ट "पांच"

उसके नवीनीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो कब ? दिनांक की जानकारी दें ? (ग) एनआरडीए में वर्तमान में नवीन खदान या खदान नवीनीकरण के कितने आवेदन खनिज विभाग द्वारा एनओसी के लिये भेजे गये ? आवेदनकर्त्ता के नाम सहित प्राप्ति दिनांक सहित बतायें? (घ) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में एनआरडीए द्वारा कहां कहां खदानों हेतु एनओसी दी गई ? एवं दिनांक आवेदनकर्त्ता का नाम सहित बतायें ? (ङ) क्या एनआरडीए द्वारा कलेक्टर रायपुर को नया रायपुर क्षेत्र के समस्त खदानों को बंद करने के लिये पत्र लिखा गया है ? यदि हां तो कब लिखा गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) नया रायपुर एनआरडीए क्षेत्र में निम्न श्रेणी चूनापत्थर के 21 उत्खनन पट्टा तथा 05 उत्खनन अनुज्ञापत्र कुल 26 खदानें संचालित है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए के पत्र दिनांक 11.03.2015 एवं संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एनआरडीए के पत्र दिनांक 19.09.2017 द्वारा कलेक्टर रायपुर को नवीन पट्टे स्वीकृत/नवीनीकृत नहीं करने तथा पुरानी संचालित खदानों के संबंध में पर्यावरण संरक्षण मंडल से रिपोर्ट प्राप्त करने उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है. (ग) एवं (घ) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में एनआरडीए में नवीन खदान/नवीनीकरण/अवधि विस्तार हेतु अनापत्ति के लिये कलेक्टर कार्यालय, खनि शाखा द्वारा भेजे गये पत्रों एवं एनआरडीए द्वारा प्रदत्त सहमति की जानकारी † संलगन परिशिष्ट के कॉलम '7' एवं '8' पर दर्शित है. (ङ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार.

रायगढ़ जिला में सौर सुजला योजना के तहत् कृषकों के प्राप्त आवेदन

9. (*क्र. 26) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिलांतर्गत सौर सुजला योजनांतर्गत विभिन्न विकासखंडों में कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्राप्त आवेदन में कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं कितने मामले लंबित है विकासखंडवार जानकारी देवें तथा लंबित मामलों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अंतर्गत क्या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो, क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिलांतर्गत सौर सुजला योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सौर सुजला योजनांतर्गत कुल 1055 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुल 315 कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापित कर दिया गया है शेष लंबित 740 प्रकरणों का निराकरण मार्च 2018 तक किए जाने का लक्ष्य है. विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) उत्तरांश 'ख' अंतर्गत अनियमितता की शिकायत ऊर्जा विभाग में प्राप्त नहीं हुई है.

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में सूखा राहत के तहत स्वीकृत राशि

10. (*क्र. 67) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में 2016-17 से 27 नवम्बर, 2017 तक कुल कितने कृषकों को सूखा राहत प्रकरण तैयार किये गये एवं कितने कृषकों का मुआवजा स्वीकृत एवं कितनों का अस्वीकृत किया गया है ? उक्त अवधि में कितनी राशि की स्वीकृति की गई थी ? विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत प्रकरण में से कितने कृषकों का मुआवजा प्रदाय कर दिया गया है एवं कितने को दिया जाना शेष है ? (ग) क्या मुआवजा स्वीकृत करने में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कांकेर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में कांकेर विकासखण्ड के 7341 प्रकरण एवं नरहरपुर विकासखण्ड के 16364 प्रकरण तैयार किये गये है. अनुदान सहायता हेतु कृषकों का सर्वे कर लिया गया है कोई प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है. प्रकरण स्वीकृत नहीं होने के कारण विकासखण्डवार जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है. (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जिला महासमुंद में खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत राशि

11. (*क्र. 69) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 15.11.2017 की स्थिति में शासन द्वारा खनिज संस्थान के न्यास निधि में कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उक्त वर्षों में प्राप्त राशि में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां स्वीकृत किये गये है ? राशि व्यय का ब्यौरा दें ?

† परिशिष्ट "छह"

†† परिशिष्ट "सात"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में जिले के खनिपट्टाधारियों द्वारा वर्षवार जमा राशि की जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राप्त राशि (लाख रुपये में)
2015-16	निरंक
2016-17	957.41
2017-18 (दिनांक 15.11.17 की स्थिति में)	944.75
महायोग	**1902.16**

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार योजना अंतर्गत विभिन्न निर्माण एजेंसी से प्राप्त अनुदान की राशि

12. (*क्र. 310) **श्री भोलाराम साहू** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार योजना अंतर्गत विभिन्न निर्माण एजेन्सी से एक प्रतिशत अनुदान दिये जाने वाली राशि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किन-किन विभागों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार विभागवार बतावें ? (ख) प्राप्त राशि किन-किन मदों से कितनी-कितनी खर्च की गई ? मदवार, वर्षवार बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत विभिन्न निर्माण एजेन्सियों से एक प्रतिशत उपकर राशि 2,75,96,71,255 रुपये प्राप्त हुई. वर्षवार एवं विभागवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाई गई है. (ख) प्राप्त राशि में से कुल राशि रुपये 3,11,59,84,773 छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के विभिन्न योजनाओं में व्यय किया गया है. मदवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाई गई है.

बालोद जिले में कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत निरस्त आवेदन

13. (*क्र. 124) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में विभाग द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कितने आवेदन निरस्त किये गये व निरस्त करने के कारण सहित बताऐं ? (ख) क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) बालोद जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 389 आवेदन निरस्त किये गये हैं. आवेदन निरस्त करने का कारण आवेदकों द्वारा श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के 90 दिवस पूर्ण होने के पूर्व ही आवेदन प्रस्तुत करने, आवश्यक दस्तावेज जैसे-विवाह शपथ पत्र, शादी कार्ड, बैंक पासबुक संलग्न नहीं होने, माता एवं पिता के द्वारा पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने, एक ही आवेदक द्वारा दो बार आवेदन प्रस्तुत करने, हितग्राही के तीसरे संतान के विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत करने, आवेदन में असत्य जानकारी देने, विवाह की तिथि से एक माह पूर्व एवं तीन माह पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने, कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम होने, जांच में विवाह होना नहीं पाया जाना इत्यादि हैं.

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल श्रमिक विवाह योजना के अंतर्गत 99 एवं सफाई कर्मकार विवाह योजना के अंतर्गत 43 आवेदन निरस्त किये गये हैं. आवेदन निरस्त करने का कारण आवेदकों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करना, आवश्यक दस्तावेज जैसे-विवाह शपथ पत्र, शादी कार्ड, बैंक पासबुक संलग्न नहीं करना इत्यादि हैं. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार विवाह सहायता हेतु प्राप्त 531 आवेदन निरस्त किये गये तथा विवाह संबंधी कूटरचित दस्तावेज पाये जाने के कारण 14 श्रमिकों के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड निरस्त किया गया है.

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत प्राप्त आवेदन

14. (*क्र. 280) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर

† परिशिष्ट "आठ"

घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए है ? (ख) कितने आवेदन पर कार्यवाही की जा चुकी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के तहत दिनांक 04.12.2017 तक कुल 11,247 आवेदन प्राप्त हुए है. (ख) उपरोक्त आवेदनों में से दिनांक 04.12.2017 तक 4,234 आवेदनों पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके है. शेष 7,013 आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

राजनांदगांव जिले में एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित संस्थाएं

15. (*क्र. 289) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत अशासकीय, बालगृह खुला आश्रय गृह विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी कहां-कहां पर किन-किन संस्थाओं द्वारा कब से संचालित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : जिला राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	बाल देखरेख संस्था	स्थान	संचालनकर्त्ता स्वैच्छिक संगठन का नाम	संचालन प्रारंभ होने की तिथि
1.	बाल गृह-बालिका	ममता नगर गली नं. 5. राजनांदगांव.	सृजन सामाजिक संस्था राजनांदगांव.	01.10.2013
2.	बाल गृह-बालक (मां भगवती वात्सल्य निकेतन).	कंचन बाग, महाबीर सनसिटी, राजनांदगांव.	गायत्री शिक्षण समिति राजनांदगांव.	23.08.2014

जिले में वर्तमान में खुला आश्रय गृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित नहीं है.

जिला जांजगीर चांपा में रबी फसल लगाने पर प्रतिबंध संबंधी

16. (*क्र. 86) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला जांजगीर चांपा में राज्य शासन द्वारा रबी फसल में किसानों के स्वयं के साधन में धान फसल लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां तो आदेश दिनांक सहित बताने की कृपा करें ? (ख) विगत वर्ष 2016-17 में जिला जांजगीर चांपा में स्वयं के साधन से कितने कुल रकबा में धान फसल लगाई गई थी ? (ग) जिला जांजगीर चांपा में कुल कितना रकबा है जिसमें किसानों द्वारा स्वयं के साधन पर रबी फसल ली जाती है ? तहसीलवार बताने की कृपा करें एवं उक्त तहसील में किसानों का स्वयं का कितने ट्यूबवेल एवं कुआ पंप है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी नहीं. मुख्य सचिव कार्यालय के आदेश क्रमांक 2375/मु.स./2017, दिनांक 18.10.2017 के द्वारा प्रदेश में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रबी की धान बोआई को हतोत्साहित करने के निर्देश जारी किये गये हैं. स्वयं के साधनों के जल का उपयोग जिला दण्डाधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है. (ख) विगत वर्ष 2016-17 में जिला जांजगीर-चांपा में स्वयं के साधन से कुल 6120 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगाई गई थी. (ग) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 47992 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल ली जाती है, जिसमें से 27680 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई स्त्रोतों से सिंचाई होती है. जिले में कुल 7840 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की फसल ली जाती है, जिसमें 6120 हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप से सिंचाई होती है, शेष 1720 हेक्टेयर में नदी, नाले एवं अन्य खुले जल स्त्रोतों से सिंचाई होती है. वर्तमान में 8502 नलकूप है. तहसीलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

नगरनार स्टील प्लांट के गंदा पानी से किसानों के फसल क्षति का मुआवजा

17. (*क्र. 130) **श्री कवासी लखमा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरनार स्थित एन. एम. डी. सी. स्टील प्लांट के गंदे पानी को कहाँ छोड़ा जा रहा है ? क्या गंदे पानी से किसानों की खड़ी फसल को क्षति हुई है ? यदि हाँ तो प्रभावित किसानों

† परिशिष्ट "नौ"

को कितना कितना मुआवजा दिया गया है ? (ख) क्या मलवा से खेत खराब हो गया है ? यदि हाँ तो शासन-प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) नगरनार स्थित एन.एम.डी.सी. स्टील प्लांट से गंदा पानी नहीं छोड़ा गया है. स्टील प्लांट में एकत्रित बरसात का पानी छोड़ा गया है, जिसमें पानी का बहाव खेत की ओर होने से किसानों के खड़ी फसल को क्षति हुई है. एन.एम.डी.सी. स्टील प्लांट में वर्षा का पानी खेतों में बहाव से ग्राम करनपुर के 42 कृषकों के क्षतिग्रस्त रकबा 16.17 हे. धान फसल की क्षति का रुपये 4,41,656/- एवं ग्राम कस्तुरी के 79 कृषकों के क्षतिग्रस्त रकबा 29.66 हेक्टेयर धान फसल क्षति का रुपये 8,08,883/- कुल रुपये 12,50,539/- का आर्थिक सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने एन.एम.डी.सी. प्रबंधन को निर्देशित किया गया है. (ख) जी नहीं. शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई छापामार कार्यवाही

18. (*क्र. 229) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2016 से 27.11.17 तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा छापामार कार्यवाही की गई ? अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा उनसे जब्त चल-अचल संपत्ति की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये ? नाम एवं चालान प्रस्तुत करने की तिथि सहित ब्यौरा उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2016 से 27.11.17 तक 02 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा छापामार कार्यवाही की गई, जिसकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रकरण विवेचना में होने के कारण माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अनुभाग कार्यालय आरंग में भूखण्ड डॉयवर्सन के प्रकरणों का निराकरण

19. (*क्र. 283) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुभाग कार्यालय (राजस्व) आरंग में जनवरी 2016 से नवंबर 2017 तक भूखण्ड के डायवर्सन के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों में कितने का निराकरण किया जा चुका है तथा कितने लंबित हैं ? (ख) लोक सेवा गारंटी के तहत डायवर्सन के प्रकरणों को कितने कार्यदिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत कर लिये जाने का प्रावधान है ? प्रश्न की कण्डिका "क" के अनुसार प्राइज आवेदनों में कितने का निराकरण लोक सेवा गारंटी में तय सीमा के भीतर नहीं पाया है ? (ग) कृपया लंबित प्रकरणों के नाम, कारण व कितने समय से लंबित है की अवधि बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) अनुभाग कार्यालय (रा) आरंग में जनवरी 2016 से नवम्बर 2017 तक भू-खण्ड के डायवर्सन के कुल 439 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों में 381 का निराकरण किया जा चुका है. तथा 58 प्रकरण लंबित हैं. (ख) लोक सेवा गारंटी के तहत डायवर्सन के प्रकरणों को 90 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत कर लिए जाने का प्रावधान है. प्रश्न की कंडिका "क" के अनुसार प्राप्त आवेदनों में से 34 प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी में तय सीमा के भीतर नहीं हो पाया है. (ग) लंबित प्रकरणों के नाम, लंबित रहने के कारण व अवधि संबंधी जानकारी †† परिशिष्ट पर संलग्न है.

रायपुर जिले में गौण खनिज खदानों की प्रदत्त अनुमति

20. (*क्र. 323) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में वर्ष 2016-17 से 2017-18 में नवम्बर 2017 तक रेत गिट्टी एवं मुरूम उत्खनन हेतु किस-किस ग्राम में किस-किस खसरा नं. की भूमि पर कितने-कितने रकबे में किस-किस व्यक्ति, ठेकेदार या फर्म को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी गौण खनिज उत्खनन हेतु कितनी अवधि के लिए एवं कब-कब अनुमति दी गई है, कृपया विवरण सहित पूरी जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि अभनपुर तहसील के ग्राम बेन्द्री स्थित खसरा नं. 1/1 में पत्थर, गिट्टी एवं मुरूम उत्खनन हेतु अनुमति प्रदान की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में वर्ष 2016-17 से 2017-18 में नवम्बर 2017 तक रेत, गिट्टी एवं मुरूम उत्खनन हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र की विस्तृत जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी नहीं.

† परिशिष्ट "दस" †† परिशिष्ट "ग्यारह" ‡ परिशिष्ट "बारह"

जिला सूरजपुर में सोलर एनर्जी के माध्यम से सोलर पंप लगाने का लक्ष्य

21. (*क्र. 240) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में सोलर एनर्जी के माध्यम से कितने नलकूप में सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है ? माह नवंबर 2017 तक कितने नलकूपों में सोलर पम्प लगाये गये ? इस योजना में कितनी राशि खर्च की गई ? विभागवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : सूरजपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में माह नवंबर 2017 तक सौर ऊर्जा से संचालित नलकूपों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त लक्ष्य, स्थापित सोलर पंप एवं व्यय राशि की विभागवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विभाग का नाम	लक्ष्य	स्थापित	स्थापनाधीन	व्यय की गई राशि रुपए लाख में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्वास्थ्य विभाग	07	07	0	28.70
2.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	921	368	553	1392.8
3.	जिला खनिज न्यास निधि	08	00	08	—
4.	सरगुजा उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण	03	00	03	—
5.	ग्राम पंचायत एवं ऊर्जा विभाग	20	20	00	89.00
6.	ऊर्जा विभाग (सौर सुजला योजना)	1123	228	437	781.02
7.	ऊर्जा विभाग (मार्केट मोड योजना)	—	52	16	150.62

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

22. (*क्र. 330) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूरे प्रदेश में कितने जिलों में रोजगार कार्यालय स्थापित है ? उक्त रोजगार कार्यालय में कितने बेरोजगारों का पंजीयन है ? (ख) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पिछले 3 वर्षों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ? (ग) जिले में स्थापित विभिन्न उद्योगों में रोजगार हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक किया जावेगा यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) पूरे प्रदेश में वर्तमान में 27 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित है. उक्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में कुल 23,37,795 बेरोजगार पंजीकृत हैं. (ख) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पिछले तीन वर्षों में कुल 419 पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. (ग) प्रदेश के समस्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा रोजगार इच्छुकों का पंजीयन उन्हें रोजगार सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से किया जाता है. पंजीकृत आवेदक इस रोजगार पंजीयन का उपयोग शासकीय रिक्तियों में आवेदन हेतु तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों में विभाग द्वारा आयोजित प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से रिक्तियों की पूर्ति के लिये करता है, यद्यपि निजी क्षेत्र के उद्योगों में रिक्तियों की पूर्ति में पंजीयन संबंधी अनिवार्यता वर्तमान में नहीं है.

कोण्डागांव जिले में बंदोबस्त (भूमि प्रवंधन) संबंधी

23. (*क्र. 248) **श्री मोहन मरकाम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2306 दिनांक 25 मार्च 2015 के उत्तर में "भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, रूड़की से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि स्वीकृति हेतु विचाराधीन है" की जानकारी दी गई थी ? (ख) यदि हां तो कंडिका "क" के अनुसार क्या उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सहित जानकारी देवें.

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. (ख) जी हां. प्रदेश के कुल 1083 ग्रामों का चयन राजस्व सर्वेक्षण हेतु किया गया. उक्त कार्य पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है. संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा उपरोक्त ग्रामों में सर्वेक्षण का कार्य आई.आई.टी. रूड़की से तकनीकी सहयोग लेकर कराया जा रहा है.

सरगुजा संभाग में विद्युतीकरण

24. (*क्र.164) **श्री अमरजीत भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पं. दीनदयाल जीवन ज्योति योजना से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है ? वर्ष 2013 से अक्टूबर, 2017 तक इन कार्यों की निविदा किन-किन ठेकेदारों को दी गयी ? (ख) उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ? (ग) क्या कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य न करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कुल 818 ग्रामों का विद्युतीकरण योजना में शामिल है. वर्ष 2013 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु खुली निविदा के अंतर्गत भाग लेने वाले फर्म की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सरगुजा संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्य अक्टूबर-2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. (ग) जी हां. प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गयी है.

मड़वा-तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन

25. (*क्र. 264) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत स्थापित 2×500 मड़वा-तेन्दुभाठा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया है ? वर्तमान में बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है ? क्या वर्तमान में दोनों संयंत्र चालू हैं ? यदि नहीं तो क्या कारण है ? (ख) उक्त संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोई खदान आबंटित की गई है ? यदि हां तो उक्त खदान से कोयला उत्खनन का कार्य किस कंपनी को, कब दिया गया है ? इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत स्थापित 2×500 मेगावाट क्षमता की मड़वा-तेन्दूभाठा ताप विद्युत संयंत्र के अंतर्गत स्थापित 500 मेगावाट की प्रत्येक इकाई क्रमांक-1 एवं इकाई क्रमांक-2 से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2016 तथा दिनांक 31 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया गया. वर्तमान में उक्त दोनों इकाईयां चालू हैं तथा औसतन 800 से 880 मेगावाट उत्पादन हो रहा है. (ख) जी हां. 2×500 मेगावाट मड़वा-तेन्दूभाठा ताप विद्युत संयंत्र हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा रायगढ़ जिले में स्थित गारे पेल्मा सेक्टर-III कोयला खदान आबंटित की गयी है. उक्त खदान से कोयला खनन का कार्य मेसर्स अडानी इन्टरप्राईजेस लिमिटेड, अहमदाबाद को दिनांक 24-06-2017 को दिया गया है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कोयला खनन हेतु एजेंसी के चयन के लिये अंतर्राष्ट्रीय खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाई गयी.

----

† परिशिष्ट "तेरह"

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विधानसभा क्षेत्र सक्ती में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगारों को प्रशिक्षण

1. (क्र. 2) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सक्ती अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने शिक्षित बेरोजगार महिला/पुरुष को कौन-कौन से प्रशिक्षण दिये गये ? (ख) प्रशिक्षित महिला/पुरुष में कितने को शासन के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया ? (ग) विगत वर्ष 2014-15 से 15 नवम्बर 2017 तक मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन में किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? कौन-कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं में "शिक्षित बेरोजगारों" को वर्गीकृत कर जानकारी संधारित नहीं किये जाने से, शिक्षित बेरोजगारों के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. ख) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को सीधे शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है अपितु संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से अथवा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं में "शिक्षित बेरोजगारों" को वर्गीकृत कर जानकारी संधारित नहीं किये जाने से, "शिक्षित बेरोजगारों" को प्रशिक्षण उपरांत प्राप्त रोजगार की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. (ग) विगत वर्ष 2014-15 से 15 नवम्बर 2017 तक मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण मद में राशि रु. 1,05,68,305/- व्यय की गई. ट्रेडवार, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

रायगढ़ जिलांतर्गत 170 (ख) के प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

2. (क्र. 27) **श्री उमेश पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिलांतर्गत विभिन्न विकासखंडों में 170 "ख" के कितने प्रकरण विगत वर्ष 15-16 , 16-17 एवं 17-18 में 27 नवम्बर तक बने हैं तथा कितने प्रकरण का निपटारा कर दिया गया है ? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विकासखंड खरसिया के कुनकुनी ग्राम के 170 ख के प्रकरण एवं मामले की निपटारा की संख्यावार जानकारी देवें ? (ग) रायगढ़ जिलांतर्गत 170 ख के कितने लंबित मामले है और उन मामलों का निपटारा कब तक कर लिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिला के विभिन्न विकासखण्डों में वर्ष 15-16, 16-17 एवं 17-18 में 170-ख के 280 प्रकरण 27 नवम्बर तक दर्ज किये गये हैं उनमें से 74 प्रकरण निराकृत किये गये हैं (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित वर्षों में ग्राम कुनकुनी में धारा 170-ख के कोई प्रकरण दर्ज नहीं है. शेषअंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) रायगढ़ जिलांतर्गत धारा 170-ख के 206 प्रकरण लंबित है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में महतारी जतन योजना के तहत लाभान्वित महिलाएं

3. (क्र. 51) **श्री अशोक साहू :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में महतारी योजना संचालित है ? इस योजना के अंतर्गत कितने गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी में लाभान्वित हो रही है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें. (ख) प्रतिदिन प्रत्येक महिलाओं को क्या-क्या आहार दिया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

---

† परिशिष्ट "चौदह"

†† परिशिष्ट "पन्द्रह"

जिला महासमुंद में नवाजतन योजना अंतर्गत बच्चों का पंजीयन

4. (क्र. 70) **श्री रामलाल चौहान :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महासमुंद जिले में नवाजतन योजना के तहत वर्ष 2015-16 से 15-11-2017 तक की स्थिति में कितने बच्चों का पंजीयन किया गया ? कितने कुपोषित बच्चे में सुधार आया ? प्रति कुपोषित बच्चे पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : महासमुंद जिले में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में नवाजतन योजना-चरण 4 एवं नवाजतन योजना-चरण 5 के तहत कुल 8715 बच्चों को लक्षित किया गया था जिसके विरुद्ध 3583 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार आया है. नवाजतन योजना चरण 4 अन्तर्गत औसत रूप से प्रति बच्चा 1840 रुपये एवं नवाजतन चरण 5 में औसत रूप से प्रति बच्चा 1810 रुपये व्यय किया गया.

प्रदेश में घोषित सूखाग्रस्त तहसील

5. (क्र. 87) **श्री केशव चन्द्रा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में प्रारंभिक आंकलन के आधार पर कितने तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? दिनांक सहित तहसील के नाम बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा के विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर में सूखा होने या कीट प्रकोप से फसल नष्ट होने के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं प्राप्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रदेश में प्रारंभिक आंकलन के अनुसार दिनांक 13-09-2017 को प्रदेश के 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर में सूखाग्रस्त 11 ग्रामों में से फसल नष्ट होने संबंधी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. तहसील जैजेपुर में कीट प्रकोप से फसल नष्ट होने पर 186 आवेदन प्राप्त हुए हैं. परीक्षण कर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी.

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

6. (क्र. 94) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? (ख) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने स्वयं के भवन में संचालित है ? एवं कितने केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं ? भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ? वर्तमान सत्र में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र एवं भवन की स्वीकृति हुई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 447 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 422 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं इनमें से 362 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं 34 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं. स्वयं के भवन विहीन केन्द्रों में भवन निर्माण हेतु समय-समय पर स्वीकृति जारी की जाती है. अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति नहीं हुए हैं तथा भवन की स्वीकृति की स्थलवार सूची †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

राजनांदगांव जिले में स्थाई विद्युतपंप कनेक्शन

7. (क्र. 95) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में 1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2017 तक विद्युत विभाग द्वारा कितने कृषकों के स्थाई विद्युतपंप कनेक्शन हेतु औपचारिकता पूर्ण कर राशि जमा करायी गयी है ? (ख) कितने कृषकों का कार्य आदेश एवं निविदा जारी की गयी है ? (ग) उक्त प्रकरणों में कितने कृषकों के कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं ? कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

---

† परिशिष्ट "सोलह"

†† परिशिष्ट "सत्रह"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु 3530 कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण कर राशि जमा की गई है. (ख) औपचारिकतापूर्ण 3530 आवेदनों में से 1519 आवेदनों में निविदा जारी कर लाइन विस्तार कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया है. (ग) औपचारिकता पूर्ण 3530 प्रकरणों में से 980 आवेदकों के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं शेष 2,550 आवेदकों के अपूर्ण कार्यों को 30 जून 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है.

प्रदेश के महाविद्यालयों में ली जा रही जनभागीदारी शुल्क

8. (क्र. 106) **डॉ. विमल चोपड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी शुल्क लिया जाता है ? यदि हां तो कितना ? (ख) क्या जनभागीदारी शुल्क लेने हेतु शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां तो इसकी जानकारी दें ? (ग) क्या जनभागीदारी शुल्क के राशि की कोई सीमा तय की गई है ? (घ) क्या जनभागीदारी शुल्क प्राईवेट स्वाध्यायी छात्रों से भी लेने का प्रावधान है ? यदि हां तो इस एवज में कालेज प्रशासन उन्हें क्या सुविधा उपलब्ध कराता है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. शुल्क की सीमा निश्चित नहीं है. (ख) एवं (ग) नहीं. (घ) म.प्र. राजपत्र दिनांक 30-09-1996 के कंडिका (ख) के अनुसार जनभागीदारी शुल्क लिया जा रहा है. परीक्षा के दौरान छात्रों को विद्युत, पानी, प्रयोगशाला में प्रायोगिक सामग्री एवं अध्ययन-अध्यापन एवं समय-समय पर उन्हें अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती है.

संभाग बस्तर के लोगों का पलायन

9. (क्र. 133) **श्री कवासी लखमा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के कितने लोग तेलंगाना, आंध्रप्रदेश राज्य के खम्भन नारंगल, भद्रायलम, कोतागुड़ा, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, काकोनाड़ा जिले में पलायन कर शरणार्थी जीवन जी रहे हैं ? (ख) पलायन कर गये लोगों की संख्या ग्रामवार, जिलेवार अलग-अलग बतायें ? (ग) पलायन कर गये लोगों को वापस लाने की शासन की क्या योजना है ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) बस्तर संभाग से तेलंगाना, आंध्रप्रदेश राज्य के खम्भन नारंगल, भद्रायलम, कोतागुड़ा, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, काकोनाड़ा जिले में पलायन कर शरणार्थी जीवन जीने संबंधी श्रम विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) बस्तर संभाग के जिला-बीजापुर के विकासखण्ड उसूर के विभिन्न ग्राम पंचायतों से कुल 173 लोग परंपरागत मिर्ची तोड़ने के लिये गये हैं. (ग) प्रदेश के श्रमिक जो बेहतर कार्य की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास में जाते हैं, उनके बंधक बनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में जिला स्तर पर राजस्व, पुलिस एवं श्रम विभाग के अधिकारियों की संयुक्त दल गठित की जाती है. दल के द्वारा संबंधित राज्यों में जाकर संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से बंधक हुए श्रमिकों को छुड़ाकर लाया जाता है. श्रम विभाग एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा बंधक श्रमिकों को वापस लाने हेतु यात्रा किराया, रास्ते के भोजन व्यय तथा वापस आने पर स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यकता पड़ने पर वस्त्र हेतु रुपये 4000/- प्रति श्रमिक प्रदाय करने का प्रावधान है.

प्रदेश में ए.सी.बी. तथा ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा की गई कार्यवाही

10. (क्र. 165) **श्री अमरजीत भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में से ए.सी.बी. एवं ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा माह 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्टूबर, 2017 तक के बीच किन-किन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? इस कार्यवाही में किन-किन अधिकारियों से कितनी-कितनी चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त हुई ? संबंधित अधिकारियों पर किस-किस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ? (ख) किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है तथा किन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश नहीं हो सका ? नाम, पदनाम व कारण सहित जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में ए.सी.बी. एवं ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्टूबर, 2017 तक अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में पंजीबद्ध प्रकरणों में से 26 प्रकरणों में 28 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

† परिशिष्ट "अट्ठारह"

एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र नगरनार में आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत्त रोजगार

11. (क्र. 228) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र नगरनार जगदलपुर में 27-11-2017 तिथि की स्थिति में आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के तहत कितने प्रभावितों को किन आधारों पर रोजगार की सुविधा मुहैया कराई गई ? (ख) क्या ? प्रश्नांश "क" अंतर्गत प्रभावितों को रोजगार की सुविधा हेतु किसी मापदण्ड का निर्धारण किया गया है ? यहि हां तो क्या आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के तहत ही मापदण्ड किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कुल 627 पात्र सदस्यों को छ.ग. आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथा संशोधित) की कंडिका 11.2.3 के तहत रोजगार की सुविधा (सस्टेनेन्स अलाउंस) मुहैया कराई गई है. (ख) जी हां. छ.ग. राज्य आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) की कंडिका 11.2.3 में निहित प्रावधान अनुसार रोजगार के एवज में दिनांक 14-8-2012 से 627 नामित सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार एन.एम.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित अनुसार सस्टेनेन्स अलांउस प्रदाय किया जा रहा है.

क्र. (1)	शैक्षणिक योग्यता (2)	दर प्रतिमाह (रुपये में) (3)
1.	आठवीं से कम	10,770/-
2.	आठवीं से बारहवीं (आई.टी.आई/डिप्लोमा)	11,000/-
3.	स्नातक या अधिक	12,000/-

जिला कोण्डागांव में खनिज संस्थान न्यास निधि से छात्रावास/आश्रम व शाला भवनों का निर्माण/मरम्मत

12. (क्र. 249) **श्री मोहन मरकाम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वित्तीय वर्षों में कोण्डागांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अंतर्गत विकासखण्ड बड़ेराजपुर व फरसगांव में किन-किन छात्रावास/आश्रम व शाला भवनों के मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य, कितनी राशि से स्वीकृत किए गए ? (ख) क्या उक्त कार्य निविदा के माध्यम से कराये गये ? यदि हां तो किस ठेकेदार/फर्म से तथा कितने दर पर ? (ग) कंडिका "ख" यदि कार्य पूर्ण हो गया तो कितनी राशि, कब भुगतान किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कोण्डागांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अंतर्गत विकासखण्ड बड़ेराजपुर व फरसगांव में छात्रावास/आश्रम व शाला भवनों के मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत कार्यों एवं राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) विकासखण्ड बड़ेराजपुर में उक्त कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बड़ेराजपुर को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था एवं उक्त कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया. विकासखण्ड फरसगांव में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था, जिसके द्वारा समस्त कार्य निविदा के माध्यम से मेसर्स विजय शांति कंस्ट्रक्शन गीदम जिला दंतेवाड़ा से कराया गया. उक्त कार्य आर.ई.एस. के एसओआर (वर्तमान प्रचलित) जून 2015 की दर से 656.90 रुपये प्रतिवर्ग मीटर एवं जल रोधन कार्य 5667.10 रुपये प्रतिघन मीटर की दर से कराया गया. (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर में अंकित कार्य पूर्ण हो चुके हैं. भुगतान की गई राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

राजनांदगांव जिला में सौर-सुजल योजना के अंतर्गत पंपों के उर्जीकरण का लक्ष्य

13. (क्र. 290) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण के सौर-सुजला योजना अंतर्गत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 में कितने पंपों के उर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया ? कितनी राशि प्राप्त हुई है ? 27-11-17 तक लक्ष्य के विरुद्ध कितने पंपों का उर्जीकरण किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण की सौर-सुजला योजना अंतर्गत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 में 750 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया. कुल राशि रुपए 32.38 करोड़ प्राप्त हुई है. दिनांक 27-11-2017 तक कुल 1032 सोलर पंप का ऊर्जीकरण किया गया है.

---

† परिशिष्ट "उन्नीस"

दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी दिशा निर्देश

14. (क्र. 312) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय सेवक के मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने संबंधी शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं ? किन-किन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है ? (ख) कंडिका "क" के उल्लेखित पदों के अतिरिक्त उच्च पदों पर यथा तकनीकी/राजपत्रित पदों पर भी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं ? यदि हां तो किन नियमों/निर्देशों के तहत ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 14-6-2013 द्वारा विस्तृत एकजाई पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. निर्देश की क्रमांक -7 में अनुकम्पा नियुक्ति के पद उल्लेखित है. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कृषि भूमि/डायवर्टेड भूमि के भू-अभिलेख आनलाईन किए जाने संबंधी

15. (क्र. 313) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में कृषि भूमि एवं डायवर्टेड भूमि भू-अभिलेख (नक्शा, खसरा, बी-1) ऑनलाईन किए गए हैं ? गांवों की संख्या सहित बतावें ? (ख) ऑनलाईन भू-अभिलेखों की प्रति प्राप्त करने और उसकी सुरक्षा के लिए किन-किन तकनीक का प्रयोग किया गया है ? (ग) कंडिका "क" के कार्य संपादन में 27-11-2017 तक कुल कितनी राशि खर्च हुई, और किन-किन जिलों में ऑनलाईन भू-अभिलेख लोगों को प्राप्त हो रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रदेश के सभी 27 जिलों के 19722 ग्रामों के खसरा पांच साला एवं बी-1 तथा 18901 ग्रामों के खेत का नक्शा ऑनलाइन किए गए हैं. परिवर्तित भूमि संधारण खसरा से संबंधित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण इनके अभिलेख ऑनलाईन नहीं किये गये हैं. (ख) भूईयाँ एवं नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1, नक्शा) की ऑनलाईन प्रति प्राप्त की जा सकती है. कम्प्यूटरीकृत खसरा एवं बी-1 की सत्यप्रति तहसील कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त खसरा/बी-1, भुईयाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. भूईयां एवं भू-नक्शा सॉफ्टवेयर, ASP. Net Programing Language पर बना है तथा डॉटा को माइक्रोसाफ्ट SQL-Server 2012 में संरक्षित किया गया है, जो कि राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र में रखा गया है. इस Server पर अनाधिकृत प्रवेश संभव नहीं है. शासन द्वारा अधिकृत कर्मचारी ही अपने Login एवं Password के माध्यम से इस Server पर अपने प्रभार से संबंधित अभिलेखों के डेटा का अधिकारिता युक्त कार्य करने हेतु Access कर सकते हैं. अभिलेखों का डिजिटल सिग्नेचर करने हेतु पटवारियों को डिजिटल सिग्नेचर कार्ड प्रदाय किये गये हैं. जिन्हें राजस्व अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही पटवारी द्वारा उपयोग किया जा सकता है. डॉटा की सुरक्षा के लिए इसका नियमित रूप से Back-up लिया जा रहा है तथा इस Back-up को National Data Center पूणे में रखा जा रहा है. (ग) भूईयाँ एवं नक्शा साफ्टवेयर को ऑनलाईन करने में अब तक रुपये 4,29,91,117/- व्यय किया गया है. सभी जिलों से भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रति प्राप्त की जा सकती है.

बलौदा-बाजार भाटापारा में सूखाग्रस्त तहसीलों को प्रदत्त राशि

16. (क्र. 331) **श्री शिवरतन शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के किन-किन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था ? (ख) उक्त घोषित सूखाग्रस्त तहसीलों की कौन-कौन सी पंचायतें सूखाग्रस्त घोषित हुई थी तथा सूखाग्रस्त तहसीलों में शासन द्वारा कितने किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या राहत प्रदान की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वर्ष 2016-17 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की भाटापारा एवं सिमगा तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था. (ख) पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है. शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत सूखाग्रस्त तहसील भाटापारा की 19 ग्राम पंचायतों के 1922 किसानों को रुपये 10106630/- एवं सिमगा तहसील की 86 ग्राम पंचायतों के 10808 किसानों को रुपये 53177187/- अनुदान सहायता प्रदान की गई. इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

---

† परिशिष्ट "बीस"

जिला रायगढ़ में उद्योगों द्वारा किसानों की बकाया क्षतिपूर्ति

17. (क्र. 404) **श्री उमेश पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में किन-किन क्षेत्रों में उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु कितनी लम्बी पाईपलाईन किसानों की भूमि पर बिछाई गई ? अलग-अलग उद्योगवार बिछाई गई पाईपलाईन की जानकारी दें ? (ख) क्या जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि पर उद्योगों द्वारा जल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाई गई है इसके एवज में किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है ? यदि हां तो किस दर से ? .

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिले में अलग-अलग उद्योगों द्वारा जल आपूर्ति हेतु किसानों की भूमि पर कुल 154.207 कि.मी. लम्बी पाईप लाईन बिछाई गई है. उद्योगवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) जी हां, जल परिवहन हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है एवं 03 उद्योगों द्वारा किसानों से आपसी समझौते के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है.

वर्ष 2017 में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लेने पर प्रतिबंध संबंधी

18. (क्र. 522) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2017 में रबी एवं ग्रीष्मकालीन धान की फसल बोआई को रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है ? (ख) क्या वर्णित-अवधि में ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिबंध लगाने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्देश प्राप्त हुआ था ? यदि हां तो क्या आदेश था ? आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें. (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 में ग्रीष्मकालीन फसल लेने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगायी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी नहीं. (ख) जी नहीं. शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) जी नहीं. मुख्य सचिव कार्यालय के आदेश क्रमांक 2375/मु.स./2017, दिनांक 18-10-2017 के द्वारा प्रदेश में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रबी की धान बोआई को हतोत्साहित करने के निर्देश जारी किये गये हैं. स्वयं के साधनों के जल का उपयोग जिला दण्डाधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है.

---

† परिशिष्ट "इक्कीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र सक्ती में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

1. (क्र. 10) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सक्ती में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने में भवन है एवं कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? (ख) क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में खिलौना प्रदान किया जा चुका है ? यदि नहीं तो कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र सक्ती में 327 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 247 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन है एवं 80 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन नहीं है. (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में खिलौना प्रदान किया जा चुका है.

विधान सभा क्षेत्र सक्ती में पंजीकृत दिव्यांग एवं प्रदत्त रोजगार

2. (क्र. 11) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सक्ती में कुल कितने दिव्यांगजन (विकलांग) पंजीकृत हैं ? कितने पंजीकृत विकलांगों को पेंशन एवं राशन दिया जा रहा है ? (ख) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में कितने दिव्यांगों (विकलांगों) को रोजगार दिया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र सक्ति में कुल 1944 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं. पंजीकृत विकलांगों में से 958 विकलांगों को पेंशन एवं राशन दिया जा रहा है. (ख) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में कुल 07 दिव्यांगों (विकलांगों) को रोजगार दिया गया है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

3. (क्र. 22) श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2016 से 27 नवम्बर, 2017 तक राजस्व विभाग के कुल कितने क्षेत्रफल से अवैध कब्जा हटाया गया ? (ख) उल्लेखित भूमि में निर्मित कुल कितने कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा गया है. (ग) उल्लेखित भूमि मकान में कब्जा धारी कब से काबिज थे ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2016 से 27 नवम्बर 2017 तक राजस्व विभाग के कुल 184.24 एकड़ क्षेत्रफल से अवैध कब्जा हटाया गया है. (ख) उल्लेखित भूमि में निर्मित कुल 39 कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा गया है. (ग) उल्लेखित भूमि मकान में कब्जाधारी 7-8 वर्षों के मध्य से काबिज थे.

रायगढ़ जिला में कुपोषण नियंत्रण पर व्यय राशि

4. (क्र. 30) **श्री उमेश पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 व 2017-18 में रायगढ़ जिलांतर्गत विभिन्न विकासखंडों में कुपोषण पर नियंत्रण पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों में विकासखंडवार चिन्हित कुपोषित बच्चों की जानकारी देवें. (ग) रायगढ़ जिले के विकासखंडों में कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुपोषण पर नियंत्रण हेतु प्रमुख घटकों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में रुपये 2[illegible]265354/- एवं वर्ष 2017-18 में 31 अक्टूबर, 2017 तक रुपये 103142782/- की राशि व्यय की गई है. (ख) चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) रायगढ़ जिले में कुपोषण पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं. इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री

---

† परिशिष्ट "बाईस"

बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री अमृत योजना, वजन त्यौहार का आयोजन, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधयों का क्रियान्वयन, प्रमुख उल्लेखनीय प्रयास है.

रायगढ़ जिला में विभिन्न उद्योगों द्वारा जमीन अधिग्रहण

5. (क्र. 31) **श्री उमेश पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिलांतर्गत विभिन्न विकासखंडों में विगत 5 वर्षों में किन-किन औद्योगिक समूह द्वारा कितने-कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गयी है ? (ख) क्या भू-अधिग्रहण अधिनियम अंतर्गत किसानों से अधिग्रहित किए गए जमीन में उद्योगों का स्थापना की गयी हैं ? यदि नहीं तो क्या नियम अंतर्गत किसानों को जमीन वापस दिया गया है ? (ग) यदि नहीं तो क्या वापस करने की कार्यवाही की जा रही हैं ? यदि हां तो तय सीमा बताने का कष्ट करें. यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिलांतर्गत विभिन्न विकासखण्डों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योग विभाग के लिए विगत पांच वित्तीय वर्षों में 3720 किसानों की भूमि अधिग्रहित किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में संलग्न है. (ख) औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि में उद्योग स्थापना की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कालम 07 में उल्लेखित है. (ग) निरंक.

रायगढ़ जिला में भूमि अधिग्रहण के मुआवजें के लंबित प्रकरण

6. (क्र. 42) **श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में भूमि अधिग्रहण मुआवजों के कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) बुलेकरा एनीकट में कितने किसानों की कितने भूमि एवं शासकीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ग) उक्त कार्यों के लिए शासन ने कितनी राशि भू-अर्जन अधिकारी को कब और कितनी राशि दी गई है. विकासखण्डवार दीजिए ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कुल 139 प्रकरण लंबित है. (ख) बुलेकरा एनीकट हेतु ग्राम बुलेकरा के 11 किसानों की 2.493 हेक्टर निजी भूमि का अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. बुलेकरा एनीकट में प्रभावित शासकीय भूमि रकबा 1.210 हे. का आवंटन/हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से अप्राप्त रहने के कारण आवंटन या हस्तांतरण नहीं किया गया है. (ग) अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उप संभाग घरघोड़ा के पत्र दिनांक 26-03-2016 द्वारा अनुमानित मुआवजा राशि 15,00,000/- भू-अर्जन अधिकारी के पी. डी. खाते में जमा कराया गया है.

रायगढ़ जिले में मितानीनों को साइकल वितरण

7. (क्र. 43) **श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में मितानीनों को नवम्बर, 2017 की स्थिति में कितनी साइकलों का वितरण किया गया हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) कितनी वितरण किया जाना शेष है कब तक पूर्ण वितरित कर दी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) रायगढ़ जिले में मितानीनों को नवम्बर, 2017 की स्थिति में 1950 साइकलों का वितरण किया गया हैं ? विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड का नाम	सायकल प्राप्त करने वाले मितानीनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	बरमकेला	200
2.	धरमजयगढ़	200
3.	घरघोड़ा	200

† परिशिष्ट "तेईस "

(1)	(2)	(3)
4.	खरसिया	250
5.	लैलूंगा	200
6.	पुसौर	200
7.	रायगढ़	250
8.	सारंगढ़	250
9.	तमनार	200
	योग	1950

(ख) कुल 1475 पंजीकृत मितानिनों को वितरण किया जाना शेष है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

8. (क्र. 58) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युत विहीन हैं ? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं पेयजल तथा हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र कवर्धा में 554 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युत विहीन है. (ख) विधान सभा क्षेत्र कवर्धा में 269 आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय एवं 160 आंगनबाड़ी केन्द्र में पेयजल/हैण्डपम्प व्यवस्था नहीं है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

कबीरधाम जिले में सूखा राहत योजनांतर्गत चिन्हांकित कृषक

9. (क्र. 59) **श्री अशोक साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरधाम जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अक्टूबर, 2017 तक कितने कृषकों को सूखा राहत का मुआवजा भुगतान हेतु चिन्हांकित किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : कबीरधाम जिलें में वर्ष 2017-18 में अक्टूबर 2017 तक सूखा राहत मुआवजा हेतु चिन्हांकित कृषकों का विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	कृषकों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	9358
2.	सहसपुर-लोहारा	17907
3.	बोड़ला	17620
4.	पण्डरिया	9409
	योग	**54294**

जिला कांकेर में विद्युतीकरण कार्य

10. (क्र. 66) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में वर्ष 2014 से माह नवंबर 2017 तक कौन-कौन सी योजनाओं के तहत कितने ग्राम/पारा/मजराटोलों एवं गली विद्युतीकरण कार्य हेतु कुल कितनी-कितनी राशि स्वीकृति की गई सौर सुजला के अंतर्गत कुल कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत स्वीकृत कार्यों से कुल कितने ग्राम/पारा/मजराटोलों एवं गली विद्युतीकरण कब तक पूर्ण किया जाना था ? कितनों में पूर्ण हुए तथा कितने शेष हैं ? पूर्ण कार्यों में से कितने में विद्युत प्रवाह

† परिशिष्ट "चौबीस"

प्रारंभ कर दिया गया है तथा कितनी में नहीं ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवे ? (ग) प्रश्नांश ''क'' के तहत सौर सुजला के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत हुए एवं कितनों में कनेक्शन दिया गया एवं कितने में शेष है तथा कब तक कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला कांकेर में विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम एवं बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत कार्यों की राशि की योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शित है. सौर सुजला के अंतर्गत कुल 1985 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए. (ख) उत्तरांश "क" के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से ग्राम एवं बसाहटों के विद्युतीकरण में पूर्ण तथा शेष कार्यों तथा योजना में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि की विधानसभा क्षेत्रवार योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शित है. सभी पूर्ण कार्य में विद्युत प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया है. (ग) उत्तरांश के अंतर्गत सौर सुजला योजना में प्राप्त 1985 आवेदनों में से 1269 स्वीकृत हुए एवं 860 कृषकों को कनेक्शन प्रदाय किया गया है एवं 696 शेष है. शेष सभी आवेदकों को मार्च 2018 तक कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है.

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में श्रमिकों का पंजीयन/प्रशिक्षण/अनुदान

11. (क्र. 68) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में किस-किस योजना में कितने श्रमिकों का वर्ष 2014-15 से माह नवम्बर, 2017 तक पंजीयन किया गया एवं कितनी राशि श्रमिकों के प्रशिक्षण/सामग्री क्रय/अनुदान हेतु स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) उपरोक्त पंजीकृत श्रमिकों में से कितनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं उनको कौन-कौन सी सामग्री वितरण की गई एवं उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय की गई ? विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से कितने को विभिन्न योजनाओं के अनुसार अनुदान से लाभान्वित किया गया ? (घ) क्या पंजीकृत श्रमिकों को दिये गये अनुदान/प्रशिक्षण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गयी विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से माह नवम्बर, 2017 तक छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 6,738 निर्माण श्रमिकों का एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत 2,211 कर्मकारों का पंजीयन किया गया है विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाई गई है. उक्त अवधि में श्रमिकों के प्रशिक्षण/सामग्री क्रय/अनुदान हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा राशि रुपये 1,88,50,542/- एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा राशि रुपये 10,93,291/- स्वीकृत की गई है, वर्षवार विकासखंडवार स्वीकृत राशि का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" में दर्शाई गई है. (ख) छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों में से 865 श्रमिकों ने प्रश्नांकित अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं श्रमिकों को कोई सामग्री प्रदाय नहीं किया गया है. प्रशिक्षण हेतु रुपये 77,13,877/- व्यय की गई है. विकासखण्डवार एंव वर्षवार विवरण †† संलग्न प्रपत्र "द" में दर्शाई गई है. (ग) छ. ग. भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों में से 5,781 एवं छ. ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों में से 575 श्रमिकों को प्रश्नांकित अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है. वर्षवार/योजनवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ई" एवं "फ" में दर्शाई गई है. (घ) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

12. (क्र. 73) **श्री रामलाल चौहान** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में 15 नवम्बर, 2017 की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये है तथा कितने प्रस्तावित है ? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' के तहत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं तो कब तक करा दी जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए यथासंभव बजट उपलब्धता अनुसार आवश्यक सुविधाएं आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ होने के उपरांत समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है. यह एक सतत् प्रक्रिया है. अत: निश्चित समयावधि बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

---

† परिशिष्ट "पच्चीस" †† परिशिष्ट "छब्बीस" ‡ परिशिष्ट "सत्ताईस"

जिला धमतरी में पायका योजना के तहत स्वीकृत राशि

13. (क्र. 76) **श्री गुरूमुख सिंह होरा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला धमतरी को वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 (31 अक्टूबर तक) में पायका योजना अंतर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं किन-किन ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनवाया गया ? वर्षवार जानकारी देवें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : प्रश्न में उल्लेखित अवधि में पायका योजना संचालित नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का संचालन

14. (क्र. 90) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का संचालन किन-किन महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है ? केन्द्रवार महिला समूहवार बतावें ? (ख) विगत एक वित्तीय वर्ष में रेडी टू ईट एवं किशोरी शक्ति आहार का भुगतान महिला समूह को कितना किया गया है ? कितना भुगतान करना शेष है ? (ग) रेडी टू ईट एवं किशोरी शक्ति आहार का प्रति माह कटौती राशि का भुगतान कब तक का किया गया है ? कितना भुगतान करना शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" अनुसार है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में विगत एक वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड की राशि 14,16,89,574/- रुपये एवं किशोरी बालिकाओं की राशि 14,47 ,78,621 रुपये का भुगतान महिला स्व सहायता समूहों को भुगतान किया गया है तथा रेडी टू ईट फूड की 58,71,131/- रुपये एवं किशोरी बालिकाओं की राशि 83,88,371/- रुपये का भुगतान करना शेष है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब" अनुसार है.

तहसील जैजैपुर में उपतहसील में स्वीकृत एवं रिक्त पद

15. (क्र. 91) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील जैजैपुर के अंतर्गत कितनी उपतहसील हैं ? उक्त तहसील में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) ग्राम भोथिया में उपतहसील कार्यालय कब से संचालित हो रहा है ? एवं वहां पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की संख्या भी बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) तहसील जैजैपुर के अंतर्गत 02 उप तहसील (हसौद एवं भोथिया) हैं. उप तहसील हसौद एवं भोथिया के लिये पृथक से पद स्वीकृत नहीं है. तहसील जैजैपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1.	तहसीलदार	01	01	0
2.	नायब तहसीलदार	02	02	0
3.	सहायक ग्रेड-02	05	04	01
4.	सहायक ग्रेड-03	05	04	01
5.	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	0
6.	वाहन चालक	01	0	01
7.	मालजमादार	01	0	01
8.	भृत्य	04	0	04
9.	फर्रास	01	0	01
10.	चौकीदार	01	0	01
11.	प्रोसेस सर्वर	02	0	02
12.	अंशकालीन स्वीपर	01	0	01

(ख) ग्राम भोथिया उप तहसील कार्यालय दिनांक 25-01-2002 से संचालित है. सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को लिंक कोर्ट लगाये जाने हेतु नियत की गई है. इस उप तहसील में पृथक से अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ नहीं है.

राजनांदगांव जिले में भूखंड डायवर्सन के प्राप्त आवेदन

16. (क्र. 98) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 27 नवंबर, 2017 तक डायवर्सन के कितने आवेदन प्राप्त किये गये ? (ख) उक्त प्रकरणों में कितने प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है ? शेष प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 27 नवम्बर 2017 तक कुल 1513 डायवर्सन के आवेदन पत्र प्राप्त हुये. (ख) उक्त प्रकरणों में से 1236 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है. वर्तमान में निराकरण हेतु 250 प्रकरण शेष है. छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अंतर्गत नियत समय अवधि के भीतर शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है.

राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन

17. (क्र. 99) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत विगत दो वित्तीय वर्षों में कितना आवंटन प्राप्त हुआ ? (ख) उक्त समयावधि में कौशल विकास योजनांतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया एवं इनमें से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत विगत दो वित्तीय वर्षों में, वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1,84,00,000 एवं वर्ष 2016-17 में राशि रु. 5,30,00,000 आवंटन प्राप्त हुआ. (ख) उक्त समयावधि में जिला राजनांदगांव में वर्ष 2015-16 में 5266 एवं वर्ष 2016-17 में 6074 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2015-16 में 1251 व वर्ष 2016-17 में 2800 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ.

डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री तीर्थयात्री योजना अंतर्गत लाभार्थी यात्रिओं की संख्या

18. (क्र. 103) **श्रीमती सरोजनी बंजारे** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 26 नवंबर 2017 तक कितने तीर्थयात्रियों को कहां-कहां की यात्रा कराई गई ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) उक्त यात्रा हेतु किन-किन मापदंडो के तहत यात्रियों का चयन किया गया ? (ग) उक्त यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 26 नवंबर 2017 तक 583 तीर्थयात्रियों को सिंहस्थ कुंभ उज्जैन, गंगासागर, बिरला मंदिर, कालीघाट मंदिर, अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा (चिस्ती की दरगाह), द्वारका सोमनाथ नागेश्वर, शिरडी शनि सिंगनापुर, त्रयम्बकेश्वर, तख्त श्री पटना साहेब, वैष्णोदेवी, रघुनाथ मंदिर, बघेबाहु, बोधगया, सारनाथ, नालंदा, कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ट मुनि का आश्रम, उमानंद मंदिर, शिवजी मंदिर, शंकरकला क्षेत्र गुवाहाटी की यात्रा कराई गई है. विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र ""अ" पर † संलग्न है. (ख) यात्रियों के चयन का मापदंड प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. (ग) यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण प्रपत्र "स" पर † संलग्न है.

राजनांदगांव में सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित भूमिस्वामियों को मुआवजा

19. (क्र. 104) **श्रीमती सरोजनी बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड़-डोंगरगढ़ मार्ग में बधियाटोला से नीचे मंदिर तक लंबाई 3.10 कि. मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिये धारितभूमि के प्रभावित भूमिस्वामियों को निर्धारित मुआवजा राशि प्रदाय कर दी गई है ? यदि नहीं तो कब तक दी जायेगी ? (ख) प्रभावित भूमिस्वामियों के नाम निर्धारित मुआवजा राशि सहित दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी नहीं. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है.

---

† परिशिष्ट "अट्ठाईस"

छ. ग. प्रदेश में आई. ए. एस., आई. पी. ़ वानिवृत्ति

20. (क्र. 109) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने क करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कि ा से बर्खास्त/जबरिया सेवानिवृत्त किये गये ? नाम एवं कारण सहित जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : प्रदेश में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरा ाई. ए. एस., आई. पी. एस. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बर्खास्तगी/जबरिया सेवानिवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :- (1) र्ष 2016-17 में आई. ए. एस. की जानकारी निरंक है एवं 2017-18 में अखिल भारतीय सेवा (डी. सी. आर. बी.) नियम, 1958 के नियम 16 (ः) के तहत भारत सरकार के आदेश दिनांक 9-8-2017 द्वारा श्री अजय पाल सिंह (भा. प्र. से. 1986) एवं श्री बी. एल. अग्रवाल, भाप्रसे. (1988) को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है. (2) वर्ष 2016-17 के दौरान आई. पी. एस. के 1 अधिकारी श्री राजकुमार देवांगन एवं वर्ष 2017-18 में 2 अधिकारी श्री के. सी. अग्रवाल एवं श्री ए. एम. जूरी को अखिल भारतीय सेवा (डी. सी. आर. बी.) नियमावली, 1958 के नियम 16 (3) के तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है. (3) वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी श्री के. पी. देवांगन (रा. प्र. से. आर. आर.-1997), संयुक्त कलेक्टर को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कांकेर की पदस्थापना के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता बरतने के कारण संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाये जाने एवं डॉ. संतोष कुमार देवांगन (रा. प्र. से.) को माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बिलासपुर द्वारा विशेष प्रकरण (क्रिमिनल) क्रमांक 440/2014 में पारित निर्णय दिनांक 6-6-2017 द्वारा धारा 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) (ii) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, एवं धारा 467 भादवि के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 468 भा. द. वि. के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 471 भा. द. वि. के अपराध में 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 (नौ) के तहत् क्रमश: दिनांक 6-9-2016 एवं 14-07-2017 को सेवा से पदच्युत किया गया है तथा वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी श्री जी. सी. नाहटा (रा. प्र. से. पी-98) एवं श्री ओम प्रकाश वर्मा (रा. प्र. से. पी.-05) को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7-1/2017/1-3, दिनांक 25-4-2017 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम, 56 के नियम 2 (क) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन के अनुमोदन से लोकहित में तारीख 24-08-2017 से सेवानिवृत्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विमान/हेलीकॉप्टर क्रय

21. (क्र. 111) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों में कितने विमान/हेलीकॉप्टर क्रय किये गये अथवा लीज पर लिये गये ? ये विमान/हेलीकॉप्टर किन कंपनियों से क्रय/लीज पर लिये गये ? (ख) उपरोक्त विमानों/हेलीकॉप्टरों के क्रय/लीज पर कितनी राशि खर्च की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राज्य शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों में क्रय किये गये तथा लीज पर लिये गये विमान/हेलीकॉप्टर की जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) क्रय किये गये तथा लीज पर लिये गये विमान/हेलीकॉप्टर पर खर्च की गई राशि की जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है.

सिरपुर के किसानों की लंबित मुआवजा प्रकरण

22. (क्र. 120) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरपुर के कितने किसानों के भूमि मुआवजे के प्रकरण राजस्व विभाग में प्रक्रियाधीन हैं ? नाम एवं रकबा सहित बतायें. (ख) इन प्रकरणों का निपटारा कब तक किया जायेगा ? एवं किसानों के मुआवजा वितरण कब तक किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सिरपुर के 01 किसान घासीराम पिता हुरदो की भूमि खसरा नंबर 19 रकबा 0.56 हेक्टर का मुआवजा प्रकरण राजस्व विभाग में प्रक्रियाधीन है. (ख) प्रकरण में प्रारंभिक सर्वे कर लिया गया है. भू-. अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 4 (1) की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने के उपरांत मुआवजा वितरण किया जावेगा.

---

† परिशिष्ट "उन्तीस"

बालोद जिले में क्रेडा द्वारा सौर संयंत्रों की स्थापना

23. (क्र. 127) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में 27 नवम्बर 2017 तक बालोद जिले में क्रेडा द्वारा कितने यूनिट सौर संयत्र स्थापित किए गये हैं ? स्थापित यूनिट के प्रकार एवं क्षमता की स्थानवार जानकारी देवें ? इनमें से कितने चालू एवं कितने बंद हैं ? (ख) सौर ऊर्जा यूनिट स्थपित किये जाने हेतु अनुदान देने की क्या-क्या शर्तें हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में 27 नवम्बर 2017 तक बालोद जिले में क्रेडा द्वारा 678 यूनिट सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं. स्थापित सौर संयंत्र के प्रकार एवं क्षमता की स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" में दर्शित है. कुल स्थापित सौर संयंत्रों में से 659 कार्यशील है एवं 19 अकार्यशील है. (ख) सौर ऊर्जा यूनिट स्थापित किये जाने हेतु अनुदान की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" एवं "तीन" में दर्शित है.

बालोद जिले में विभाग को प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि

24. (क्र. 128) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में 27 नवम्बर 2017 तक बालोद जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण मुक्ति एवं नवाजतन योजना के तहत् कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ ? वर्षवार योजनावार जानकारी देवें ? (ख) प्राप्त आवंटन में से कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया ? कुपोषण मुक्ति में कितने प्रतिशत सफलता मिली ? (ग) 27 नवम्बर 2017 की स्थिति में बालोद जिले में कितने बच्चे कुपोषित एवं अतिकुपोषित की श्रेणी में है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बालोद जिले में वर्ष 2015-16 से 2017-18 में 27 नवम्बर 2017 तक प्राप्त आवंटन की वर्षवार योजनवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. जिले में वजन त्यौहार के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2015 में 31.91 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे तथा वजन त्यौहार वर्ष 2016 में 24.29 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे. उक्तानुसार तुलनात्मक रूप से बच्चों के कुपोषण दर में 7.62 प्रतिशत की कमी आई है. (ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन अक्टूबर 2017 के अनुसार जिले में कुल 62309 बच्चों में से 10892 बच्चे कुपोषित एवं 1583 बच्चे अतिकुपोषित की श्रेणी में पाये गये हैं. मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार विकासखण्डवार कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

बस्तर संभाग के ग्रामों में विद्युतीकरण

25. (क्र. 138) **श्री कवासी लखमा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 से अक्टूबर 2017 तक बस्तर संभाग के कितने ग्रामों मजराटोलों, पारों को विद्युतीकरण किया गया है ? कितना शेष है शेष को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ? जिलेवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर संभाग के अंतर्गत ग्रामों एवं बसाहटों के विद्युतीकरण की जिलेवार पूर्ण किये गये कार्य एवं शेष कार्य तथा कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	योजना में स्वीकृत कार्यों की संख्या		कालम 03 एवं 04 में से पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या		कालम 03 एवं 04 के शेष कार्यों की संख्या		कालम 07 एवं 08 के शेष कार्यों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य
		ग्राम	बसाहट	ग्राम	बसाहट	ग्राम	बसाहट	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बस्तर	574	3782	338	2699	236	1083	सितम्बर 2018
2.	दंतेवाड़ा	296	1289	143	627	153	662	दिसम्बर 2018

† परिशिष्ट "तीस"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	सुकमा	384	943	217	585	167	358	दिसम्बर 2018
4.	बीजापुर	481	1176	304	731	177	445	दिसम्बर 2018
5.	कांकेर	491	1910	125	1208	366	702	दिसम्बर 2018
6.	कोण्डागांव	765	3961	496	2773	269	1188	मार्च 2018
7.	नारायणपुर	503	1046	344	614	159	432	मार्च 2018
	योग	3494	14107	1967	9237	1527	4870	

जिला दुर्ग में रेत खनन की प्राप्त स्वीकृति

26. (क्र. 152) **राजमहंत सावंलाराम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिला अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में किन-किन नदियों से किन-किन स्थानों पर रेत खनन के लिए स्वीकृति दी गई है ? नदी व स्थान का नाम बतावें ? (ख) उक्त स्वीकृत स्थानों पर रेत खनन किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकृत है तथा उक्त स्थानों पर खनन किस माध्यम (मजदूर/मशीन) से किया जाना है ? विवरण सहित बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिला अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में रेत खनन के लिए स्वीकृत रेत खदानों की नदी एवं स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 के अनुसार रेत खदानों के संचालन एवं नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है. रेत खनन कार्य के माध्यम की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम '6' पर दर्शित है.

जिला दुर्ग में एलईडी बल्ब का वितरण

27. (क्र. 153) **राजमहंत सावंलाराम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में किस योजना के तहत कितने लोगों को एल. ई. डी. बल्ब वितरण किया गया है ? (ख) उपरोक्त प्रदाय किये गये एल. ई. डी. बल्ब की गारंटी सीमा क्या है ? और गारंटी सीमा के भीतर बल्ब खराब हो जाने पर इसका बदलाव कहां पर किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री एल. ई. डी. लैम्प वितरण योजना के अंतर्गत दिनांक 03-12-2017 तक कुल 1,41,292 (43,004 बी. पी. एल. तथा 98,288 ए. पी. एल.) उपभोक्ताओं को एल. ई. डी. बल्ब वितरण किया गया है. (ख) मुख्यमंत्री एल. ई. डी. लैम्प वितरण योजना के अंतर्गत वितरित किए गए एल. ई. डी. बल्ब की गारंटी सीमा बल्ब वितरण के दिनांक से 03 वर्ष की है. उक्त गारंटी की अवधि में एल. ई. डी. बल्ब के खराब होने पर उसे जिला दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संभागीय कार्यालयों यथा (1) दुर्ग शहर-पद्मनाभपुर, (2) भिलाई शहर (पूर्व), भिलाई-3, (3) भिलाई शहर (पश्चिम)-सेक्टर 08, (4) दुर्ग (संचालन/संधारण) संभाग-कार्यालय सेक्टर 08 तथा (5) भिलाई (संचालन/संधारण) संभाग-कार्यालय सेक्टर 08 सहित मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित अस्थाई काउन्टर से किया जा रहा है.

नयी राजधानी रायपुर क्षेत्र में खनिज खदानों की स्वीकृति

28. (क्र. 162) **श्री अरूण वोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर क्षेत्र से लगे गांवों में वर्ष 2016-17 से माह नवम्बर, 2017 तक कुल कितनी खनिज खदानों की स्वीकृति दी गई है, क्या एन. आर. डी. ए. की ओर से इस संबंध में कोई

† परिशिष्ट "इक्तीस"

शिकायत की गई है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या इन खदानों से खनिज के उत्खनन के कारण नया रायपुर क्षेत्र में इन खनिजों के परिवहन से लगातार सड़कें खराब हो रही है और नया रायपुर क्षेत्र वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है ? (ग) इन क्षेत्रों में अवैध खनिज के परिवहन को रोकने के लिए किन-किन क्षेत्रों में बेरियर लगाए गए है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) नया रायपुर क्षेत्र से लगे गांवों में वर्ष 2016-17 से माह नवम्बर 2017 तक 05 उत्खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये है तथा उक्त अवधि में कोई उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है. एन. आर. डी. ए. द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) नया रायपुर क्षेत्र में स्वीकृत खदानों से खनिज उत्खनन कर उक्त क्षेत्र के शासकीय निर्माण कार्यों में ही उपयोग किया जा रहा है. खनिज परिवहन से नयी राजधानी क्षेत्र के सड़कों के खराब होने के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय, रायपुर को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अपितु एनआरडीए ने क्षमता से अधिक भार लदे होने तथा सड़क पर गिट्टी गिरने से मार्गों की सतह खराब होने की जानकारी दी है. पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति में तारपोलिन ढककर खनिज परिवहन करने के निर्देश सभी पट्टेदारों को दिये गये है. कलेक्टर रायपुर द्वारा सभी पट्टादारों को उक्त शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये है. ग्राम मंदिरहसौद में दिनांक 07-12-2017 को पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा कराये गए मॉनिटरिंग अनुसार परिवेशीय वायु में धूल कणों (पी. एम. 10) की मात्रा निर्धारित सीमा से कम पाई गई है. इस प्रकार नया रायपुर क्षेत्र में संचालित खदानों से वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है. (ग) ग्राम मंदिरहसौद एवं पिरदा में स्थापित खनिज जांच चौकी में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जाती है.

सरगुजा संभाग में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल में श्रमिकों का पंजीयन

29. (क्र. 169) **श्री अमरजीत भगत** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग में 01 अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2017 की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण हेतु कितने श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त तिथि तक इनमें से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितने श्रमिकों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई ? योजनावार लाभांवित श्रमिकों की संख्या जिलेवार बताएं ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) सरगुजा संभाग में 1 अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2017 की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1,38,003 तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में 21,921 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न "अ" में दर्शाई गई है. (ख) उक्त तिथि तक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभान्वित श्रमिकों की जानकारी योजनावार एवं जिलेवार † संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" में दर्शाई गई है.

अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

30. (क्र. 170) **श्री अमरजीत भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्माणाधीन अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु कुल कितने व्यक्तियों की भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की गई तथा उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा निर्धारण का आधार शासन ने किस प्रकार निर्धारित किया था ? (ख) उक्त रोड में कितने व्यक्तियों के मुआवजा निर्धारण का आधार हेक्टेयर था और कितने व्यक्तियों के मुआवजा निर्धारण का आधार वर्गफीट में किया गया ? (ग) मुआवजा राशि के निर्धारण पर कितने व्यक्तियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.

कोन्डागांव जिला में खेल एवं युवा कल्याण विभाग को स्वीकृत एवं व्यय राशि

31. (क्र. 181) **श्री संतराम नेताम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोन्डागांव जिला मे खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि किस-किस मद में कितनी-कितनी व्यय की गई ?

† परिशिष्ट "बत्तीस"

(ख) कंडिका "क" अंतर्गत कौन-कौन से खेल में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) कोण्डागांव जिला में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए रुपए 1222752/- आवंटित की गई थी एवं वर्ष 2017-18 के लिए रुपए 1251502/- आवंटित की गई थी. मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट में †संलग्न है. (ख) कंडिका "क" के अनुसार हॉकी, हैण्डबॉल, एथलेटिक, तीरंदाजी खेल विधाओं में राज्य स्तर पर 120 खिलाड़ी का चयन हुआ है. इन्हीं में से 08 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए भी हुआ है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सूखा राहत मुआवजा राशि के भुगतान हेतु चिन्हांकित कृषक

32. (क्र. 182) **श्री संतराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कितने कृषकों को सूखा राहत मुआवजा राशि के भुगतान हेतु चिन्हांकित किया गया है ? (ख) कितने कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान किया गया है ? कितने को किया जाना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र के 19776 कृषकों को चिन्हांकित किया गया है. (ख) किसी भी कृषक मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है. 19776 कृषकों को भुगतान किया जाना शेष है.

जिला बालोद में धान फसल की क्षति एवं कृषकों को प्रदत्त सहायता

33. (क्र. 193) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में इस वर्ष रोपित धान की फसल में कितनी मात्रा में क्षति हुई है ? क्षति के क्या कारण है ? विधान सभा क्षेत्रवार रकबा बतावें ? (ख) क्या बालोद जिले को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है ? (ग) क्या सूखा प्रभावित किसानों का कर्ज माफ किया जावेगा ? (घ) क्षति हुई फसलों के एवज में संबंधित किसानों को सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बालोद जिले में रोपित धान की फसल में से 18448.18 **हेक्टेयर** क्षति हुई है. क्षति का कारण अल्प वर्षा एवं कीट प्रकोप (भूरा माहू) है. विधानसभा क्षेत्रवार रकबे की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का नाम	फसल क्षति (हेक्टेयर में)	
		सूखा से	कीट प्रकोप माहू से
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालोद	754.96	955.77
2.	गुण्डरदेही	7192.93	866.59
3.	डौंडीलोहारा	7287.61	1390.32
		15235.50	**3212.68**

(ख) बालोद जिले के गुरूर, गुण्डरदेही, डौंडी, डौंडीलोहरा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. (ग) सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है. राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में ऋण माफी का निर्णय नहीं लिया गया है. (घ) प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार फसल क्षति हेतु आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान की जावेगी.

ग्रामीण आबादी का सर्वे

34. (क्र. 211) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण आबादी सर्वे पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो पूर्ण तथा शेष गांव की संख्या जिलावार बताइये ? सर्वे पूर्ण हो चुके गांव में आबादी पट्टा हेतु पात्र व्यक्तियों/परिवारों की जिलावार संख्या बताइये ? (ख) ग्रामीण आबादी पट्टा हेतु पात्रता के मापदण्ड क्या-क्या हैं ? क्या पुराने पट्टेदारों को भी नये पट्टे दिये जाने वाले हैं ? यदि हां तो उनकी जिलेवार संख्या बताईये ?

† परिशिष्ट "तैंतीस"

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी सर्वेक्षण की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) ग्राम की प्रचलित आबादी में निवासरत परिवार जिन्हें छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत् भूमिस्वामी के अधिकार प्रदत्त हैं, परन्तु जिनके पास भूमिस्वामी संबंधी दस्तावेज नहीं है, को भूमिस्वामी होने का प्रमाण-पत्र दिये जाने की योजना है. वर्तमान में ऐसे परिवार जिनके पास भूमिस्वामी होने का प्रमाण-पत्र है, को पुन: नये प्रमाणपत्र दिये जाने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं.

बस्तर जिले अंतर्गत प्राप्त खनिज रायल्टी

35. (क्र. 234) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले अंतर्गत वर्ष 2015 से 27-11-2017 की स्थिति में कितनी राशि बतौर रायल्टी खनिज विभाग द्वारा प्राप्त की गई ? प्राप्त रायल्टी किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : बस्तर जिला अंतर्गत वर्ष 2015 से 27-11-2017 की स्थिति में कुल 30 करोड़, 47 लाख, 58 हजार, 24 रुपये रायल्टी राशि विभाग को प्राप्त हुई है. प्राप्त राशि में से गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि ही पंचायतों को वितरित की जाती है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त रायल्टी राशि में से वर्ष 2016-17 में रुपये 6 करोड़, 22 लाख, 41 हजार राशि का पंचायतवार वितरण की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त रायल्टी राशि में से वर्ष 2017-18 में वितरण हेतु रुपयें 6 करोड़, 85 लाख, 23 हजार जिला कार्यालय, बस्तर को दिनांक 29-11-2017 को प्रेषित किया गया है, जिसके वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है.

बस्तर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का रखरखाव/मरम्मत

36. (क्र. 235) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में 27-11-17 तिथि की स्थिति में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन युक्त हैं ? कितने भवन विहीन ? विकासखण्डवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2015-16 से 27-11-17 तक कितने भवनों का रखरखाव व मरम्मत में कितनी राशि व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बस्तर जिले में 27-11-2017 की स्थिति में 1354 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन युक्त है एवं 563 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन है. विकासखण्डवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) वर्ष 2015-16 से 27-11-2017 तक 1227 आंगनबाड़ी भवनों के रखरखाव व मरम्मत में राशि रुपये 46,78,000.00 (अक्षरी-रुपये छयालीस लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र) व्यय की गई है.

सूरजपुर जिले में राज्य शासन की योजनाओं का प्रसार प्रचार पर व्यय

37. (क्र. 244) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राज्य शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कितनी राशि व्यय की गई ? एजेन्सीवार जानकारी प्रदान करें. (ख) सूरजपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राज्य शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राज्य शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु व्यय की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु व्यय की गई राशि रुपये	एजेंसी का नाम	भुगतान (व्यय) की गई राशि रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	3,40,500-00	सूरजपुर जिले में नाचा दलों, कला जत्थों, वॉल पेंटिंग, स्लोगन, फोटो प्रदर्शनी, सूचना शिविर आदि के माध्यम से शासकीय प्रचार-प्रसार पर व्यय-	3,40,500-00

† परिशिष्ट "चौंतीस" †† परिशिष्ट "पैंतीस" ‡ परिशिष्ट "छत्तीस"

(1)	(2)	(3)	(4)
2017-18	निरंक	निरंक	निरंक

(ख) वर्ष 2016-17 में जिला जनसंपर्क कार्यालय, सूरजपुर को शासकीय प्रचार-प्रसार क लिए कुल राशि रु. 3,40,500-00 (रुपये तीन लाख चालीस हजार पांच सौ) मात्र आवंटित की गई. वर्ष 2017-18 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है.

प्रदेश में प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत पद

38. (क्र. 245) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में नवंबर 2017 की स्थिति में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्राध्यपकों एवं सहायक प्राध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पदस्थ है और कितने रिक्त हैं ? (ख) कितने पदों के विरुद्ध संविदा में एवं कितने पदों पर अतिथि प्राध्यापकों द्वारा सेवायें दे जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

पदनाम	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त
प्राध्यापक	591	17	574
सहायक प्राध्यापक	3846	2371	1475

(ख) 33 पदों के विरुद्ध संविदा एवं 383 पदों के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापक द्वारा सेवायें दी जा रही है.

कोन्डागांव में मल्टीपरपज इंडोर हाल, जिला स्टेडियम तथा स्वीमिंग पुल निर्माण की स्वीकृति

39. (क्र. 251) **श्री मोहन मरकाम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या 05 दिनांक 28 फरवरी 2017 के अनुसार क्या अंतिम चरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्राप्त हो गई है ? (ख) यदि नहीं तो विभाग द्वारा अंतिम चरण की स्वीकृति हेतु कब प्रस्ताव भेजा गया तथा इस संबंध में किन बिन्दुओं के निराकरण हेतु कब-कब भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पत्र व्यवहार किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) जी हॉं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

40. (क्र. 262) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? और कितने गांवों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ? 'ग्रामवार विकासखण्डवार जानकारी देवें.' (ख) कितने गांवों/पाराओं में विद्युतीकरण बाकी है ? 'ग्रामवार विकासखण्डवार जानकारी देवे.'

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के समस्त 233 आबाद ग्राम नवम्बर 2017 की स्थिति में विद्युतीकृत हैं. चित्रकोट विधानसभा के 162 ग्रामों की समस्त बसाहटों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. शेष 71 ग्रामों में से 27 ग्रामों के 296 बसाहटों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है. ग्रामवार, विकासखण्डवार सूची † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 44 ग्रामों के 116 बसाहटों का सघन विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

† परिशिष्ट "सैंतीस"

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की प्राप्त शिकायतें

41. (क्र. 263) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने ग्रामों में लो-वोल्टेज की शिकायतें प्राप्त हुई है ? विकासखण्डवार ग्रामवार जानकारी दी जावें. (ख) प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 11 ग्रामों में लो-वोल्टेज की शिकायतें प्राप्त हुई थी. विकासखण्डवार, ग्रामवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के उल्लेखित 11 ग्रामों में लो-वोल्टेज के समाधान हेतु अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना कर लो-वोल्टेज का निराकरण किया गया.

मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना के तहत् की गई नियुक्ति

42. (क्र. 269) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजनांतर्गत कितने लोगों की कब-कब, किन-किन पदों पर नियुक्ति की गई है ? उन्हें कहां-कहां पदस्थ किया गया है ? नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें. (ख) पदस्थ व्यक्तियों को कितना वेतन-मानदेय व अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पदस्थ जिला/विभाग	मासिक स्टायपंड	एल डब्लू ई क्षेत्र हेतु विशेष भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सुश्री स्नेह प्रिया	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-रायपुर	1,50,000	
2.	सुश्री प्रियंका सेठी	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-राजनांदगांव	1,50,000	
3.	सुश्री सुपर्णा वर्मा	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-दुर्ग	1,50,000	
4.	श्री अनास रहमान	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-बस्तर	1,50,000	25,000
5.	श्री अदीब वहाब	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-सूरजपुर	1,50,000	
6.	श्री सौम्या चक्रवर्ती	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-दंतेवाड़ा	1,50,000	25,000
7.	श्री अतुल्या ओझा	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-बिलासपुर	1,75,000	
8.	श्री आयुष	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-रायगढ़	1,75,000	
9.	श्री अयाज अहमद सिद्धीकी	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-कोरबा	1,50,000	
10.	श्री अजेश ए. नायर	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-सुकमा	1,50,000	25,000
11.	श्री कुमार देवाशीष	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-जशपुर	2,00,000	25,000

† परिशिष्ट "अड़तीस"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	श्री अल्पेश चौरसिया	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-धमतरी	1,50,000	
13.	श्री अभिनीत सिंह	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-महासमुंद	1,50,000	
14.	श्री हिमांशु अग्रवाल	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-बालोद	1,75,000	
15.	श्री अमन सहगल	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-बेमेतरा	1,50,000	
16.	श्री धरणी कांथ कोगंटि	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-बीजापुर	1,50,000	25,000
17.	श्री राहुल टिक्कू	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-जांजगीर-चांपा	1,50,000	
18.	श्री संकल्प अभिशेक	फैलो	14-11-2017	कलेक्टोरेट जिला-कवर्धा	1,50,000	
19.	श्री चैतन्य प्रकाश नंबूरी	फैलो	14-11-2017	मुख्यमंत्री सचिवालय	1,75,000	
20.	सुश्री सौम्या कोमारवोलू	फैलो	14-11-2017	मुख्यमंत्री सचिवालय	1,75,000	
21.	श्री अरूण चंद्र पात्रा	फैलो	14-11-2017	मुख्य सचिव कार्यालय	2,50,000	
22.	श्री चिंतन राज	फैलो	14-11-2017	सचिवालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1,50,000	
23.	श्री अक्षय अत्रेय	फैलो	14-11-2017	सचिवालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,25,000	
24.	श्री अंकित गोयल	फैलो	14-11-2017	सचिवालय, वित्त विभाग	1,50,000	
25.	श्री अजितेंद्र कुमार	फैलो	14-11-2017	सचिवालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,50,000	
26.	श्री आशुतोश कुमार मिश्रा	फैलो	14-11-2017	सचिवालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,50,000	
27.	श्री सत्यराज अय्यर	फैलो	14-11-2017	सचिवालय स्कूल शिक्षा विभाग	1,50,000	
28.	सुश्री प्रेरणा वाडिकर	फैलो	14-11-2017	सचिवालय महिला एवं बाल विकास विभाग	1,50,000	
29.	श्री अक्षत शुक्ला	फैलो	14-11-2017	सचिवालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	2,00,000	
30.	श्री भूपिंदर जीत	फैलो	14-11-2017	सचिवालय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1,75,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	श्री रोहित वाधवा	फैलो	14-11-2017	सचिवालय, ऊर्जा विभाग	1,50,000	
32.	श्री श्रीश अनंतप्रकाश कल्याणी	फैलो	14-11-2017	सचिवालय, समाज कल्याण विभाग	1,50,000	

(ख) पदस्थ फैलोज को दिया जाने वाला मानदेय उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है. पदस्थ फैलोज को राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता, आकस्मिक तथा ऐच्छिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जा रही है.

राज्य सरकार द्वारा अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी के मापदण्ड का पालन

43. (क्र. 278) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा अगुस्ता हेलीकॉप्टर की खरीदी कब, किस दर पर, किस कंपनी से की गई थी ? क्या इसके लिए कैबीनेट द्वारा खरीदी नियमों में संशोधन किये गये थे ? यदि हॉ तो क्यों ? (ख) क्या अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हॉं, राज्य सरकार द्वारा अगुस्ता हेलीकॉप्टर की खरीदी वर्ष 2007 में राशि रु. 25 करोड़ 96 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ छियानवे लाख मात्र) (64.55 लाख डॉलर) में अगुस्ता वेस्टलैण्ड कंपनी से की गयी. हेलीकॉप्टर खरीदी हेतु कैबीनेट द्वारा भण्डार क्रय नियमों में छूट दी गयी थी, क्योंकि टेक्नीकल कमेटी की अनुशंसानुसार अगुस्ता वेटलैण्ड हेलीकाप्टर क्रय किया जाना था. (ख) जी हॉं, अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया, ग्लोबल टेण्डर के माध्यम से खरीदी की गयी थी.

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या

44. (क्र. 279) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 में 30 नवंबर 2017 तक प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्या की ? आत्महत्या करने वाले किसान का नाम, पता सहित जिलेवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : वर्ष 2017-18 से 30 नवंबर 2017 में कुल 61 व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त हुई है. आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

आरंग वि. स. क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

45. (क्र. 285) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवंबर 2017 तक कौन-कौन से निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? कृपया वर्षवार, ग्रामवार व मदवार जानकारी देवें ? (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किन-किन आधारभूत संरचनाओं का विकास किये जाने की योजना वर्तमान में संचालित है ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना से निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है. जानकारी "निरंक" है. (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के मैदानों का रख-रखाव, मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि, खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण किए जाने की योजना वर्तमान में संचालित है

आरंग विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदन

46. (क्र. 286) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग

† परिशिष्ट "उन्तालीस"

विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2016 से नवंबर 2017 तक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्राप्त आवेदनों में कितने प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2016 से नवम्बर 2017 तक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अन्तर्गत कुल 274 आवेदन प्राप्त हुए है. (ख) प्राप्त आवेदनों में 154 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया है, 104 प्रकरण अपात्र पाये गये है. लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत कर लिया जावेगा.

राजनांदगांव जिला में भू-अर्जन के लंबित प्रकरण

47. (क्र. 293) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित है ? अधिग्रहण के प्रयोजन के आधार पर लंबित प्रकरणों की जानकारी दें ? (ख) उद्योग, सिंचाई, नहर एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण करने की समय सीमा एवं निर्धारित अवधि क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राजनांदगांव जिला में लंबित प्रकरणों की संख्या-0 (शून्य) है. (ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के अधिकतम समय सीमा 03 वर्ष 08 माह है.

राजनांदगांव जिला में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जमीन का अधिग्रहण

48. (क्र. 294) **श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच 27-11-2017 तक राजनांदगांव जिले में उद्योग स्थापना के उद्देश्य से कुल कितनी कृषि भूमि एवं शासकीय जमीन अधिग्रहण की गई ? वर्षवार उद्योगों के नाम सहित अधिग्रहित भूमि के रकबा की जानकारी दें ?** (ख) प्रश्नांकित अवधि में कितने उद्योगों द्वारा इन अधिग्रहित भूमि पर उद्योग स्थापना की प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी की गई एवं कितने द्वारा उद्योग स्थापना की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है ? अलग-अलग जानकारी देवें ? (ग) क्या भूमि अधिग्रहित के पश्चात निश्चित समयावधि में उद्योग स्थापना नहीं दिये जाने पर अधिग्रहित भूमि मूल स्वामी को वापस करने का प्रावधान है ? यदि हॉं तो इस आधार पर कितने किसानों की भूमि वापस की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में उद्योग स्थापना के उद्देश्य से कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है. प्रश्नाधीन अवधि में कुल 213.197 हेक्टेयर शासकीय भूमि का हस्तांतरण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, **राजनांदगांव को किया गया है.** जानकारी † संलग्न परिशिष्ट है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में हस्तांतरित शासकीय भूमि का आवंटन किसी भी उद्योग हेतु नहीं किया गया है. अत: उद्योग स्थापना एवं प्रक्रिया पूरी किये जाने की जानकारी निरंक है. (ग) राजनांदगांव जिले में प्रश्नाधीन अवधि में निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है. अत: अधिग्रहित भूमि मूल भूमि स्वामी को वापस किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पावर प्लांटों में नियोजित श्रमिक

49. (क्र. 299) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में संचालित पावर प्लांट आर. के. एन. पावर लिमिटेड उच्चपिंडा, डी. बी. पावर लिमिटेड बाड़ादरहा एवं एथेना पावर लिमिटेड सिंगीतराई में कितने रजिस्टर्ड श्रमिक कार्यरत है ? प्लांट द्वारा कितने-कितने स्थानीय श्रमिकों को लिया गया है ? पदवार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में संचालित कारखाना मेसर्स-आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. ग्राम-उचपिंडा, पोस्ट-घुरकोट, तह.-डभरा, कारखाना मेसर्स-डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-उचपिंडा, पोस्ट-घुरकोट, तह. डभरा, कारखाना मेसर्स-डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बडादरहा, पोस्ट-कनवेल तथा निर्माणधीन कारखाना मेसर्स-एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड, सिंघीतराई थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा में कुल 1602 पंजीकृत श्रमिक कार्यरत है. प्लांटों द्वारा 1097 स्थानीय श्रमिकों को लिया गया है. पदवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है.

---

† परिशिष्ट "चालीस"

†† परिशिष्ट "इक्तालीस"

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध विद्युत बिलों एवं खराब ट्रांसफार्मर की प्राप्त शिकायतें

50. (क्र. 300) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अवैध विद्युत बिलों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? ग्रामवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें ? (ख) विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में ट्रांसफार्मर खराब होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में ऊर्जा विभाग में अवैध विद्युत बिल की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः शिकायत पर कार्यवाही होने का प्रश्न उद्भुत नहीं होता है. (ख) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में दिनांक 30-10-2017 तक कुल 231 ट्रांसफार्मर फेल होने की शिकायतें प्राप्त हुई है. उक्त सभी 231 फेल ट्रांसफार्मर को बदलकर शिकायतें का निराकरण कर दिया गया है.

जिला जशपुर में खनिज न्यास योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति

51. (क्र. 301) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज न्यास योजनान्तर्गत जिला जशपुर में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा योजना प्रारंभ से कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई थी ? (ख) प्रस्तावित कार्यों में से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) माननीय सदस्य (अधोहस्ताक्षरकर्ता) द्वारा जशपुर जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत 07 आर. सी. सी. पुलिया निर्माण एवं 02 रिटर्निंग वाल निर्माण के कार्य प्रस्तावित किये गये थे. (ख) प्रस्तावित कार्यों में से 02 आर. सी. सी. पुलिया निर्माण कार्य (विकासखण्ड बगीचा एवं मनोरा अंतर्गत एक-एक) स्वीकृत की गई है.

राजनांदगांव जिले में लोक सुराज में प्राप्त शिकायतें

52. (क्र. 307) **श्री भोलाराम साहू** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत लोक सुराज अभियान 2017 में तीन चरणों मे कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? कितने का निराकरण किया गया ? कितनी शेष है ? शेष का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? चरणवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ख) लोक सुराज अभियान के दौरान राजनांदगांव जिले में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों द्वारा कब-कब, कहां-कहां भ्रमण किया गया ? क्या-क्या घोषणाएं की गई ? कितनी पूर्ण हुई ? कितनी प्रगति पर एवं कितनी घोषणाएं विभागीय कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है ? तिथिवार जानकारी देवें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : **(क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आयोजित** लोक सुराज अभियान 2017 में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायतों की चरणवार एवं विधानसभा वार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्राप्त शिकायत			निराकृत शिकायत			लंबित शिकायत		
		प्रथम चरण	तृतीय चरण	योग	प्रथम चरण	तृतीय चरण	योग	प्रथम चरण	तृतीय चरण	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	राजनांदगांव	1030	3	1033	1030	3	1033	0	0	0
2.	डोंगरगढ़	1178	3	1181	1178	3	1181	0	0	0
3.	खुज्जी	676	1	677	676	1	677	0	0	0
4.	डोंगरगांव	914	7	921	914	7	921	0	0	0
5.	खैरागढ़	552	3	555	552	3	555	0	0	0
6.	मोहला/मानपुर	1029	0	1029	1029	0	1029	0	0	0
	महायोग	5379	17	5396	5379	17	5396	0	0	0

(ख) लोक सुराज अभियान 2017 में भ्रमण के दौरान राजनांदगांव जिले में माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

† परिशिष्ट "बयालीस"

महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती

53. (क्र. 318) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद स्वीकृत हैं ? (ख) कंडिका "क" के कितने पद भरे हैं, कितने रिक्त हैं, और कब से ? (ग) कंडिका "क" के स्वीकृत पदो पर पदोन्नति/भर्ती के क्या प्रावधान हैं, कितने पद आरक्षित श्रेणी के लिए हैं, पृथक-पृथक बतावें ? क्या वर्ष 2016, 2017 में रिक्त पदों की पूर्ति का कार्यवाही की गई यदि हां तो कब-कब ? नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रदेश के 18 शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार के 1-1 पद स्वीकृत है. जानकारी ÷ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) कंडिका "क" के 09 पद भरे है एवं 09 पद रिक्त है. जानकारी ÷ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) कंडिका "क" के स्वीकृत पदों पर 75 प्रतिशत पदोन्नति तथा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने का प्रावधान है. पदोन्नति के लिए 14 पद एवं सीधी भर्ती के लिए 04 पदों पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है. पदोन्नति में 04 पद अनुसूचित जनजाति, 02 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है इसी प्रकार सीधी भर्ती से किये जाने हेतु 01 पद अनुसूचित जनजाति एवं 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है. वर्ष 2016, 2017 में 03 पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है. पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

प्रदेश में जिलेवार वर्षा की स्थिति एवं सूखा घोषित तहसीलें

54. (क्र. 327) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किस-किस तहसील में कितने-कितने मिली लीटर वर्षा वर्ष 2017 की वर्षा ऋतु में दर्ज की गई है तथा इन तहसीलों में किस-किस तहसील को सूखा घोषित किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर में वर्णित-इन सूखा घोषित तहसीलों में कितने-कितने गांव में कितने कितने प्रतिशत आनावारी रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा कितने-कितने प्रतिशत फसल की क्षति हुई है ? (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर में वर्णित-ग्रामों एवं तहसीलों में शासन द्वारा राहत के रूप में क्या-क्या उपाय किये गये है तथा कितनी-कितनी राशि राहत के रूप में संबंधित तहसीलों को प्रदान की गई है एवं कौन-कौन से राहत कार्य कराए गये हैं ? कृपया तहसीलवार पूरी जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वर्ष 2017 में दर्ज वर्षा की तहसीलवार जानकारी ÷÷ संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाये अनुसार है. सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों की जानकारी ÷÷ संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाये अनुसार है. (ख) खरीफ फसल 2017 की वास्तविक आनावारी अप्राप्त है. अत: ग्राम एवं फसल क्षति का प्रतिशत बताया जाना संभव नहीं है. (ग) सूखा प्रभावित तहसीलों में फसल क्षति हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत अनुदान सहायता, पेयजल परिवहन व्यवस्था एवं मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा साथ जरूरत मंदों को खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदाय करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल चावल की व्यवस्था की गई.

फसल की आनावारी रिपोर्ट की प्रक्रिया

55. (क्र. 333) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में फसल की आनावारी रिपोर्ट तैयार करने की शासन द्वारा कौन सी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? (ख) जिला बलौदाबाजार भाटापारा में तहसीलों का वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में धान की प्रति हेक्टेयर में कितने उत्पादन को 100 प्रतिशत उत्पादन माना गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रदेश में फसल की आनावारी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 3 क्रमांक 4 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है. (ख) वर्ष 2016-17 में आनावारी की गणना के लिये 3405 कि. ग्रा. धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन को 100 प्रतिशत उत्पादन माना गया है तथा वर्ष 2017-18 के लिये भी उक्त उत्पादन को ही 100 प्रतिशत उत्पादन माना जावेगा.

जिला राजनांदगांव के पल्लेमाड़ी में मुख्य गौण खनिज की संचालित खदानें

56. (क्र. 334) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के पल्लेमाड़ी में किस-किस मुख्य/गौण खनिज की खदानें संचालित है ? नवम्बर, 2017 की स्थिति में खनिज उत्खनन हेतु किस-किस एजेंसी को खनिज पट्टा कितने दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया है ? एजेंसी का नाम, खदान का नाम, खनिज पट्टा की अवधि सहित बतावें ? (ख) उक्त खदानों में कितने स्थानीय तथा कितने बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है ?

÷ परिशिष्ट "तिरालीस"

÷÷ परिशिष्ट "चवालीस"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) नवम्बर 2017 की स्थिति में राजनांदगांव जिले के पल्लेमाड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में मुख्य खनिज आयरन ओर के 02 खदानें संचालित है तथा गौण खनिज की कोई खदान संचालित नहीं है. संचालित खदानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त संचालित खदानों में कार्यरत स्थानीय एवं बाहरी लोगों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम '6 'एवं '7' पद दर्शित है.

एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा घूस के पंजीबद्ध प्रकरण

57. (क्र. 429) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो घूस लेने के कितने मामले कहां-कहां पकड़े गये ? व्यक्ति का नाम एवं कार्यवाही की तिथि व घूस की रकम बताएं ? (ख) इनमें से कितने लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं कितने को मौके पर जमानत, मुचलके में ही दी गैयी ? नाम, स्थान व दिनांक सहित बताएं ? (ग) क्या बागबाहरा जिला महासमुंद में वर्ष 2017-18 के दौरान ए. सी. बी. द्वारा पकड़े गये पटवारी को स्थल पर ही मुचलके पर छोड़ दिया गया ? यदि हां तो इसका कारण बताएं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2017-18 (दिनांक 01-04-2017 से 05-12-2017 तक) के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा धूस लेते हुए 21 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 16 प्रकरण दर्ज किये गये. व्यक्ति का नाम एवं कार्यवाही की तिथि एवं घूस की रकम की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) उपरोक्त 16 प्रकरणों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है. किसी भी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को मौके पर जमानत व मुचलके पर रिहा नहीं किया गया है. (ग) जी नहीं.

बस्तर जिले के अतंर्गत नगरनार हेतु प्रभावित ग्राम

58. (क्र. 490) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत औद्योगिक स्टील प्लाण्ट नगरनार हेतु कुल कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं ? उक्त प्रभावित गांवों की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (गांव का नाम व अधिग्रहित भूमि सहित जानकारी दी जावे) (ख) प्रश्नांश "क" के तहत कुल कितने किसान प्रभावित हुए हैं ? उक्त प्रभावित किसानों को कुल कितनी मुआवजा राशि दी गई है. (ग) कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार या नौकरी दिया गया है और कितनों को नहीं ? रोजगार या नौकरी नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त प्लांट में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है ? यदि हाँ तो कब हुआ और यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत ग्राम नगरनार में औद्योगिक स्टील प्लांट निर्माण से 08 ग्राम प्रभावित हो रहे है. एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु वर्ष 2001 में 288.81 हेक्टेयर एवं वर्ष 2010 में 318.74 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण किया गया है. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम एवं अधिग्रहित भूमि की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत् 1355 किसान/खातेदार प्रभावित हुए हैं. वर्ष 2001 में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 303 खातेदारों को रुपये 17876796/- मुआवजा राशि दी गई है. वर्ष 2010 (द्वितीय चरण में) 1052 खातेदारों में से 1037 खातेदारों को आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रुपये 67,81,32,760/- मुआवजा राशि दी गई है. (ग) प्रथम चरण निजी भूमि अर्जन से प्रभावित 303 खातेदारों को घोषित पुनर्वास पैकेज के तहत प्रभावित 303 खातेदारो के 293 नामित सदस्यों को नौकरी प्रदान किया गया है. 2 प्रकरणों में नामांकन अप्राप्त होने, 5 प्रकरण में खातेदारों के मध्य विवाद होने एवं 03 प्रकरण में नामित सदस्य नाबालिक होने से नौकरी दिया जाना लंबित है. वर्ष 2010 में भू-अर्जन प्रभावित खातेदारों/परिवार का सर्वेक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंसोधित) के तहत पात्र पाये गये 838 खातेदार/परिवार में 627 नामित सदस्यों को दिनांक 14-08-2012 से आदर्श पुर्नवास नीति 2007 (यथा संसोधित) की कंडिका 11, 2, 3 के तहत भत्ता (सस्टेन्स अलाउंस) एन. एम. डी. सी. द्वारा प्रदाय किया जा रहा है. 48 नामित सदस्य नाबालिक होने से पुर्नवास लाभ नहीं दिया गया है. उक्त प्लांट में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है. एन. एम. डी. सी. प्रबंधन द्वारा प्लांट अक्टूबर 2018 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है.

खनिज उद्योगों की सड़क से दूरी के मापदण्ड

59. (क्र. 588) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज उद्योग सड़क से कितनी दूरी पर होनी चाहिए ? क्या इस संबंध में जांजगीर-चांपा जिले के किसी उद्योग की शिकायत सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालक, खनिज विभाग में की गई थी ? यदि हॉ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

---

† परिशिष्ट "पैंतालीस" †† परिशिष्ट "छियालीस" ‡ परिशिष्ट "सैंतालीस"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से 100 मीटर के भीतर भण्डारण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रतिबंधित है. ग्राम नगझर, तहसील मालखरौदा में श्री लोकेश चन्द्रा के विरुद्ध मुख्य मार्ग से 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से क्रेशर संचालन किये जाने की शिकायत माननीय सदस्य द्वारा की गई थी. केन्द्रीय उड़नदस्ता दल, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा मौका जांच किया गया था, जिसमें पाया गया कि श्री लोकेश चन्द्रा को खनिज शाखा जिला जांजगीर-चांपा द्वारा प्रसंस्करण भंडारण अनुज्ञापत्र दिनांक 10-02-2016 से 09-03-2019 स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्थापित क्रेशर सड़क से 100 मीटर से बाहर है. मौके पर भंडारित खनिज मात्रा में से 50 मै. टन खनिज की रायल्टी पर्ची प्रस्तुत नहीं करने पर खनिज का बाजार मूल्य तथा रायल्टी का 10 गुना कुल 55 हजार रुपये समझौता राशि वसूल की गई है.

शीत कालीन सत्र

मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 173) के भाग (क) की जानकारी]

ग्राम का नाम	कृषकों का नाम	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हे.में)	मुआवजा राशि
केशकाल	दीनदयाल पिता दुखुराम	0.360	761586.00
---"---	सुकबती, सुन्दरबती,सुन्दरी पिता गाड़ी रावत	0.251	319577.00
---"---	नथलीबाई बेवा रतिराम	0.220	280108.00
---"---	विनयकुमार, विपिन कुमार, विकास, विवेक कुमार पिता स्व0 गणेश सुमन अग्निहोत्री व अन्य	0.688	1975534.00
---"---	चन्द्रकांत पिता छेदालाल	0.257	327217.00
---"---	अमरदास पिता फागूराम	0.405	1501764.00
---"---	मु. राजोबाई पति बंशी	0.037	136971.00
---"---	बलियार झाडूराम पिता कनसिग, सुखिया बेवा कनसिंग	0.072	266538.00
---"---	श्यामबती पति गिरधर	0.025	92701.00
---"---	मुकुन्द पिता आनंदी	0.035	129782.00
गढ़सिलियारा	बुधराम पिता मोतीराम	0.154	98273.00
---"---	सगराम पिता लक्ष्मण व अन्य	0.056	89149.00
---"---	बीरसिंग पिता देशीराम	0.198	232495.00
---"---	मंगलराम पिता तराजूल	0.069	44031.00

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 261) के भाग (ग) की जानकारी]

बंदोबस्त त्रुटि सुधार/भू-अभिलेख दुरुस्ती के शेष प्रकरणों के ग्रामवार आवेदकों की जानकारी

क्र.	तहसील का नाम	शेष आवेदन				योग
		बंदोबस्त त्रुटि सुधार		भू–अभिलेख दुरूस्ती हेतु		
		ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	
1	2	3	4	5	6	7
1	लोहण्डीगुड़ा	बड़ेपरोदा (2009)	जयदेव पिता स्व. अर्जुन	छिन्दबहार (2016–17)	सोनादई पिता गांगू	2
		गढ़िया (2009)	रामनाथ पिता चंदर	चालकीगुड़ा (2016–17)	सहदेव पिता मुड़ा	2
		चालकीगुड़ा (2016–17)	सहदेव पिता मुड़ा	–	–	1
		गड़दा (2016–17)	बलदेव पिता स्व. कुर्सो	–	–	1
		चंदनपुर (2016–17)	धरमू पिता भीलराम	–	–	1
	योगः–	5	5	2	2	7
2	तोकापाल	कलेपाल (2015–16)	तुलाराम पिता सामू	सिरिसगुड़ा (2016–17)	दशरथ/हिडमो	2
		बड़ेमोरठपाल (2016–17)	मसू पिता बुदू	बड़ेमोरठपाल (2016–17)	सुदरू राम/स्व. मधु	2
		केशलूर (2016–17)	पदमावती पति नडगू	मण्ढवा (2016–17)	लखमू/सोनू	2
		राजूर (2016–17)	गडरू पिता रामचंद्र	रायकोट (2016–17)	सुजीत/हरि सिंह	2
		सिंगनपुर (2016–17)	सुकूल पिता इंदल	भड़िसगांव (2016–17)	लच्छन/मदन	2
		मरकापाल (2016–17)	सोनू पिता गुड्डी	गुमियापाल (2016–17)	बिताय/स्व. टोरका	2
		नैनमूर (2016–17)	चैतन पिता बोडा	कलेपाल (2016–17)	बिजो/लखमू	2
		टेकामेटा (2016–17)	लछमा बघेल पिता गौरीनंद	कलेपाल (2016–17)	रेंगो/सुकटा	2
		बुरूंगपाल (2016–17)	कचरी बाई बेवा स्वयम्बर	रायकोट (2016–17)	सुकदेव/सुकालू	2
	योगः–	9	9	9	9	18
3	दरभा	–	–	लेण्ड्रा (2016–17)	त्रिलोकी पिता जगन्नाथ	1
		–	–	चिंगपाल (2016–17)	गन्नाराम पिता गनपत	1
		–	–	कटेनार (2016–17)	दिनेश पिता घोटी	1
	योगः–	–	–	3	3	3
	योगः–	14	14	14	14	28

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 50) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	प्रवर्ग/कार्य [illegible]	कवर्धा				बोडला			
		01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	योग	01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	योग
1	इलेक्ट्रिशियन	6	4	0	10	0	3	0	3
2	फिटर एवं बारबेंडर	1	0	0	1	2	0	0	2
3	कारपेंटर या बढई	12	2	1	15	10	0	1	11
4	मजदूर रेजा, कुली	970	5298	269	6537	739	3063	61	3863
5	मिस्त्री	35	0	0	35	2	1	3	6
6	राजमिस्त्री (मेसन)	9	41	7	57	16	35	52	103
7	मुख्य मजदूर	12	79	10	101	6	40	6	52
8	रेत मिट्टी मजदूर	4	30	4	38	2	34	0	36
9	प्लम्बर	8	2	0	10	4	1	0	5
10	मेकेनिक	2	2	0	4	0	0	0	0
11	रोलर चालक	1	0	0	1	0	0	0	0
12	ईट भट्ठा श्रमिक	0	0	0	0	0	2	0	2
13	पत्थर तोडने वाला श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पेंटर	1	1	1	3	0	0	0	0
15	बांध पुल निर्माणी श्रमिक	0	1	0	1	0	0	0	0
16	वेल्डिंग	0	0	0	0	0	0	0	0
17	चौकीदार	0	2	0	2	0	0	0	0
18	निर्माणी कार्य में लगे श्रमिक	0	1	0	1	0	0	0	0
19	सीमेंट पोल बनाने वाला	0	0	0	0	0	1	0	1
20	सन्निर्माण कार्य में लगे मजदूर	0	2	0	2	0	17	0	17
21	लोहार	0	0	0	0	0	2	0	2
	योग	1061	5465	292	6818	781	3199	123	4103

स०लोहारा				महायोग			
01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	योग	01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	योग
0	10	0	10	6	17	0	23
1	0	0	1	4	0	0	4
13	7	0	20	35	9	2	46
1714	3925	244	5883	3423	12286	574	16283
6	3	2	11	43	4	5	52
19	17	4	40	44	93	63	200
7	54	12	73	25	173	28	226
10	20	2	32	16	84	6	106
6	21	1	28	18	24	1	43
0	1	0	1	2	3	0	5
0	0	0	0	1	0	0	1
4	18	0	22	4	20	0	24
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	2	1	1	4
2	0	0	2	2	1	0	3
0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	2	1	2	0	3
0	2	0	2	0	21	0	21
0	0	0	0	0	2	0	2
1785	4080	265	6130	3627	12744	680	17051

प्रपत्र "ब"

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र0	प्रवर्ग का नाम	कवर्धा				बोडला			
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (जून 17 की स्थिति में)	योग	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (जून 17 की स्थिति में)	योग
1	धोबी	0	0	1	**1**	0	2	0	**2**
2	दर्जी	131	18	652	**801**	191	97	133	**421**
3	माली	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**
4	मोची	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5	नाई	5	4	0	**9**	1	7	0	**8**
6	बुनकर	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**
7	रिक्शा चालक	32	2	25	**59**	45	0	0	**45**
8	घरेलु कर्मकार	80	10	27	**117**	16	7	3	**26**
9	कचरा बीनने वाले	2	0	0	**2**	0	58	0	**58**
10	हाथ ठेला चलाने वाले	7	0	0	**7**	8	5	0	**13**
11	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता	5	0	0	**5**	0	0	0	**0**
12	चाय, चाट, ठेला लगाने वाले	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
13	फुटपाथ व्यापारी	1	1	0	**2**	0	7	0	**7**
14	हमाल,कुली,रेजा	98	382	5	**485**	167	580	2	**749**
15	जनरेटर/ लाईट उठाने वाले	1	1	0	**2**	0	0	0	**0**
16	फेरी लगाने वाले	0	1	0	**1**	0	0	0	**0**
17	मोटर सायकल/ सायकल मरम्मत करने वाले	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**
18	गैरेज मजदूर	0	1	0	**1**	0	0	0	**0**
19	आटो चालक	2	0	1	**3**	5	2	0	**7**
20	सफाई कामगार	0	4	8	**12**	117	50	0	**167**
21	ढोल/बाजा बजाने वाले	1	0	1	**2**	0	0	0	**0**
22	टेन्ट हाउस मे काम करने वाले	3	0	0	**3**	0	0	0	**0**
23	मछुआरा	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
24	तांगा/बैल गाडी चलाने वाले	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**
25	गाडीवान	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**
26	घरेलू उधोग मे लगे मजदूर	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**
27	भडभुजे(मुर्रा चना फोडने वाले)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
28	दुकानो में काम करने वाले मजदूर	1	0	0	**1**	0	8	0	**8**
29	खेतीहर मजदूर	336	318	29	**683**	475	618	9	**1102**
30	राउत, चरवाहा, दूध दुहने वाले	4	0	3	**7**	3	3	0	**6**
31	मितानीन	1	0	0	**1**	0	1	0	**1**
32	समाचार-पत्र बांटने वाले (हॉकर)	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**
33	ठेका मजदूर (छ.ग. एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधी योजना में शामिल ठेका मजदूरो को छोडकर)	1	0	0	**1**	2	0	0	**2**
	Total	**722**	**742**	**752**	**2216**	**1030**	**1445**	**147**	**2622**

A-5

[19 दिसंबर, 2017

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र0	प्रवर्ग का नाम	सब्लोहारा				महायोग			
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (जून 17 की स्थिति में)	योग	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (जून 17 की स्थिति में)	योग
1	धोबी	0	1	0	1	0	3	1	4
2	दर्जी	101	52	121	274	423	167	906	1496
3	माली	0	0	0	0	2	0	0	2
4	मोची	4	0	0	4	4	0	0	4
5	नाई	2	0	0	2	8	11	0	19
6	बनकर	0	0	0	0	2	0	0	2
7	रिक्शा चालक	27	0	2	29	104	2	27	133
8	घरेलु कर्मकार	9	26	8	43	105	43	38	186
9	कचरा बीनने वाले	5	0	0	5	7	58	0	65
10	हाथ ठेला चलाने वाले	7	0	0	7	22	5	0	27
11	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता	0	1	0	1	5	1	0	6
12	चाय, चाट, ठेला लगाने वाले	1	0	0	1	1	0	0	1
13	फुटपाथ व्यापारी	0	0	0	0	1	8	0	9
14	हमाल,कुली,रेजा	146	152	0	298	411	1114	7	1532
15	जनरेटर/ लाईट उठाने वाले	1	0	0	1	2	1	0	3
16	फेरी लगाने वाले	0	0	0	0	0	1	0	1
17	मोटर सायकल/ सायकल मरम्मत करने वाले	7	0	0	7	9	0	0	9
18	गैरेज मजदूर	4	0	0	4	4	1	0	5
19	आटो चालक	1	0	2	3	8	2	3	13
20	सफाई कामगार	77	44	9	130	194	98	17	309
21	ढोल/बाजा बजाने वाले	0	0	0	0	1	0	1	2
22	टेन्ट हाउस मे काम करने वाले	0	4	0	4	3	4	0	7
23	मछआरा	0	3	1	4	0	3	1	4
24	तांगा/बैल गाडी चलाने वाले	0	0	0	0	1	0	0	1
25	गाडीवान	0	0	1	1	1	0	1	2
26	घरेलू उधोग मे लगे मजदूर	0	0	0	0	2	0	0	2
27	भड़भूजे(मुर्रा चना फोड़ने वाले)	0	1	0	1	0	1	0	[illegible]
28	दुकानो मे काम करने वाले मजदूर	0	0	0	0	1	8	0	9
29	खेतीहर मजदूर	459	185	47	691	1270	1121	85	2476
30	राउत चरवाहा दूध दहने वाले	2	0	0	2	9	3	3	15
31	मितानीन	3	1	0	4	4	2	0	6
32	समाचार-पत्र बांटने वाले (हॉकर)	0	0	1	1	1	0	1	2
33	ठेका मजदूर (छ.ग. एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधी योजना में शामिल ठेका मजदूरो को छोडकर)	1		0	1	4	0	0	4
	Total	857	470	192	1519	2609	2657	1091	6357

प्रपत्र "स"

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क.	योजना का नाम	कवर्धा							
		01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	व्यय राशि	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	व्यय राशि	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	व्यय राशि	योग	
								लाभान्वित	व्यय राशि
1	राजमाता कन्या विवाह योजना	115	1725000	103	1545000	149	2980000	367	6250000
2	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	192	960000	290	1450000	48	245000	530	2655000
3	विश्वकर्मा मृत्यु पर अन्त्येष्ठि एवं अनुग्रह सहायता योजना	67	1675000	87	2175000	56	1680000	210	5530000
4	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0
5	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	1	2742	1	2742	2	2424	4	7908
6	नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना	233	253750	650	663500	347	367750	1230	1285000
7	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना	18	80500	47	147000	0	0	65	227500
8	गंभीर बीमारी सहायता योजना	3	76575	0	0	0	0	3	76575
	योग	629	4773567	1178	5983242	602	5275174	2409	16031983

बोडला							
01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	व्यय राशि	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	व्यय राशि	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	व्यय राशि	योग	
						लाभान्वित	व्यय राशि
158	2370000	216	3240000	172	3440000	546	9050000
231	1155000	532	2772000	70	700000	833	4627000
96	2400000	115	2875000	146	4380000	357	9655000
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1042	0	0	0	0	1	1042
79	87250	324	327000	145	169250	548	583500
5	14000	11	32000	0	0	16	46000
0	0	0	0	0	0	0	0
570	**6027292**	**1198**	**9246000**	**533**	**8689250**	**2301**	**23962542**

स0लोहारा								महायोग	
01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016	व्यय राशि	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	व्यय राशि	01 अप्रैल 2017 से जून 2017	व्यय राशि	योग			
						लाभान्वित	व्यय राशि	लाभान्वित	व्यय राशि
173	2595000	341	5115000	247	4940000	761	12650000	1674	27950000
372	1860000	995	5216600	150	1500000	1517	8576600	2880	15858600
104	2600000	110	2750000	106	3180000	320	8530000	887	23715000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5	8950
435	445250	1168	1150750	449	460500	2052	2056500	3830	3925000
19	66500	60	173500	0	0	79	240000	160	513500
0	0	0	0	0	0	0	0	3	76575
1103	7566750	2674	14405850	952	10080500	4729	32053100	9439	72047625

प्रपत्र "द"

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	योजना का नाम	कवर्धा							
		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (जून		योग	
		लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि
1	असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	0	0	25	68550	63	183834	**88**	**252384**
2	असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	0	76	351120	**76**	**351120**
3	असंगठित कर्मकार समाचार पत्र (हॉकर) सहायता योजना	0	0	0	0	1	2742	**1**	**2742**
4	घरेलू कामगार विवाह योजना	0	0	1	15000	0	0	**1**	**15000**
5	सफाई कामगार प्रसूति सहायता योजना	0	0	0	0	1	10000	**1**	**10000**
6	सफाई कामगार विवाह सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	योग	**0**	0	**26**	**83550**	**141**	**547696**	**167**	**631246**

बोडला							
						8	
वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (जून 2017 की		योग	
लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि
0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0	0	0	0	12	55440	**12**	**55440**
0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**12**	**55440**	**12**	**55440**

स0लोहारा								महायोग	
वर्ष 2015--16		वर्ष 2016--17		वर्ष 2017--18 (जून		योग			
लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि
0	0	0	0	100	291800	100	291800	**188**	**544184**
0	0	0	0	0	0	0	0	**88**	**406560**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**2742**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**15000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**10000**
0	0	2	30000	0	0	2	30000	**2**	**30000**
0	0	2	30000	100	291800	102	321800	**281**	**1008486**

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 197) के भाग (क) की जानकारी]

सूखा प्रभावित ग्रामों एवं किसानों की संख्या का विवरण

क0	जिला	तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित किसानों की संख्या	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर)
1	रायपुर	रायपुर	89	6844	5449.562
		तिल्दा	123	15354	14774.859
		अभनपुर	41	810	474.93
		आरंग	65	3002	2082.16
	योग		**318**	**26010**	**22781.51**
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	150	37723	28848.00
		सिमगा	118	16607	12347.531
		भाटापारा	113	18665	16232.00
		पलारी	126	29825	25023.126
		कसडोल	162	33457	22773.00
		बिलाईगढ़	127	12651	8094.815
	योग		796	148928	113318.472
3	गरियाबंद	गरियाबंद	145	9852	12862.337
		छुरा	144	8676	10002.07
		मैनपुर	99	10020	9810.25
	योग		**388**	**28548**	32674.657
4	महासमुंद	महासमुंद	127	2436	1937.67
		बसना	186	5696	5437.00
		सरायपाली	102	2050	1810.89
		पिथौरा	49	2717	3422.37
		बागबाहरा	235	12825	13466.00
	योग		**699**	**25724**	**26073.93**
5	धमतरी	कुरूद	21	540	332.42
		धमतरी	36	1309	1050.34
		मगरलोड	53	5394	3305.73
		नगरी	175	15946	18396.00
	योग		**285**	**23189**	**23084.49**
6	दुर्ग	दुर्ग	65	5236	4199.349
		धमधा	170	16728	12488.466
		पाटन	143	12363	9310.19
	योग		**378**	**34327**	**25998.005**
7	बेमेतरा	बेमेतरा	192	47250	37896.39
		बेरला	137	24722	30932.43
		साजा	102	12071	21530.00
		थान खम्हरिया	78	11547	10933.19
		नवागढ़	188	52637	40911.00
	योग		697	148227	142203.01

8	बालोद	गुण्डरदेही	57	2766	2561.56
		डौंडी–लोहारा	174	9937	7318.20
		डौंडी	115	6938	4600.78
		गुरूर	34	409	359.04
योग			380	20050	14839.58
9	राजनांदगांव	छुईखदान	205	12265	10404.318
		खैरागढ़	230	40496	24937.000
		डोंगरगढ़	182	34857	25690.710
		राजनांदगांव	175	34522	29905.324
		छुरिया	218	45348	48266.000
		अम्बागढ़ चौकी	155	17914	8373.861
		मोहला	171	15725	10071.750
		मानपुर	170	15025	6331.000
		डोंगरगांव	113	30448	25811.509
	योग		1619	246600	189791.472
10	कबीरधाम	कवर्धा	184	9358	6774.732
		पण्डरिया	212	9409	5954.066
		बोड़ला	342	13396	7931.149
		सहसपुर लोहारा	192	17907	15122.631
	योग		930	50070	35782.578
11	कोण्डागांव	माकड़ी	100	12631	10000.00
		फरसगांव	106	11940	14920
		बड़ेराजपुर	62	3334	1619.617
		केसकाल	109	4502	2569.474
	योग		**377**	**32407**	**29109.09**
12	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	48	5364	8415.00
		गीदम	72	5792	11457.00
		कटेकल्याण	43	2449	8225.00
		कुआकोन्डा	26	2538	5473.00
		बड़ेबचेली	45	2786	6312.00
	योग		234	18929	39882.00
13	कांकेर	कांकेर	105	4557	2957.41
		चारामा	90	7341	7196.88
		नरहरपुर	119	16364	13674.00
		भानुप्रतापुर	111	9038	8543.15
		अंतागढ़	166	13706	18274.05
		पखांजूर	72	4611	5191.45
		दुर्गकोन्दल	141	7927	25284.00
	योग		**804**	**63544**	**81120.94**
14	बिलासपुर	बिल्हा	90	14190	11073.804
		मस्तूरी	134	16052	11284.767
		मरवाही	96	15884	10403.813
		कोटा	112	4823	3496.08
		तखतपुर	149	14028	10111.811
		बिलासपुर	23	1609	1469.799

		पेण्ड्रारोड	87	10910	14705.00
		पेन्ड्रा	52	4197	2616.00
योग			**733**	**81693**	**65161.074**
15	मुंगेली	मुंगेली	111	47033	24135.00
		लोरमी	76	27215	24771.00
		पथरिया	159	50569	21569.00
योग			**346**	**124817**	**70475.00**
16	जांजगीर–चांपा	जैजैपुर	11	889	254.354
		डभरा	61	7240	3665.110
		अकलतरा	20	1530	510.000
		बलौदा	31	547	1172.000
योग			112	10206	5347.11
17	कोरबा	पाली	139	4452	3552.00
योग			139	4452	3552.00
18	रायगढ़	रायगढ़	0	0	0
		सारंगढ़	147	19209	5528.00
		धरमजयगढ़	0	0	0
		पुसौर	29	5158	2985.874
		बरमकेला	170	8500	4995.00
		तमनार	0	0	0
योग			346	32867	13508.874
19	कोरिया	बैकुण्ठपुर	148	2934	14390.00
		सोनहत	105	1955	6147.00
		खड़गंवा	93	713	15677.00
		मनेन्द्रगढ़	133	4176	8461.00
		भरतपुर	183	8284	11700.00
योग			662	18062	56375.00
20	नारायणपुर	नारायणपुर	163	5058	2716.9
		ओरछा	237	2647	2969.47
योग			400	7705	5686.37
21	बीजापुर	बीजापुर	98	4693	10489.00
		भोपालपटनम्	186	2857	4124.00
		भैरमगढ़	283	4212	11045.00
		उसूर	132	3850	6235.00
योग			699	15612	31893.00

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 78) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में रेत, मुरूम, मिट्टी, चूनापत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों की विकासखंडवार जानकारी

अवैध उत्खनन

वर्ष	विकासखण्ड	दर्ज प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6
2014–15	खैरागढ़	0	0	0	0
	मोहला	1	1	0	0
	मानपुर	0	0	0	0
	राजनांदगांव	2	2	0	62250
	डोंगरगढ़	7	7	0	105000
	डोंगरगांव	1	1	0	33800
	छुईखदान	0	0	0	0
	छुरिया	1	1	0	64050
	अं. चौकी	0	0	0	0
योग –		12	12	0	265100
2015--16	खैरागढ़	1	1	0	25000
	मोहला	0	0	0	0
	मानपुर	0	0	0	0
	राजनांदगांव	6	6	0	102000
	डोंगरगढ़	1	1	0	25000
	डोंगरगांव	1	1	0	25000
	छुईखदान	0	0	0	0
	छुरिया	5	5	0	15000
	अं. चौकी	1	1	0	25000
योग --		15	15	0	217000
2016–17	खैरागढ़	1	1	0	64000
	मोहला	0	0	0	0
	मानपुर	0	0	0	0
	राजनांदगांव	11	11	0	185200
	डोंगरगढ़	3	0	3	0
	डोंगरगांव	3	2	1	15000
	छुईखदान	0	0	0	0
	छुरिया	5	5	0	79000
	अं. चौकी	0	0	0	0
योग –		23	19	4	343200

अवैध परिवहन

वर्ष	विकासखण्ड	दर्ज प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि(रूपयो में)
2014–15	खैरागढ़	31	31	0	347200
	मोहला	0	0	0	0
	मानपुर	0	0	0	0

वर्ष	विकासखण्ड	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6
	राजनांदगांव	103	103	0	749800
	डोंगरगढ़	33	33	0	213000
	डोंगरगांव	51	51	0	416000
	छुईखदान	1	1	0	10000
	छुरिया	30	30	0	290800
	अं. चौकी	14	14	0	104000
योग –		263	263	0	2130800
2015–16	खैरागढ़	38	38	0	365720
	मोहला	7	7	0	100000
	मानपुर	11	11	0	74000
	राजनांदगांव	91	91	0	1101280
	डोंगरगढ़	49	49	0	537000
	डोंगरगांव	50	50	0	526000
	छुईखदान	5	5	0	37000
	छुरिया	22	22	0	245000
	अं. चौकी	20	20	0	192000
योग –		293	293	0	3178000
2016–17	खैरागढ़	19	19	0	231000
	मोहला	3	3	0	26000
	मानपुर	0	0	0	0
	राजनांदगांव	110	110	0	1431000
	डोंगरगढ़	21	21	0	213000
	डोंगरगांव	43	43	0	460000
	छुईखदान	3	3	0	50000
	छुरिया	22	22	0	245000
	अं. चौकी	10	10	0	108000
योग –		231	231	0	2764000

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 105) के भाग (क), (ग) एवं (घ) की जानकारी]

नया रायपुर क्षेत्र में निम्न श्रेणी चूनापत्थर के नवीन खदान, संचालित खदानों के नवीनीकरण/अवधि विस्तार हेतु एनआरडीए द्वारा प्रदत्त अनापत्ति की जानकारी

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	कालावधि	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	नवीन खदान/नवीनीकरण/अवधि विस्तार के अनापत्ति हेतु एनआरडीए को कलेक्टर, खनि शाखा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक	एनआरडीए द्वारा प्रदत्त एनओसी का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)संचालित खदान–उत्खनिपट्टा								
1	श्री जय कुमार बजाज आ. श्री मंगूमल नि. फाफाडीह रायपुर	08.12.2007 से 7.12.2027	मंदिरहसौद/आरंग	862/2,4,863, 864, 865, 866/1, 866/3, 868/1,2, 869	2.442 हेक्टर	12.08.2016	23.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।
2	श्रीमती भगवती देवी प्रितवानी पति स्व श्री अर्जुन कुमार प्रितवानी	06.01.2008 से 05.01.2018	मंदिरहसौद/आरंग	876/1,2 87 6/18, 879	4.60 एकड़	—	—	पट्टेदार द्वारा अवधि विस्तार नहीं चाहते है।
3	श्रीमती लीला बेन पटेल पति स्व. विजय पटेल	12.11.2012 से 11.11.2022	मंदिरहसौद/आरंग	653/1, 653/3	3.36 एकड़	28.09.2011	02.03.2012	पट्टेदार द्वारा अवधि विस्तार नहीं चाहते है।
4	श्री नेभन्दराम छाबड़िया आ. लोकूमल निवासी लाखेनगर रायपुर	7.2.2012 से 6.2.2022	मंदिरहसौद/आरंग	709/3	3.50 एकड़	—	—	वर्ष 2022 तक 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कारण। पट्टेदार द्वारा अवधि विस्तार नहीं चाहते है।
5	श्रीमती निधि पांडे पति श्री जी.एल. पांडे निवासी सुंदर नगर रायपुर	01.9.2012 से 31.08.2037	मंदिरहसौद/आरंग	709/1,5, 711/4,5	4.85 एकड़	10.08.2016	05.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	कालावधि	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	नवीन खदान/नवीनीकरण/अवधि विस्तार के अनापत्ति हेतु एनआरडीए को कलेक्टर, खनि शाखा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक	एमआरडीए द्वारा प्रदत्त एनओसी का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	श्री चंद्रहास पांडे निवासी– रायपुर	28.07.2012 से 27.07.2032	मंदिरहसौद/आरंग	721/1, 721/2, 722, 749	1.94 एकड़	10.08.2016	03.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।
7	श्रीमती भावना बेन पटेल पति श्री संजय नि. –फाफाडीह रायपुर	6.6.2012 से 5.6.2022	मंदिरहसौद/आरंग	678, 689	4.29 एकड़	–	–	अवधि विस्तार नहीं चाहते हैं।
8	श्री कल्याण सिंह आ. स्व. श्री एल.बी. सिंग नि. श्री पेषनबाडी रायपुर	20.07.2012 से 19.07.2042	मंदिरहसौद/आरंग	714	1.54 एकड़	13.07.2016	19.10.2016	अवधि विस्तार किया गया।
9	श्रीमती संगीता अग्रवाल पति श्री कैलाष अग्रवालनिवासी अनुपम नगर रायपुर	1.10.2012 से 30.09.2032	मंदिरहसौद/आरंग	654/1, 2, 657/14 का भाग	1.676 हेक्टर	10.08.2016	03.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।
10	सरोज स्टोन क्रेषर भागीदार आनंद सिंघानिया नि. देवेन्द्रनगर रायपुर	01.08.2008 से 31.07.2038	मंदिरहसौद/आरंग	657/2,4,6,13	1.214 हेक्टर	11.08.2016	24.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।
11	मेसर्स सी.जी. एग्रो फार्म भागीदार श्री विपिन अग्रवाल आ. श्री के.सी. अग्रवाल निवासी – अनुपम नगर रायपुर	24.09.2014 से 23.09.2044	मंदिरहसौद/आरंग	726/1, 726/2, 741, 742, 744	2.010 हेक्टर	16.08.2016	08.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	कालावधि	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	नवीन खदान / नवीनीकरण / अवधि विस्तार के अनापत्ति हेतु एनआरडीए को कलेक्टर, खनि शाखा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक	एनआरडीए द्वारा प्रदत्त एनओसी का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	मेसर्स सोलर राक्स पार्टनर श्री अनुभव मसीह आ. श्री प्रमोद मसीह नि – पंचषील नगर रायपुर	10.01.2014 से 09.01.2044	मंदिरहसौद / आरंग	661, 666, 667, 668 / 1, 668 / 2	1.943 हेक्टर	03.09.2012	22.11.2013	अवधि विस्तार किया गया।
13	श्री अच्मुमल गावरी, आ. श्री चोखामल गावरी, नि.– फाफाडीह रायपुर,	22.05.2015 से 21.05.2030	मंदिरहसौद / आरंग	854, 855 / 2, 856, 857, 858	0.809 हेक्टर	21.07.2009	31.03.2014	अवधि विस्तार किया गया।
14	श्री रामअवतार अग्रवाल, आ. स्व. श्री निरंजन अग्रवाल, नि. – विशाल नगर रायपुर,	09.08.2015 से 08.08.2025	मंदिरहसौद / आरंग	733 / 1,3, 743 / 1,2	2.64 एकड़	20.02.2017	07.03.2017	अवधि विस्तार किया गया।
15	श्री मोटूमल अडवानी, आ. श्री मिहामल अडवानी, निवासी – विवेकानंद आश्रम के पास, रायपुर,	28.11.2015 से 27.11.2025	मंदिरहसौद / आरंग	725 / 2, 745, 747, 748	2.56 एकड़	16.03.2016	27.10.2016	अवधि विस्तार किया गया।
16	श्री इंदर कुमार प्रितवानी, आ. श्री टाकनदास प्रितवानी, निवासी – लाखे नगर, रायपुर,	17.08.2012 से 16.08.2027	मंदिरहसौद / आरंग	692, 693, 694 / 1	2.65 एकड़	06.06.2012	14.08.2012	अवधि विस्तार किया गया।

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	कालावधि	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	नवीन खदान / नवीनीकरण / अवधि विस्तार के अनापत्ति हेतु एनआरडीए को कलेक्टर, खनि शाखा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक	एनआरडीए द्वारा प्रदत्त एनओसी का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	एस.पी.माईनिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्रीमती पपिन्दर कौर, पति श्री रिपुदमन सिंह पुजारी, निवासी – गोविन्द नगर रायपुर,	05.02.2013 से 04.02.2033	मंदिरहसौद / आरंग	646, 647 / 1, 650 / 2, 651 / 14	2.007 हेक्टर	25.03.2009	09.06.2009	अवधि विस्तार किया गया।
18	श्रीमती हरविंदर कौर गांधी, पति श्री नानक सिंह गांधी, निवासी – गोविंद नगर रायपुर	05.02.2013 से 04.02.2033	मंदिरहसौद / आरंग	647 / 2, 648, 649 / 2,3, 650 / 3, 651 / 3, 652 / 2	1.841 हेक्टर	11.06.2012	12.11.2012	अवधि विस्तार किया गया।
19	श्री गणेश प्रसाद खेतान निवासी माहदापारा रायपुर	08.05.2012 से 7.5.2042	बेन्द्री / अभनपुर	100 / 3, 100 / 11	2.22 एकड़	–	–	अवधि विस्तार किया गया।
20	श्री जार्ज राजन निवासी रायपुर	25.1.2012 से 24.01.2022	सेरीखेड़ी / रायपुर	689 / 1से 3, 691	3.54 एकड़	17.08.2016	27.10.2016	अवधि विस्तार नहीं चाहते।
21	मेसर्स चिंकारा मिनरल्स, पार्टनर श्री जितेन्द्र पटेरिया, आ. श्री ए.के. पटेरिया, निवासी – 23 ए, पंचशील नगर, रायपुर,	03.05.2017 से 02.05.2037	सेरीखेड़ी / रायपुर	690 / 3	0.809 हेक्टर	17.08.2016	03.11.2016	अवधि विस्तार किया गया।

क्र	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	कालावधि	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	नवीन खदान /नवीनीकरण/अवधि विस्तार के अनापत्ति हेतु एनआरडीए को कलेक्टर, खनि शाखा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक	एनआरडीए द्वारा प्रदत्त एनओसी का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्खनन अनुज्ञा पत्र								
22	श्री प्रियेष सिंह ठाकुर	11.04.2017 से 10.04.2019	मंदिरहसौद / आरंग	711/6	0.64 हेक्टर	05.03.2014	07.03.2017	नवीन खदान
23	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि	02.06.2017 से 01.06.2019	बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हेक्टर	27.03.2017	01.05.2017	नवीन खदान
24	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.	02.06.2017 से 01.06.2019	बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हेक्टर	27.03.2017	01.05.2017	नवीन खदान
25	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.	02.06.2017 से 01.06.2019	बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हेक्टर	27.03.2017	01.05.2017	नवीन खदान
26	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.	02.06.2017 से 01.06.2019	बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हेक्टर	27.03.2017	01.05.2017	नवीन खदान

(ब)	नवीन आवेदन पत्र (ई–निविदा हेतु प्राप्त)							
1	श्री कानमल चोपड़ा	आवेदन प्राप्ति दिनांक 01.05.2017	मंदिरहसौद	711/1,2,3	3.511 हेक्टर	04.05.2017	एनओसी अप्राप्त	नवीन अवेदन

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 26) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में सौर सूजला योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन, कुल स्थापित सोलर पम्प तथा लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2016–17 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल स्थापित सोलर पंप	लंबित आवेदन
1	रायगढ़	10	93	103	7	96
2	बरमकेला	20	10	30	19	11
3	पुसौर	11	24	35	9	26
4	लैलूंगा	68	149	217	0	177
5	धरमजयगढ़	174	156	330	101	229
6	तमनार	57	33	90	47	43
7	घरघोड़ा	81	48	129	66	63
8	सारंगढ़	20	23	43	17	26
9	खरसिया	13	65	78	9	69
कुल		454	601	1055	315	740

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 310) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विभागों से प्राप्त 01 प्रतिशत उपकर राशि का विवरण

क्र.	विभाग का नाम	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	योग
1	आदिवासी विकास विभाग	858551	882373	1740924
2	कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान	3139685	1407158	4546843
3	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल	1680	874822	876502
4	छत्तीसगढ़ सशस्त्र बटालियन	1400	0	1400
5	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	34469115	20114734	54583849
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	42445594	44270207	86715801
7	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग	1586732	1117496	2704228
8	कृषि एवं उपज मडी	969868	1841012	2810880
9	लोक स्वास्थ्य एव यांत्रिकी विभाग	42384018	14706051	57090069
10	नगर पालिका निगम	35790485	41883388	77673873
11	नगर पालिका परिषद	2301655	878203	3179858
12	नगर पंचायत	8081665	4001420	12083085
13	भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	185403436	62681696	248085132
14	नया रायपुर डेव्लपमेंट अर्थोरिटी	31910754	44668525	76579279
15	लोक निर्माण विभाग	538721597	85325482	624047079
16	साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेल्वे	33399867	36044599	69444466
17	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	845974	516528	1362502
18	जल संसाधन विभाग	70059880	25018322	95078202
19	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	80422773	47657282	128080055
20	भारतीय स्टेट बैंक	0	16991	16991
21	विद्युत यांत्रिकी विभाग	39746	29623	69369
22	सीमा सुरक्षा बल	41342	53494	94836
23	उद्योग भवन (सीएसआईडीसी)	7166146	4159495	11325641
24	नगर तथा ग्राम निवेश	349336	212727	562063
25	वन विभाग	125520	15000	140520
26	नाबार्ड	426114	0	426114
27	रायपुर डेव्लपमेंट अर्थोरिटी	10755283	6696495	17451778
28	भिलाई स्टील प्लान्ट	4512609	1200367	5712976

क.	विभाग का नाम	वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18	योग
29	भारतीय खाद्य निगम	7645117	1374879	9019996
30	भारतीय जीवन बीमा निगम	144318	21201	165519
31	पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन	9791011	14226719	24017730
32	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	153060	0	153060
33	औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा	284740	0	284740
34	साऊथ ईस्ट कोल लिमिटेड	681142	0	681142
35	एन0टी0पी0सी0	50734692	29924236	80658928
36	कामधेनु विश्वविद्यालय	296980	537718	834698
37	केडा	1361560	0	1361560
38	नगरीय प्रशासन एवं विकास यांत्रिको प्रकोष्ठ	0	1856509	1856509
39	लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया	0	252190	252190
40	निजो संस्था एवं अन्य द्वारा	517901059	539999809	1057900868
	योग	1725204504	1034466751	2759671255

प्रपत्र "ब"

क्र.	मद का नाम	वर्ष 2016–17 में व्यय राशि	वर्ष 2017–18 में व्यय राशि	योग
1	सदस्यों का मानदेय / यात्रा / दैनिक भत्ता	22,306	1,569,511	1,591,817
2	अल्पाहार	158,051	131,228	289,279
3	वेतन तथा मंहगाई भत्ता	10,542,979	22,241,448	32,784,427
4	यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	34,970	0	34,970
5	जल एवं विद्युत	102,890	92,580	195,470
6	किराया एवं कर	291,744	194,496	486,240
7	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	551,307	525,937	1,077,244
8	पी0ओ0एल0 व्यय	512,080	520,815	1,032,895
9	फर्नीचर एवं फिक्सचर	25,000	54,421	79,421
10	दूरभाष व्यय	439,973	344,577	784,550
11	डाक व्यय एवं टेलीग्राम	138,000	41,000	179,000
12	पुस्तकें तथा नियत कालिक पत्रिकाएं	23,974	3,235	27,209
13	अन्य आकस्मिक व्यय	1,457,336	869,015	2,326,351
14	वाहन मरम्मत	531,900	383,702	915,602
15	वाहन क्रय	1,890,008	88,920	1,978,928
16	उपस्कर क्रय / कम्प्युटर	706,984	0	706,984
17	भवन का निर्माण / क्रय / मरम्मत नवीनीकरण	13,992,660	17,433,622	31,426,282
18	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अन्त्येष्टि सहायता योजना	158,000,000	86,304,000	244,304,000
19	भगिनि प्रसूति सहायता योजना	91,129,200	35,810,000	126,939,200
20	राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना	296,010,000	369,909,000	665,919,000
21	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	115,788,250	141,777,200	257,565,450
22	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	1,027,685	1,352,617	2,380,302
23	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	99,194,678	73,438,000	172,632,678
24	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	851,882	7,323,320	8,175,202
25	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	2,599,499	800,000	3,399,499
26	मेधावी छात्र–छात्रा प्रोत्साहन योजना	116,742,982	37,615,707	154,358,689
27	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	811,438	2,260,000	3,071,438

क्र.	मद का नाम	वर्ष 2016–17 में व्यय राशि	वर्ष 2017–18 में व्यय राशि	योग
28	गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	1,730,000	0	1,730,000
29	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	259,387,048	185,446,900	444,833,948
30	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	175,386,500	1,855,000	177,241,500
31	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	160,920	5,210,860	5,371,780
32	प्रधानमंत्री अटल पेंशन सहायता योजना	300,000	-	300,000
33	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	6,007,340	40,877,580	46,884,920
34	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	250,000,000	150,000,000	400,000,000
35	श्रम मित्र सहायता योजना	2,835,650	2,562,650	5,398,300
36	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	150,000,000	0	150,000,000
37	प्रचार प्रसार	28,304,978	37,072,034	65,377,012
38	सम्मेलन / शिविर / कार्यशाला	3,849,169	9,221,874	13,071,043
39	दीनदयाल अन्न सहायता योजना	1,430,000	500,000	1,930,000
40	राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय शिक्षण / अध्ययन भ्रमण मद	-	3,355,001	3,355,001
41	पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाला व्यय	46,276,146	39,552,996	85,829,142
	कुल योग	**1,839,245,527**	**1,276,739,246**	**3,115,984,773**

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 86) के भाग (ग) की जानकारी]

जिले का नाम	तहसील का नाम	सामान्य ग्रीष्म धान रकबा (हेक्टेयर)	नलकूप से सिंचित क्षेत्रों में ग्रीष्म धान का रकबा (हेक्टेयर)	नदी/नाले/अन्य खुले जल स्त्रोत से उद्वहन सिंचाई द्वारा ग्रीष्म धान का सामान्य क्षेत्र (हेक्टेयर)	नलकूपों की संख्या	कुओं पम्प की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जांजगीर–चांपा	जांजगीर	175	118	57	152	65
	नवागढ़	145	84	61	120	60
	चाम्पा	1440	760	680	854	295
	जैजैपुर	1778	1422	356	1920	480
	पामगढ़	460	408	52	436	75
	अकलतरा	412	402	10	606	103
	बलौदा	110	102	8	911	145
	सक्ती	618	498	120	825	132
	डभरा	1042	780	262	875	50
	मालखरौदा	1660	1546	114	1806	570
योग :–		7840	6120	1720	8502	1975

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 229) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	अपराध क्रमांक	धारा	आरोपी का नाम	पद नाम	चल–अचल सम्पत्तियों की जानकारी	रिमार्क
1	04/2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुभाष मजीर	जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	अचल सम्पत्ति 4,19,39,474/–रू. तथा नकद राशि 10,54,770/–रू. कुल चल–अचल सम्पत्ति 4,29,94,244/–रू.	विवेचना में
2	15/2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	श्री रामकरण कुम्हार	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, संभाग जगदलपुर,	नकद राशि 11,00,000/– रू.	विवेचना में

नोट– अपराध क्रमांक– 15/2017 आयकर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के प्रारंभिक जांच उपरांत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 283) के भाग (ग) की जानकारी]

क0	प्रकरणों के नाम	लंबित का कारण	लंबित रहने की अवधि
		उप तहसील–मंदिर हसौद	
1	47अ/2 2016–17 मु0का0अधि0 एन0आर0डी0ए0 कोटराभाठा	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 12.12.2016
2	48अ/2 वर्ष 2016–17 मु0का0अधि0 एन0आर0डी0ए0 कोटराभाठा	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 12.12.2016
3	93 अ/2 वर्ष 2016–17 जयश्री पोटदानी जितेन्द्र–मंदिर हसौद	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.12.2016
4	84 अ/2 वर्ष 2016–17 कलीराम धर्मरानी खुशी राम– सोनपैरी	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.12.2016
5	85 अ/2 वर्ष 2016–17 श्रेयाश जैन संतोष –उमरिया	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.12.2016
6	139 अ/2 वर्ष 2016–17 मोतीराम –शिवप्रसाद –सेमरिया	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 25.05.2017
7	171 अ/2 वर्ष 2016.17–एन0आर0डी0ए0 वि0 शासन–खपरी	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 06.06.2017
8	196 अ/2 वर्ष 2016–17 लीलागर पिता बृजलाल टाकुर–खुटेरी	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 01.07.2017
9	207 अ/2 वर्ष 2016–17 तोरणलाल पिता लालजी–मुनगी	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 04.07.2017
10	208 अ/2 वर्ष 2016–17 सीमा पति सनंत वर्मा–मुनगेसर	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 04.07.2017
11	268 अ/2 वर्ष 2016–17 अनिल धारवानी रमेश –सौनपैरी	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 26.08.2017
12	211 अ/2 वर्ष 2016–17 विद्या चंदाकर–भोला –गोढी	पुरा परियोजन के अनापत्ति प्रस्तुत करने बाबत	दिनांक 06.07.2017
13	245 अ/2 वर्ष 2016–17 मुनायर अहमद–मुनीर	नायब तहसीलदार मंदिर हसौद से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 19.07.2017
		तहसील –आरंग	
14	53 अ/2 वर्ष 2016–17 परमानंद तिरथदास–आरंग	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश का अभिमत अनापत्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही करने के कारण	दिनांक 22.11.2016
15	70 अ/2 वर्ष 2016–17 कामराज नंदकुमार –आरंग	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश का अभिमत अनापत्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही करने के कारण	दिनांक 24.11.2016
16	71 अ/2 वर्ष 2016–17 भरत व अन्य –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 02.12.2016
17	73 अ/2 वर्ष 2016–17 शंकर लाल–चंदुलाल –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 02.12.2016
18	75 अ/2 वर्ष 2016–17 रोशनलाल–बैसाखु –कागदेही	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 02.12.2016
19	76 अ/2 वर्ष 2016–17 मन्नुलाल धनउ –बैहार	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 03.12.2016
20	105 अ/2 वर्ष 2016–17 रामरतन– चंदुलाल –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 14.12.2016
21	206 अ/2 वर्ष 2016–17 दुलारी–लक्ष्मणसाहू –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 04.07.2017
22	213 अ/2 वर्ष 2016–17 दीपक –मोतीलाल –आरंग	अधिकार अभिलेख खसरा पांचसाल की प्रति पेश नही करने बाबत	दिनांक 08.07.2017
23	219 अ/2 वर्ष 2016–17 मनोहर –रामबगस –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.07.2017
24	220 अ/2 वर्ष 2016–17 विष्णु –खिलावन लोधी –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.07.2017
25	226 अ/2 वर्ष 2016–17 राधिका–लक्ष्मीनारायण –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 11.07.2017

26	239 अ/2 वर्ष 2016--17 सुखिया–लखन –आरंग	नक्शा बंटाकन की प्रति पेश नही करने बाबत्	दिनांक 19.07.2017
27	240 अ/2 वर्ष 2016--17 रेणुकापुरी–संतोष –आरंग	नक्शा बंटाकन की प्रति पेश नही करने बाबत्	दिनांक 19.07.2017
28	244 अ/2 वर्ष 2016–17 प्रदीप–मनहरण –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 19.07.2017
29	248 अ/2 वर्ष 2016–17 मोहन–नारायण सोनकर –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 19.07.2017
30	249 अ/2 वर्ष 2016–17 वीणा चंद्राकर –रामशरण –आरंग	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 02.08.2017
31	271 अ/2 वर्ष 2016–17 विष्णु–झागर –गुल्लू	तहसीलदार आरंग से जांचप्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण	दिनांक 26.08.2017
32	09अ/2 वर्ष 2017–18 बालमुकुंद शर्मा आरंग	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश का अभिमत राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन एंव आवेदक की उपस्थित	दिनांक 23.02.2017
34	14 अ/2 वर्ष 2017–18 कलाबाई पटेल ग्राम –आरंग	आवेदक की उपस्थिति नगर निवेश का अभिमत अधिकार अभिलेख , बंदोबस्त के पूर्व का रिनंबरिंग सूची एंव अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु	दिनांक16.02.2017
34	15 अ/2 वर्ष 2017–18 अनिल कुमार मोटवानी ग्राम –समोदा	आवेदक की उपस्थिति नगर निवेश का अभिमत अधिकार अभिलेख , बंदोबस्त के पूर्व का रिनंबरिंग सूची एंव अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु	दिनांक 28.03.2017

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 323) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर जिले की अभनपुर तहसील में वर्ष 2016-17 से 2017-18 में नवम्बर 2017 तक रेत, गिट्टी एवं मुरूम उत्खनन हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र की जानकारी

क्रं	पट्टेदार का नाम	खनिज का नाम	ग्राम पंचायत एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	प्रतिवर्ष खनन मात्रा (टन में)	स्वीकृत दिनांक	अनुबंध निष्पादन कालावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्खनिपट्टा								
1	श्रीमती अनिता जैन	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	दुलना/अभनपुर	432/3, 433/2	2.092 हेक्टर	10000	16.12.2012	19.12.2012 से 18.12.2032
2	श्रीमती कविता जैन		दुलना/अभनपुर	688, 687/2,	0.76 ए.	10000	03.05.2010	28.11.2009 से 27.11.2019 (नव.)
3	श्रीमती कविता जैन		दुलना/अभनपुर	433/1,	1.40 ए.	10000	16.08.2012	22.09.2012 से 21.9.2022
4	श्रीमती कविता जैन		दुलना/अभनपुर	433/1, 590, 591	0.750 हे.	10000	04.02.2011	14.02.2011 से 13.2.2021
5	श्री हरिमोहन साहू		दुलना/अभनपुर	686	2.22 एकड़	9350	15.09.2010	20.09.2010 से 19.9.2040
6	श्रीमती कविता जैन		दुलना/अभनपुर	687/1, 691, 692	0.892 हेक्टर	10000	17.09.2004	23.07.2014 से 22.07.2034
7	श्री गणेष प्रसाद खेतान		बेन्द्री/अभनपुर	100/3, 100/11	2.22 ए.	15750	28.04.2012	08.05.2012 से 7.5.2042
8	श्री कमलेष भावनानी		सिंगारभाठा/अभनपुर	795, 797	1.441 हे.	17800	14.07.2004	03.12.2014 से 02.12.2034
अस्थाई अनुज्ञा पत्र								
9	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हे.	60000	01.06.2017	02.06.2017 से 01.06.2019
10	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.		बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हे.	60000	01.06.2017	02.06.2017 से 01.06.2019
11	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.		बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हे.	60000	01.06.2017	02.06.2017 से 01.06.2019
12	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट प्रा.लि.		बेन्द्री/अभनपुर	1/13	1.00 हे.	60000	01.06.2017	02.06.2017 से 01.06.2019
मुरूम								
मुरूम उत्खनन हेतु स्वीकृत खदान निरंक								

खदान

क्र.	रेत खदान का नाम	ग्राम पंचायत / विकासखंड	खसरा नं.	रकबा	पर्यावरण क्लीयरेंस (MOEF)		खदान संचालनकर्ता	पर्यावरण अनुमति अवधि	रिमार्क
					दिनांक	प्रति वर्ष खनन मात्रा (घन मी. में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोलयारी (ए)	कोलयारी(लखना) / अभनपुर	766	6.000 हे.	07.12.2013	150000	जनपद पंचायत अभनपुर	07.12.2013 से 06.12.2016	अवधि समाप्त।
2	लखना (ए)	लखना / अभनपुर	866	3.000 हे.	06.12.2013	75000	जनपद पंचायत अभनपुर	06.12.2013 से 05.12.2016	अवधि समाप्त।
3	टीला	टीला / अभनपुर	1891	6.00 हे.	30.11.2015	108000 90000	ग्राम पंचायत टीला	18.05.2015 से 15.10.2015 30.11.2015 से 29.11.2017	अवधि समाप्त।
4	चम्पारण (ए)	चम्पारण / अभनपुर	3009	15.00 हे.	01.05.2014 11.06.2015 14.05.2016	252000 150000	जनपद पंचायत अभनपुर	01.05.2014 से 31.03.2015 01.04.2015 से 15.10.2015 14.03.2016 से 13.03.2018	संचालित।
5	खट्टी	खट्टी / अभनपुर	275	5.00 हे.	09.09.2016	67690	ग्राम पंचायत खट्टी	09.09.2016 से 08.09.2019	संचालित।
6	दुलना (ए)	दुलना / अभनपुर	1728, 1729	5.00 हे.	03.12.2016	75000	ग्राम पंचायत दुलना	03.12.2016 से 02.12.2019	संचालित।
7	दुलना (बी)	दुलना / अभनपुर	1728	5.00 हे.	03.12.2016	75000	ग्राम पंचायत दुलना	03.12.2016 से 02.12.2019	संचालित।
8	पारागांव (ए)	पारागांव / अभनपुर	1225	4.500 हे.	16.02.2017	75000	ग्राम पंचायत पारागांव	16.02.2017 से 15.02.2020	संचालित।
9	लखना (बी)	कोलियारी / अभनपुर	865	3.50 हे.	20.03.2017	60000	ग्राम पंचायत कोलियारी	20.03.2017 से 19.03.2020	संचालित।
10	पारागांव	पारागांव / अभनपुर	1225	10.00 हे.	01.05.2014 11.06.2015 28.07.2017	185250 100000	जनपद पंचायत अभनपुर	01.05.2014 से 31.03.2015 01.04.2015 से 15.10.2015 28.07.2017 से 27.07.2019	संचालित

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 164) के भाग (क) की जानकारी]

सरगुजा संभाग मे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के वर्ष 2013 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु खुली निविदा अंतर्गत भाग लिये गये निविदाकार फर्म का नाम

क्र0	फर्म के नाम
1	मेसस अनिल इले0 एण्ड सेनेटरी गुड्स सेन्डीपेट, जिला– मेढ़क, तेलांगाना
2	मेसर्स अजीत कन्सट्रक्शन चाम्पा
3	मेसर्स मॉ हरसिद्धि इन्फ्रा डेव्लपर्स प्रा.लि. धमतरी रोड, रायपुर
4	मेसर्स ए.के. कन्सट्रक्शन जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी, रायपुर
5	मेसर्स के.के. कन्सट्रक्शन रायपुर
6	मेसर्स राजपूताना केबल एण्ड कण्डक्टर कोरबा
7	मेसर्स अग्रवाल एसोसिएटस झलप
8	मेसर्स राजधानी इलेक्ट्रिकल्स रायपुर
9	मेसर्स पॉवर टेक इण्डिया बिलासपुर
10	मेसर्स एन.के. कन्सट्रक्शन महासमुंद
11	मेसर्स राकेश मिश्रा बिलासपुर
12	मेसर्स यश कन्सट्रक्शन बिलासपुर
13	मेसर्स रीतेश कुमार बजाज कुनकुरी जशपुर
14	मेसर्स यादव इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्क्स कोरबा
15	मेसर्स सृष्टि कन्सट्रक्शन चांपा
16	मेसर्स अनिमेष रायजादा, बिलासपुर
17	मेसर्स आई.पी. पटेल सरायपाली
18	मेसर्स कैम्ब्रिज इनडस्ट्रीज, रायपुर
19	मेसर्स मनोज कुमार राठौर, जांजगीर–चांपा
20	मेसर्स उदय कन्सट्रक्शन, जांजगीर–चांपा
21	मेसर्स कांतिभूषण राठौर, कोरबा
22	मेसर्स आई.जे. इलेक्ट्रिकल, रायपुर
23	मेसर्स हर्ष मार्केटिंग, दुर्ग
24	मेसस ग्रिड इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई
25	मेसर्स नितेश रायचा, रायपुर
26	मेसर्स फ्यूचर इंजीनियरिंग, बिलासपुर

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 2) के भाग (ग) की जानकारी]

वर्षवार, विकासखण्डवार, प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत व्यय की गई राशि की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2014–15		
विकासखण्ड का नाम	ट्रेड का नाम	व्यय की गई राशि
बम्हनीडिह	मेसन	227200
सक्ती	टेलर चिल्ड्रन	63958
	टेलर लेडिस	423000
योग –		714058

वित्तीय वर्ष 2015–16		
विकासखण्ड का नाम	ट्रेड का नाम	व्यय की गई राशि
सक्ती	एकाउंटिंग असिस्टेंट यूसिंग टेली	796000
	बेसिक फिटिंग वर्क	89440
	कम्प्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट	524000
	टेलर लेडिस	1612007
	कम्प्यूटर फंडामेंटल	16800
	मेसन	236500
	ड्राईवर कम मैकेनिक	232000
	डीटीपी एण्ड प्रिंट पब्लिसिंग असिस्टेंट	371000
	इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक	825600
	टेलर (बेसिक सेविंग आपरेटर)	1223924
बम्हनीडिह	बेसिक फिटिंग वर्क	80800
	बेसिक वूड वर्क	76000
	इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक	277505
	टेलर लेडिस	19200
	ड्राईवर कम मैकेनिक	23200
	मेसन	202363
योग –		6606339

वित्तीय वर्ष 2016–17		
विकासखण्ड का नाम	ट्रेड का नाम	व्यय की गई राशि
सक्ती	डेयरी फार्मीग	736084
	गार्डनर	174263
	लैंडस्केपिंग एण्ड फ्लोरीकल्चर	127150
	मशरूम कल्टीवेशन	173618
	मेसन	313780
	कम्प्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट	765000
	डीटीपी एण्ड प्रिंट पब्लिसिंग असिस्टेंट	245000
बम्हनीडिह	मेसन	153923
योग –		2688818

वित्तीय वर्ष 2017–18		
विकासखण्ड का नाम	ट्रेड का नाम	व्यय की गई राशि
सक्ती	कल्टीवेशन ऑफ आयलसीड पल्सेस	49700
	गार्डनर	165000
	जूनियर रूरल रोड लेयर	16059
	सीप एण्ड गोट रियरिंग	42600
	डेयरी फार्मीग	67800
	वर्मीकल्चरिंग एण्ड वर्मीकम्पोजडिंग	48800
	अस्सिटेंट इलेक्ट्रिकल	8000
बम्हनीडिह	ड्राईवर कम प्यून	161131
योग –		559090
कुल योग –		10568305

एक करोड़ पांच लाख अड़सठ हजार तीन सौ पांच रूपये

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 51) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्र कवर्धा अंतर्गत महतारी जतन के संचालन की स्थिति

क्र.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल विकासखंड का नाम	विकासखंड अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	केन्द्रों की संख्या जहाँ महतारी जतन योजना संचालित है			महतारी जतन योजनांतर्गत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की संख्या
			आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल केन्द्रों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	बोड़ला	चिल्फी	126	37	163	600
2		तरेगांव जंगल	101	17	118	512
3		बोड़ला	192	26	218	1084
योग :–			**419**	**80**	**499**	**2196**
1	स0 लोहारा	स0लोहारा	120	1	121	686
योग :–			**120**	**1**	**121**	**686**
1	कवर्धा	कवर्धा	209	0	209	1207
2		दशरंगपुर	67	0	67	451
योग :–			**276**	**0**	**276**	**1658**
महायोग :–			**815**	**81**	896	**4540**

प्रपत्र "ब"

महतारी जतन योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दिये जा रहे आहार की जानकारी

सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरूवार	शुक्रवार	शनिवार
रोटी	रोटी	रोटी	रोटी	रोटी	रोटी
चांवल	चांवल	चांवल	चांवल	चांवल	चांवल
छिलके वाली मूंग दाल	चना दाल	मिक्स दाल	अरहर दाल	छिलके वाली मूंग दाल	मिक्स दाल
रसेदार सब्जी (सोयाबड़ी व आलू)	रसेदार सब्जी (देशी चना व आलू)	रसेदार सब्जी (मटर व आलू)	रसेदार सब्जी (झुरगा व आलू)	रसेदार सब्जी (सोयाबड़ी व आलू)	रसेदार सब्जी (देशी चना व आलू)
सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/ लाल भाजी/ पालक/ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)	सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/चेंच भाजी/ चौलाई/ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)	सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/कोलियारी भाजी/ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)	सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/ लालभाजी/पालक/ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)	सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/करमत्ता /पालक/ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)	सूखी सब्जी (मुनगा भाजी/पोई भाजी/पालक / स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्तेदार सब्जी)
आचार	आचार	आचार	आचार	आचार	आचार
पापड़	पापड़	पापड़	पापड़	पापड़	पापड़
सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	सलाद
गुड़	गुड़	गुड़	गुड़	गुड़	गुड़

टीप :– उपरोक्त के अतिरिक्त टेक होम राशन पद्धति से प्रति हितग्राही प्रतिदिन 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड भी दिया जाता है।

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 87) के भाग (क) की जानकारी]

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-146/राजस्व/राहतं/2017 दिनांक 13-09-2017 द्वारा प्रदेश की 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया

क.	जिला	सूखाग्रस्त तहसीलों का नाम
1.	रायपुर	(1) रायपुर (2) आरंग (3) अभनपुर (4) तिल्दा
2	बलौदाबाजार	(1) बलौदाबाजार (2) सिमगा (3)भाटापारा (4) कसडोल (5) बिलाईगढ़ (6) पलारी
3.	गरियाबंद	(1) गरियाबंद (2) छुरा (3) मैनपुर
4.	धमतरी	(1) कुरूद (2) मगरलोड (3) नगरी (4) धमतरी
5.	महासमुंद	(1) महासमुंद (2) पिथौरा (3) बागबाहरा (4) सराईपाली (5) बसना
6.	दुर्ग	(1) पाटन (2) दुर्ग (3) धमधा
7.	बालोद	(1)डौंडीलोहारा (2) डौंडी (3) गुरूर (4) गुण्डरदेही
8.	बेमेतरा	(1) साजा (2) थानखम्हरिया (3) नवागढ़ (4) बेरला (5) बेमेतरा
9.	राजनांदगॉव	(1) छुईखदान (2) खैरागढ (3) डोंगरगढ़ (4) राजनांदगॉव (5) अम्बागढ़– चौकी (6) मोहला (7) मानपुर (8) डोंगरगॉव (9) छुरिया
10	कबीरधाम	(1)कवर्धा (2) पण्डरिया (3) बोड़ला (4) सहसपुर लोहारा
11	कोण्डागांव	(1) फरसगांव (2) माकड़ी (3) केशकाल (4) बड़ेराजपुर
12	दन्तेवाड़ा	1) दन्तेवाड़ा (2) गीदम (3) कटेकल्याण (4) कुआंकोण्डा (5) बड़े बचेली
13	कांकेर	(1) कांकेर (2) चारामा (3) नरहरपुर (4) भानुप्रतापपुर (5) अंतागढ़ (6) पखांजूर (7) दुर्गकोन्दल
14.	बिलासपुर	(1) बिलासपुर (2)बिल्हा (3) मस्तुरी (4) पेण्ड्रारोड (5) पेण्ड्रा (6) मरवाही (7) कोटा (8) तखतपुर
15.	मुंगेली	(1) मुंगेली (2) पथरिया (3) लोरमी
16	जांजगीर–चांपा	(1) जैजैपुर (2) अकलतरा (3) बलौदा (4) डभरा
17.	कोरबा	(1) पाली
18.	रायगढ़	(1) रायगढ़ (2) सारंगढ़ (3) धरमजयगढ़ (4) पुसौर (5) बरमकेला (6) तमनार
19.	कोरिया	(1) बैकुण्ठपुर (2) सोनहत (3) मनेन्द्रगढ़ (4) खड़गवा (5) भरतपुर
20	नारायणपुर	(1) नारायणपुर (2) ओरछा
21	बीजापुर	1) बीजापुर (2) भैरमगढ़ (3) भोपालपटनम् (4) उसूर
	योग	96 तहसील

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 94) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भवन स्वीकृति प्राप्त स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	अतरिया 02
2	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	खपरीदरबार 02
3	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	जोम
4	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	पेण्डरवानी 02
5	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	नर्मदा
6	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	चकनार 02
7	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	महराटोला
8	राजनांदगांव	खैरागढ	छुईखदान	कटंगी
9	राजनांदगांव	खैरागढ	खैरागढ	बडगडा
10	राजनांदगांव	खैरागढ	खैरागढ	सण्डी 02
11	राजनांदगांव	खैरागढ	खैरागढ	भरदाकला 02
12	राजनांदगांव	खैरागढ	खैरागढ	धानीखुटा
13	राजनांदगांव	खैरागढ	खैरागढ	मुडपार
योग	—	—	—	13

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 165) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	अपराध क्र.	धारा	आरोपी का नाम व पद नाम	ट्रेप प्रकरण पर जप्त राशि	छापे पर अनुमानित चल अचल सम्पत्ति	छापा पर जप्त नकद राशि	छापे पर अनुमानित कुल सम्पत्ति	रिमार्क
1.	12/2016 09.02.2016	120–बी, 409, 420 भा0द0वि0 एवं 13(1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ.1988	लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के एन्टी वायरस खरीदी प्रकिया से जुड़े तत्कालीन अधिकारी (लोकसेवक)	--	–	–	–	विवेचना में
2.	14/2016 04.03.2016	120–बी, 420 भा0द0वि0 एवं 13(1) डी, 13 (2) भ्र. नि.अ.1988	(1) श्री एस0के0 पाठक, मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर (2) श्री पी0के0 जांगड़े, अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई, परियोजना मंडल, अम्बिकापुर, (3) श्री ओ0पी0 चंदेल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1,	–	–	–	–	चालान पेश
3.	20/2016 04.04.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री परितोष हलधर, उर्फ हलदार, उप यंत्री, कनिष्ठ यंत्री कार्यालय छ.ग. वि.वि.कं. मर्यादित नवागढ़ जिला – बेमेतरा (छ.ग.)	30000	–	–	–	चालान पेश
4.	21/2016 05.04.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री कुंवरलाल उर्फ कंवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग मद्देड़, बीजापुर, जिला– बीजापुर (छ.ग.)	100000	–	–	–	चालान पेश
5.	22/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्रीमती दयामणी मिंज, अतिरिक्त संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर (छ. ग.)	–	25743518	139200	25882718	चालान पेश
6.	23/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री अरूण शर्मा सीएमओ नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)	–	46278556	174500	46453056	चालान लंबित
7.	24/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री शुभ नारायण पाठक, कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिलासपुर (छ. ग.)	–	26500000	4500000	31000000	चालान पेश
8.	25/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुरेश बरवा कार्यपालन अभियंता नगर निगम बिलासपुर (छ.ग.)	–	15390000	140000	15530000	विवेचना
9.	26/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री अरविन्द कुमार राही, एस.ई., प्रधानमंत्री सड़क योजना रायगढ़ (मूल पदस्थापना जल संसाधन विभाग) (छ.ग.)	–	1284400	0	1284400	विवेचना
10.	27/2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री हरेराम शर्मा, संयुक्त संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग (राजीव गांधी शिक्षा मिशन) रायपुर (छ.ग.)	–	23405106	2399995	25805101	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित

11.	28 / 2016 08.04.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री के.के. चन्द्राकर, कुल सचिव, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)	—	31742518	48000	31790518	चालान पेश
12.	29 / 2016 22.04.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री माखन लाल बंजारे पटवारी, प0ह0न0– 09, ग्राम– भटगांव तह0 – अभनपुर जिला – रायपुर (छ.ग.)।	5000	—	—	—	चालान पेश
13.	30 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री अर्जुन लाल यादव, प्रबंधक, सहकारी विपणन संस्था अकलतरा, जिला– जांजगीर चापा (छ.ग.)	—	12363632	150700	12514332	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
14.	31 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री गणेशराम देवांगन, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग राजनांदगांव	—	5766689	100000	5866689	खात्मा
15.	32 / 2016 22.04.2016	13(1) ई 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री फेबियन खेस कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग वि / या. संभाग अंबिकापुर छ.ग.	—	25202865	110550	25313415	विवेचना
16.	33 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री गुलाम मोहम्मद खान सेवा निवृत्त खाद्य अधिकारी बिलासपुर, जिला–बिलासपुर छ.ग.	—	1600000	0	1600000	विवेचना
17.	34 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री आनंद पाण्डेय, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, मूल विभाग शिक्षा विभाग,	—	33340854	88500	33429354	विवेचना
18.	35 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री नंद कुमार द्विवेदी, जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	—	14493520	106000	14599520	चालान लंबित
19.	36 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री उमा शंकर राम, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बैकुण्ठपुर कोरिया	—	16011325	555500	16566825	विवेचना
20.	37 / 2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री मिथलेश पाण्डेय, पटवारी, मकान नंबर–266, सुंदर नगर रायपुर	—	13078099	181050	13259149	चालान पेश
21.	38 / 2016 29.04.2016	13(1)डी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा–420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0वि0	तत्कालीन मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर	—	—	—	—	विवेचना में
22.	39 / 2016 11.05.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री नन्द किशोर अग्रवाल, मंडल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मंडल वन विकास निगम रायपुर (छ.ग.)	50000	—	—	—	चालान पेश
23.	40 / 2016 16.05.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री शान्तिलाल गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग खंडगंवा जिला– कोरिया (छ.ग.)	—	8311013	2080000	10391013	चालान लंबित

24.	41 / 2016 18.05.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री विनायक मिश्रा, पटवारी, प0ह0न0--24, ग्राम–टेमरी, तहसील–पटना, जिला–कोरिया बैकण्ठपुर, छ.ग.	5000	—	—	—	चालान पेश
25.	42 / 2016 02.06.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री राजीव तिवारी, पटवारी प0ह0न0–12, ग्राम– टिकुलिया, थाना–भाटापारा तहसील–भाटापारा, जिला– बलौदाबाजार, छ.ग.	10000	—	—	—	चालान पेश
26.	43 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री रमेश शर्मा, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड महासमुंद जिला–महासमुंद छ.ग.	—	26093226	457830	26551056	विवेचना
27.	44 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायपुर छ.ग.	—	25453670	115330	25569000	विवेचना
28.	45 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद दुबे, एस.डी.ओ. वन मण्डल कार्यालय,राजपुर रामानुजगज, बलरामपुर जिला– बलरामपुर छ.ग.	—	23632078	225220	23857298	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
29.	46 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुरेश चन्द्र माहेश्वरी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अम्बिकापुर	—	21823533	540150	22363683	खात्मा
30.	47 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री कुन्दन कुमार बंजारे, जिला खनिज अधिकारी बिलासपुर छ.ग.	—	1071882	34000	1105882	चालान पेश
31.	48 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री आनंद राव नायडू, रेंजर, वन विभाग, रायपुर मोहला	—	14021343	110600	14131943	विवेचना
32.	49 / 2016 02.06.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री रामरतन पाण्डेय, प्रबंधक, राज्य सहकारी विपणन संघ जिला कार्यालय जांजगीर जिला –जांजगीर चांपा छ.ग.	—	32986476	114930	33101406	विवेचना
33.	50 / 2016 04.06.2016	13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा–120–बी, 420, 467, 468, 471, भा0द0वि0	1. सदाराम ठाकुर, तहसीलदार, पिथौरा 2.पीताम्बर लाल देवांगन, राजस्व निरीक्षक, पिथौरा 3. करण चन्द्राकर, पटवारी, प0ह0नं0–11, ग्राम पिलवापाली,	—	—	—	—	विवेचना
34.	51 / 2016 13.06.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री शोभा राम ध्रुव पटवारी प0ह0न0–04, गुजरा, थाना– भखारा, जिला धमतरी	1500	—	—	—	चालान पेश
35.	52 / 2016 21.06.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री नन्द किशोर अग्रवाल, मंडल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मंडल वन विकास निगम रायपुर (छ.ग.)	—	25373207	1508000	26881207	विवेचना

36.	53 / 2016 30.06.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री मनीष सिंह लिपिक स्थापना शाखा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डोंगरगढ़ जिला–राजनांदगांव छ.ग.	2000	–	–	–	चालान पेश
37.	59 / 2016 11.08.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुनील कुमार जायसवाल, सहायक ग्रेड–3, प्रेमभुवन सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव, जिला–बलौदाबाजार (छ.ग.)	15000	–	–	–	चालान पेश
38.	60 / 2016 29.08.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री रविन्द्र कुमार गेंदले, खाद्य एवं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग, जिला– दुर्ग (छ.ग.)	80000	–	–	–	चालान पेश
39.	61 / 2016 30.08.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री लोचन कुमार निर्वाण, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी, सेवा उप संभाग फिंगेश्वर जिला–गरियाबंद (छ.ग.)	15000	–	–	–	चालान पेश (आरोपी की मृत्यु)
40.	62 / 2016 07.09.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री संजय दुबे, सहायक खाद्य अधिकारी, कार्यालय कलेक्ट्रेट राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	140000	–	–	–	चालान पेश
41.	63 / 2016 16.09.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–3, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग संभाग–1, पेंशनबाड़ा, जिला–रायपुर (छ.ग.)	3000	–	–	–	चालान पेश
42.	64 / 2016 23.09.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री संजय दुबे, सहायक खाद्य अधिकारी, कार्यालय कलेक्ट्रेट राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	–	11397800	486100	11883900	विवेचना
43.	65 / 2016 26.09.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुखीराम साहू, पटवारी, प0ह0न0–33, मुख्यालय सीतापार, तहसील– पलारी जिला– बलौदाबाजार छ.ग.	15000	–	–	–	चालान पेश
44.	66 / 2016 29.09.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री अनीस खान, पटवारी, प0ह0न0–43, ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)	10000	–	–	–	चालान पेश
45.	67 / 2016 11.11.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	डॉ. आर.के. साहू, उर्फ रमेश कुमार साहू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली, जिला– महासमुंद (छ.ग.)	5000	–	–	–	चालान पेश
46.	68 / 2016 15.11.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री शंकर दास, वन परिक्षेत्र अधिकारी, धमधा, जिला– दुर्ग (छ.ग.)	–	1384100	820000	2204100	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित

47.	69/2016 05.12.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	(1) श्री सीताराम राजपूत, सहायक ग्रेड–02, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा, जिला–बेमेतरा, (2) श्री राकेश महिलांगे, सहायक–03, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा, जिला– बेमेतरा	5000	—	—	—	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
48.	70/2016 09.12.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1989	श्री अनिल अग्रवाल, कार्यालय सहायक ग्रेड–01, वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, गुढ़ियारी, रायपुर छ.ग.	2000	—	—	—	विवेचना
49.	01/2017 19.01.2017	409,420,467,468,471 भादवि0 एवं 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988	श्री प्रताप सिंह नामदेव, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।	—	—	—	—	विवेचना
50.	02/2017 07.02.2017	13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सहपठित धारा–420, 120बी भा0द0वि0	उप संचालक, कृषि, बालोद, जिला बालोद एवं अन्य अधिकारी, कृषि विभाग छत्तीसगढ़ एवं मेसर्स वर्धमान एग्रो तथा अन्य।	—	—	—	—	विवेचना
51.	03/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री अविनाश गुंजाल, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग)	—	20926729	86530	21013259	विवेचना
52.	04/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सुभाष गंजीर, जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	—	41939474	1054770	42994244	विवेचना
53.	05/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री एस.के. चन्द्रा, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,कोरबा (छ.ग.)	—	14746000	54900	14800900	विवेचना
54.	06/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री एम.एल. पाण्डेय, अपर संचालक, समाज कल्याण संचालनालय रायपुर (छ.ग.)	—	102720000	880000	103600000	विवेचना
55.	07/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, ईई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिलासपुर (छ.ग.)	—	30231000	769000	27493833	विवेचना
56.	08/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, एस.डी.ओ. वन विभाग बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)	—	45338680	510180	45848860	विवेचना
57.	09/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री ए.के. तम्बोली, सहायक खाद्य अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.)	—	12825500	146750	13000000	विवेचना
58.	10/2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री श्रवण सिंह, नोडल अधिकारी, कोआपरेटिव बैंक, जांजगीर चांपा (छ.ग.)	—	18745000	48700	18793700	विवेचना

59.	11 / 2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री सालिक राम वर्मा, संयुक्त संचालक कृषि (जी.डी.ए.), डायरेक्टर प्रशिक्षण एकादमी लभाण्डी एवं प्रभारी रजिस्ट्रार छ.ग. कृषि विश्व विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	—	3044810	329500	3374310	विवेचना
60.	12 / 2017 21.03.2017	13(1)ई, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988	श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, पटवारी, मोवा, रायपुर।	—	—	—	—	विवेचना
61.	13 / 2017 11.04.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्रीमती लता सक्सेना, पटवारी, प.ह.नं.–47, तहसील पिथौरा, जिला–महासमुंद (छ.ग.)	4000	—	—	—	चालान पेश
62.	14 / 2017 17.04.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री ओमप्रकाश खाण्डेकर, माईनिंग इस्पेक्टर, कार्यालय कलेक्टोरेट खनिज शाखा बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	10000	—	—	—	चालान पेश
63.	15 / 2017 20.04.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	श्री रामकरण कुम्हार, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, संभाग जगदलपुर.	—	—	1100000	1100000	विवेचना
64.	16 / 2017 29.04.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री जनक राम साहू, पटवारी, प0ह0न0–22, तहसील– डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)	5000	—	—	—	चालान पेश
65.	18 / 2017 31.05.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	(1) श्री अनील कुमार बावनगडे, पद राजस्व निरीक्षक, उप तहसील अहिवारा, जिला–दुर्ग (2) श्री गुलशन कुमार चोपड़ा, पटवारी, प0ह0न0–28, मुख्यालय ग्राम अहेरी उप तहसील, अहिवारा जिला–दुर्ग (छ.ग.)	12000	—	—	—	विवेचना
66.	19 / 2017 12.06.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री. उकेश्वर साहू, रोजगार सहायक, ग्राम–टेड़ेसरा, थाना–सोमनी, तहसील व जिला-- राजनांदगांव (छ.ग.) जनपद पंचायत राजनांदगांव	10000	—	—	—	चालान पेश
67.	20 / 2017 02.07.2017	13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 120बी, 420 भा.द.वि.	(1) श्री आर.एन. दिव्य, मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग बिलासपुर (2) श्री बी.आर. लाड़िया, अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर–कोरबा (3) श्री मधुकर कुम्भारे, कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज डिवीजन, जल प्रबंध संभाग, कोरबा एवं अन्य।	—	—	—	—	विवेचना

68.	21/2017 22.07.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री कुमदो ऊर्फ कोमदो सोलंकी, लिपिक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकरी, दंतेवाड़ा (छ.ग.) सहआरोपी डॉ. प्रकाश सिंह, जिला–आयुर्वेद अधिकारी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	5000	—	—	—	विवेचना
69.	22/2017 22.07.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री कुमदो ऊर्फ कोमदो सोलंकी, लिपिक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकरी, दंतेवाड़ा (छ.ग.) सहआरोपी डॉ. प्रकाश सिंह, जिला–आयुर्वेद अधिकारी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	2000	—	—	—	विवेचना
70.	23/2017 11.08.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री विनोद गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग जिला–दुर्ग छ.ग.	27000	—	—	—	चालान लंबित
71.	24/2017 04.09.2017	13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	(1) श्री कौशलेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रबध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर (2) श्री एम0एन0 प्रसाद राव, महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर (3) श्री के0एस0 श्रेय, प्रबंधक (प्रशासन), नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर	—	—	—	—	विवेचना में
72.	25/2017 19.09.2017	13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	(1) श्री आर0एस0 भोई, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा (2) श्री श्रीकांत दुबे, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर (3) श्री नवल सिंह मंडावी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा।	—	—	—	—	विवेचना में
73.	26/2017 21.09.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री ऐन. प्रसाद शर्मा, सचिव, ग्राम– पंचायत, मुरई, विकास खण्ड– छुईखदान, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	10000	—	—	—	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
74.	27/2017 27.09.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	1. श्री अरूण शाह, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, दुर्ग एवं 2. श्री दिलीप कुमार , चपरासी कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग जिला– दुर्ग (छ.ग.)	5000	—	—	—	विवेचना

75.	28/2017 29.09.2017	13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 420, 120 बी भा0द0वि0	(1) श्री एस0पी0 पाण्डेय, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर (2) श्री डी0के0 राय, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर (3) श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, लेखापाल, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर (4) श्री एस0पी0 सिदार, सहायक ग्रेड–3, स्टोर, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर	—	—	—	—	विवेचना
76.	29/2017 06.10.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	1. श्री सैय्यद आरिफ इकबाल, सहायक ग्रेड–02,, एस.डी.एम. कार्यालय, डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव, छ.ग. 2. श्री आर. बी. देवांगन, एस.डी.एम., एस.डी.एम. कार्यालय डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)	11000	—	—	—	विवेचना
77.	30/2017 10.10.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री घनश्याम प्रसाद कंडरा, वरिष्ठ लेखापाल, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कार्यालय, मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा, जिला–कबीरधाम छ.ग.	8000	—	—	—	विवेचना
78.	31/2017 10.10.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री गुणेश वैष्णव, कोऑपेरेटिव सोसायटी ऑडिर, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार छ.ग.	7000	—	—	—	विवेचना
79.	32/2017 27.10.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री विनय केसरिया (सोनकर) पटवारी, प.ह.न. –24, ग्राम पंचायत कोडेवा, रा.नि.मं. अर्जुन्दा, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद छ.ग.	25000	—	—	—	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
80.	33/2017 28.10.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री संतोष कुमार रात्रे, अमीन पटवारी, जल संसाधान विभाग संबंद्ध रीडर एसडीएम कार्यालय पथरिया, जिला– मुगेंली छ.ग.	—	—	—	1296500	विवेचना
81.	34/2017 31.10.2017	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	कुमारी नन्दा साहू, पटवारी, प.ह.न.–33, राजस्व निरीक्षक मण्डल कोमाखान, तहसील बागबाहरा, जिला–महासमुंद छ.ग.	10000	—	—	—	विवेचना

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 249) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कोण्डागांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अंतर्गत विकासखण्ड बड़ेराजपुर व फरसगांव में छात्रावास/आश्रम व शाला भवनों के मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य, हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी

विकास खण्ड–बड़ेराजपुर

क्र	कार्यो का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2016–17				
01.	बालक आश्रम छोटेराजपुर का जीर्णोद्धार कार्य	छोटेराजपुर	बड़ेराजपुर	9.96
02.	कन्या आश्रम पेण्ड्रावन का जीर्णोद्धार कार्य	पेण्ड्रावन	बड़ेराजपुर	9.99
03.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बांसकोट का जीर्णोद्धार कार्य	बांसकोट	बड़ेराजपुर	9.83
04.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़बत्तर का जीर्णोद्धार कार्य	बड़बत्तर	बड़ेराजपुर	1.35
05.	कन्या आश्रम गम्हरी का जीर्णोद्धार कार्य	गम्हरी	बड़ेराजपुर	9.87
06.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास तितरावण्ड का जीर्णोद्धार कार्य	तितरावण्ड	बड़ेराजपुर	9.99
07.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेराजपुर का जीर्णोद्धार कार्य	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	9.93
08.	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास हरवेल का जीर्णोद्धार कार्य	हरवेल	बड़ेराजपुर	9.99
09.	कस्तुरबा गांधी कन्या छात्रावास राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का जीर्णोद्धार कार्य	विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	9.93
10.	प्री मैट्रिक / पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास विश्रामपुरी का जीर्णोद्धार कार्य	विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	8.13
11.	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ेराजपुर का जीर्णोद्धार कार्य	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	9.96
12.	कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय विश्रामपुरी का जीर्णोद्धार कार्य	विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	9.31
13.	बालक आश्रम हरवेल का जीर्णोद्धार कार्य	हरवेल	बड़ेराजपुर	9.92
14.	कन्या आश्रम होनावण्डी का जीर्णोद्धार कार्य	होनावण्डी	बड़ेराजपुर	9.98
15.	कन्या आश्रम मानिकपुरी का जीर्णोद्धार कार्य	मानिकपुरी	बड़ेराजपुर	9.94
			योग :–	138.08
वर्ष 2017–18				
01.	हाईस्कूल पारोण्ड जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	पारोण्ड	बड़ेराजपुर	3.51
02.	हाईस्कूल खरगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	खरगांव	बड़ेराजपुर	4.47
03.	हाईस्कूल हात्मा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	हात्मा	बड़ेराजपुर	4.47
04.	हायरसेकेण्डरी तितरावण्ड जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	तितरावण्ड	बड़ेराजपुर	5.46
05.	हायरसेकेण्डरी बड़ेराजपुर जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	3.67
06.	हायरसेकेण्डरी हरवेल जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	हरवेल	बड़ेराजपुर	3.51
7	हाईस्कूल सलना भाग–01 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	सलना	बड़ेराजपुर	2.93

क्र	कार्यो का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
08.	हाईस्कूल सलना भाग–02 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	सलना	बड़ेराजपुर	2.93
09.	हायरसेकेण्डरी बड़बत्तर भाग–01 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़बत्तर	बड़ेराजपुर	3.51
10.	हायरसेकेण्डरी बड़बत्तर भाग–02 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़बत्तर	बड़ेराजपुर	5.46
11.	हाईस्कूल बांसकोट भाग–01 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बांसकोट	बड़ेराजपुर	3.47
12.	हायरसेकेण्डरी कोसमी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	कोसमी	बड़ेराजपुर	3.51
13.	हायरसेकेण्डरी बांसकोट जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बांसकोट	बड़ेराजपुर	3.13
14.	हायरसेकेण्डरी खजरावण्ड जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	खजरावण्ड	बड़ेराजपुर	5.46
15.	हाईस्कूल कोरगांव भाग–01 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	कोरगांव	बड़ेराजपुर	7.83
16.	हाईस्कूल कोरगांव भाग–02 जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	कोरगांव	बड़ेराजपुर	3.38
17.	हाईस्कूल लिहागांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	लिहागांव	बड़ेराजपुर	3.51
18.	हायरसेकेण्डरी गम्हरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	गम्हरी	बड़ेराजपुर	5.46
19.	हायरसेकेण्डरी होनावण्डी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	होनावण्डी	बड़ेराजपुर	4.47
20.	हाईस्कूल धामनपुरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	धामनपुरी	बड़ेराजपुर	4.47
21.	हाईस्कूल जिर्रापारा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जिर्रापारा	बड़ेराजपुर	4.47
			योग :–	89.08

विकास खण्ड--फरसगांव

विकास खण्ड फरसगांव में वित्तीय वर्ष 2016--17 में आश्रम/छात्रावास एवं स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार हेतु डीएमएफ से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किए गए है।

क्र	कार्यो का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2017--18				
01.	पंडित जवाहरलाल नेहरु छात्रावास फरसगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	फरसगांव	फरसगांव	9.98
02.	प्रवीण्य उन्नयन योजना छात्रावास फरसगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	फरसगांव	फरसगांव	9.33
03.	मोतीलाल नेहरु प्री मे. बालक छात्रावास बड़ेडोंगर जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़ेडोंगर	फरसगांव	3.28
04.	कन्या आश्रम बड़ेडोंगर जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़ेडोंगर	फरसगांव	7.45
05.	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	फरसगांव	फरसगांव	5.64
06.	कन्या आश्रम बड़ेडोंगर बैसाबेड़ा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बड़ेडोंगर	फरसगांव	8.77
07.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बोरगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बोरगांव	फरसगांव	9.22
08.	प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास फरसगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	फरसगांव	फरसगांव	9.22
09.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लंजोड़ा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	लंजोड़ा	फरसगांव	9.22
10.	50 सीटर कन्या आश्रम हिर्री जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	हिर्री	फरसगांव	8.6
11.	50 सीटर कन्या आश्रम जैतपुरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जैतपुरी	फरसगांव	8.6
12.	50 सीटर कन्या आश्रम बानगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	बानगांव	फरसगांव	8.6
13.	बालक आश्रम कोसागांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	कोसागांव	फरसगांव	8.6
14.	बालक आश्रम सिंगानपुरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	सिंगानपुरी	फरसगांव	8.6
15.	बालक आश्रम जुगानीकलार जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जुगानीकलार	फरसगांव	8.6
16.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जैतपुरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जैतपुरी	फरसगांव	9.22
17.	बालक आश्रम भण्डारसिवनी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	भण्डारसिवनी	फरसगांव	7.82
18	हायरसेकेण्डरी स्कूल फरसगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	फरसगांव	फरसगांव	9.39
19	हाईस्कूल शंकरपुर जीर्णोद्धार कार्य(छत मरम्मत)	शंकरपुर	फरसगांव	6.05
20	हाईस्कूल हिर्री जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	हिर्री	फरसगांव	3.41
21	हाईस्कूल लंजोड़ा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	लंजोड़ा	फरसगांव	19.7
22	हाईस्कूल सोड़मा जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	सोड़मा	फरसगांव	5.4
23	हाईस्कूल पासंगी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	पासंगी	फरसगांव	4.11
24	हायरसेकेण्डरी स्कूल बोरगांव जीर्णोद्धार कार्य	बोरगांव	फरसगांव	9.48

क्र	कार्यो का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
	(छत मरम्मत)			
25	हाईस्कूल मांझीहाटगांव जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	मांझीहाटगांव	फरसगांव	5.4
26	हाईस्कूल जुगानीकलार जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जुगानीकलार	फरसगांव	4.11
27	हाईस्कूल चरकई जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	चरकई	फरसगांव	4.11
28	हाईस्कूल भण्डारसिवनी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	भण्डारसिवनी	फरसगांव	7.5
29	हाईस्कूल जैतपुरी जीर्णोद्धार कार्य (छत मरम्मत)	जैतपुरी	फरसगांव	10.91
			योग :–	230.32

प्रपत्र "ब"

भुगतान की गई राशि का विवरण

विकास खण्ड बड़ेराजपुर

क्र.	दिनांक	राशि (लाख में)
01.	28.02.2017	44.32
02.	17.04.2017	48.42
03.	27.04.2017	33.27
04.	14.06.2017	83.39
05.	25.08.2017	9.18
	कुल योग :–	**218.58**

विकास खण्ड फरसगांव

क्र	दिनांक	राशि (लाख में)
01.	06.06.2017	44.00
02.	06.06.2017	70.00
03.	14.06.2017	70.46
04.	15.06.2017	45.43
	कुल योग :–	**229.89**

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 331) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2016-17 में सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में प्रदाय राहत का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	योजना का नाम	तहसील का नाम					
		भाटापारा		सिमगा		योग	
		कृषकों को प्रदाय अनुदान राशि / आदान सामग्री की राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	कृषकों को प्रदाय अनुदान राशि / आदान सामग्री की राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	कृषकों को प्रदाय अनुदान राशि / आदान सामग्री की राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM	16.70	176	23.40	270	40.10	446
2	राज्य पोषित नवीन योजना श्रीविधि से धान उत्पादकता वर्धन योजना	2.02	150	2.69	200	4.71	350
3	द्विफसली क्षेत्र विस्तार योजना रबी फसल प्रदर्शन	2.10	28	1.56	33	3.66	61
4	ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन, तिलहन एवं मक्का प्रदर्शन	2.63	40	2.61	50	5.24	90
5	शाकम्भरी योजना	5.21	35	11.38	73	16.59	108
6	कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना	2.24	50	2.24	50	4.48	100
7	नेशनल मिशन ऑन आईलसीड एण्ड ऑईलपाम योजना (~~[illegible]~~) ([illegible])	0.50	1	0.00	0	0.50	1
	कुल योग :-	31.40	480	43.88	676	75.28	1156

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 404) के भाग (क) की जानकारी]

क.	उद्योग का नाम	ग्राम का नाम	बिछाई गई पाईप लाईन की लम्बाई	क्षतिपूर्ति राशि की भुगतान के संबंध में इकाई से प्राप्त जानकारी
1	2	3	4	5
1	मे. वीसा पावर लि. देवरी तह.–रायगढ़	देवरी, रानीगुड़ा, कुलबा, अरसीपाली, जनुवानी, सरडामाल, नंदेली, बरपाली	6.747 कि.मी	छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन(भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है।
2	मे. जिंदल स्टील एण्ड पावर लि., पतरापाली, रायगढ़	बोंदाटिकरा से जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. तक	10.000 कि.मी	आपसी सहमति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
		बालपुर से जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. तक	30.000 कि. मी.	आपसी सहमति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
3	मे. एम.एस.पी स्टील एण्ड पावर लि. जामगांव रायगढ़	बेहरापाली, जामगांव	2.00 कि.मी.	आपसी सहमति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
4	मे. एन. टी. पी.सी. लि. लारा, तह. –पुसौर	देवलसुर्रा, दर्रीपाली, बासनपाली, गुड़ू, ओडेकेरा, सराईपाली, केसापाली, गोतमा, कोतासुरा, सिहा, बोंदा, बुनगा, रनभठा, टपरदा, जेबरीडीह, छोटेभण्डार, कठली, टुपकधार	16.200 कि. मी.	छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन(भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है।
5	मे. कोरबा वेस्ट पावर कं. लि. छोटे भण्डार, तह.– पुसौर	कठली, टपरदा	2.200 कि.मी.	छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन(भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है।
6	मे. स्काई एलाय एण्ड पावर प्रा.लि. टेमटेमा तह.– खरसिया	कनमुरा, सेन्द्रीपाली	1.160 कि.मी.	आपसी सहमति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

7	मे. एसकेएस पावर जनरेशन छ.ग. लि. बिंजकोट ,तह.–खरसिया	दर्रामुड़ा, जामपाली, डमूरपाली	0.900 कि.मी.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भू–अर्जन की गाईड लाईन के आधार पर मुआवजा भुगतान किया गया है।
8	मे. जिन्दल पावर लि. तमनार	डोकरबुड़ा, तुमीडीह, पूंजीपथरा, राबो, पड़कीपहरी, झीगोल, आमाघाट, गोढ़ी, बासनपाली, सलिहभाठा, तमनार	26.000 कि. मी.	किसानों से आपसी सहमति से पाईप लाईन बिछाई गई हेक्ट. एवं छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान
		टपरदा, रनभाठा, रनभाठा, जेवरीडीह, बुनगा, ठेंगापाली, सिहा, कारीछापर, कोतासुरा, नंदेली, तेतला, सुर्री, लोहरसिंहा, कोड़तराई, तरकेला, पटैलपाली, बनसियां छुहीपाली, सांगीतराई, अमलीभौना, कोसमनारा, कलमी, भगवानपुर, खैरपुर, कृष्णापुर, उर्दना, लाखा, चिराईपानी, शिवपुरी, उजलपुर, तराईमाल, गोरखामुड़ा, कसडेल, आमाघाट, गोढ़ी, तमनार	59.000 कि.मी	किसानों से आपसी सहमति से पाईप लाईन बिछाई गई हेक्ट. एवं छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान
		योग	**154.207**	